

निष्पादन प्रतिवेदन 2015-16

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डेस्क से

मुझे वर्ष 2015-16 के लिए भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह विभाग भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान होने के अलावा भारत में अधिकतर राज्यों के लिए लेखांकन और हकदारी कार्यों का भी निष्पादन करता है। यह प्रतिवेदन 2015-16 के दौरान विभाग की प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण दर्शाता है।

वर्ष के दौरान हमारे लेखापरीक्षा संसाधन लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित मुख्य क्षेत्रों के अनुसार नियोजित किए गए थे, जिसमें इक्विटी, जेंडर जस्टिस, नागरिक केन्द्रित सेवाएं, पर्यावरण, आईटी लेखापरीक्षा इत्यादि के मामले, शामिल थे। इसे हमारे द्वारा वर्ष के दौरान तैयार किए गए 188 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विधिवत दर्शाया गया है, जिसमें से 53 प्रतिवेदन संसद और 135 प्रतिवेदन राज्य विधानमंडलों के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए थे।

हमारे जीवन में डिजिटाइजेशन के प्रभाव और लेखापरीक्षा के लिए बिग डाटा की चुनौतियों के लिए अपने आप को पुनः अनुकूल बनाने की आवश्यकता को स्वीकारते हुए, हमने हमारी बिग डाटा प्रबन्धन नीति का गठन किया जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः नई दिल्ली में हमारे मुख्यालय में डाटा प्रबन्धन और विश्लेषण केन्द्र की स्थापना हुई। इस संबंध में हमने नीति निर्धारण के लिए एविडेंस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहल और हमारे मानव संसाधनों की क्षमता संवर्धन के लिए आईआईएम बेंगलोर का सहयोग लिया। हमने अनुपालन लेखापरीक्षण दिशानिर्देशों के प्रतिपादन द्वारा अपने अनुपालन लेखापरीक्षण ढांचे को भी सुदृढ़ किया।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रभाव की व्यापकता उसके कार्य के माध्यम से आसानी से इस तथ्य द्वारा आंकी जा सकती



है कि हमारे प्रतिवेदनों में 2,125 सिफारिशों की गई थी जिसमें से 864 सिफारिशें पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं। हमारे प्रतिवेदनों में ₹88,000 करोड़ से अधिक की वसूलियाँ इंगित की गई थी जिसमें से केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा ₹4,523 करोड़ की वसूलियां पहले ही की जा चुकी हैं। यह नोट करना संतोषजनक है कि लेखापरीक्षा के बताने पर की गई वसूलियां साई-इंडिया के कुल व्यय से काफी अधिक थी, जो 2015-16 में ₹3,428.12 करोड़ था। इसके अलावा, वर्ष के दौरान हमने बहुमूल्य सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करते हुए 5,000 से अधिक सरकारी लेखाओं की जांच की, 33.90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ खातों का अनुरक्षण किया और 3.90 लाख से अधिक पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत किया।

विभाग की उपलब्धियों का श्रेय वर्तमान में तैनात 46,000 से अधिक कार्मिकों के समर्पित कार्य को जाता है। हमने महत्वपूर्ण रूप से उनके पेशेवर विकास में निवेश किया है, जिसके अनुसार हमारे प्रशिक्षण संस्थानों में क्षमता संवर्धन को काफी उच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिए आधुनिकीकरण और संरचनात्मक उन्नयन की कई परियोजनाएं शुरू की गई, ताकि एक अनुकूल वातावरण और संवर्धित अधिगम अनुभव प्रदान किया जा सके। हमारे प्रशिक्षण संस्थानों ने वर्ष के दौरान 700 से अधिक पाठ्यक्रम आयोजित किए और 13,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया। इसके अलावा, लगभग 2000 आंतरिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 30,000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

साई इंडिया अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सहकार्यता में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। हमारे प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसके अलावा, हम इंटोसाई और एसोसाई की गतिविधियों में भी सक्रियता से भाग ले रहे हैं। यह विभाग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का द्योतक है कि भारत के सीएजी



संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड में हैं और अब बोर्ड की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह विभाग को अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकायों जैसे विश्व खाद्य कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन इत्यादि के लेखापरीक्षण के बहुमूल्य अनुभव के शिखर पर पहुँचाता है।

मुझे विश्वास है कि यह निष्पादन प्रतिवेदन विभाग के कार्यों और गतिविधियों के बारे में बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करने में नीति निर्माताओं, कार्यकारियों, शिक्षाविदों और जनता के सदस्यों सहित हमारे हितधारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



अध्याय	विषय-सूची	पृष्ठ
	निष्पादन की मुख्य बातें	i-vi
1	इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में	1
2	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के बारे में	3
3	महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ- लेखापरीक्षा	22
4	महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ-लेखा एवं हकदारी	94
5	व्यावसायिक मानक एवं गुणवत्ता प्रबंधन	110
6	हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं	118
7	आईएएंडएडी में क्षमता निर्माण	128
8	प्रमुख पणधारकों के साथ हमारा सम्पर्क	148
9	हमारी अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान	153
	अनुबंध I	170
	अनुबंध II	171



निष्पादन की मुख्य बातें

I. निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के प्रभाव, मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष और हमारे संसाधनों के उपयोग की प्रभावकारिता सहित भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई इंडिया) के महत्वपूर्ण कार्यों और उपलब्धियों का सार प्रस्तुत करता है।

II. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के विषय में

- भारत के सीएजी एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं।
- सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार का वर्णन करने वाला मूल विधान है जिसमें संघ और राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और सार्वजनिक कोष से काफी हद तक वित्तपोषित अन्य निकाय/प्राधिकार आते हैं जिनकी लेखापरीक्षा का कार्य जनहित में सीएजी को सौंपा गया है। संसद के कई अन्य अधिनियमों में भी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कुछ सांविधिक प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में सीएजी द्वारा राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और प्रस्तुतिकरण का भी प्रावधान है।
- भारत के सीएजी अपने कर्तव्यों का निर्वहन भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के माध्यम से करते हैं। नई दिल्ली स्थित सीएजी मुख्यालय की सहायता 138 क्षेत्रीय कार्यालयों (समूचे भारत में फैले 133 क्षेत्रीय कार्यालय और विदेश स्थित 5 कार्यालय) द्वारा की जाती है।



III. लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम

- हमने 57,985 इकाईयों की लेखापरीक्षा की, जो संघ पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 96.12 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर 93.73 प्रतिशत था।
- हमने विभिन्न लेखापरीक्षित इकाईयों को 53,873 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए। संघ स्तर पर 92.03 प्रतिशत निरीक्षण प्रतिवेदन और राज्यों में 73.58 प्रतिशत निरीक्षण प्रतिवेदन समय पर जारी किए गए अर्थात् 30 दिनों के अन्दर।
- हमने 188 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, तैयार किये, जिसमें 196 निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल हैं जिसमें से 53 संसद में तथा 135 राज्य विधान सभाओं में प्रस्तुत करने हेतु थे। इनमें से वर्ष के दौरान 47 प्रतिवेदन संसद के समक्ष और 90 प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभाओं के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- हमने संघ और राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षित इकाईयों को 2,125 सिफारिशें की। इनमें से 864 सिफारिशों को मान लिया गया।
- हमने वर्ष के दौरान 196 निष्पादन प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दिया। हमने 1,544 सिफारिशों की जिनमें से लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा 768 सिफारिशों को मान लिया गया।
- हमने संघ एवं राज्य सरकारों, पीएसयूज़, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा अन्य के 5,105 लेखों की जाँच की। 80.18 प्रतिशत लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र निर्धारित समय के अंदर जारी किए गए।
- हमारे द्वारा बताई गई कुल वसूलियों में से 45 प्रतिशत वसूलियां (₹88,089 करोड़) स्वीकार कर ली गई। और ₹4,523 करोड़ की वसूलियां की गई जो कि 2015-16 के दौरान आईए एवं एडी के कुल व्यय ₹3,428.12 करोड़ से काफी अधिक था।
- अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में हमने 116 कम्पनियों और निगमों के लेखों में सुधार किया। इन परिवर्तनों का प्रभाव (क) लेखों के नोट्स में संशोधन: ₹36,601.02 करोड़ (ख) वर्गीकरण



त्रुटियां: ₹67,821.01 करोड़ (ग) लाभ और हानि में परिवर्तन: ₹2,712.16 करोड़ और (घ) परिसम्पत्तियों और देयताओं में परिवर्तन: ₹6,576.86 करोड़ था।

- हमने योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में नियमों, विनियमों में विचलन; कमियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव आदि के बारे में बहुत से दृष्टांत बताए।
- 31 मार्च 2016 को संघ तथा राज्य स्तर पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर 10,817 की गई कार्रवाई टिप्पणियां अभी प्राप्त होनी हैं।

IV. लेखा और हकदारी के मुख्य परिणाम

- हमने 2015-16 के दौरान 3,93,453 पेंशन अनुमति तथा पेंशन संशोधन मामलों का निपटान किया।
- हमने 96.07 प्रतिशत नियोजित कोषागार निरीक्षण किए। राज्य सरकार ने इन निरीक्षणों के बाद हमारे द्वारा की गई 99.77 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार कर ली।
- वर्ष के दौरान हमने 95.93 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि लेखाधारकों को लेखा विवरण समय पर जारी किए।

V. व्यावसायिक मानक एवं गुणवत्ता प्रबंधन

- भारत सरकार द्वारा मार्च 2016 तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आईजीएएस) अधिसूचित किए गए थे। चार आईजीएएस तथा पांच आईजीएफआरएस (भारतीय सरकारी वित्तीय रिपोर्टिंग मानक) भारत सरकार के विचाराधीन थे।
- मार्च 2014 में लेखापरीक्षा और लेखांकन नीति एवं उनके कार्यान्वयन के क्षेत्र के मामलों के लिए व्यावसायिक प्रथाओं के लिए तकनीकी बोर्ड का गठन किया।
- आन्तरिक नियंत्रण तंत्र के उपाय के रूप में भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के 36 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण रिपोर्टों में की गई 39 प्रतिशत सिफारिशें लागू कर दी गई थी।



VI. संसाधन प्रबंधन

- हमने 2015-16 में ₹3,428.12 करोड़ खर्च किए।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफ पर एचआर नीति का मुख्य फोकस जारी रहा।
- आईएण्डएडी में कार्यरत 46,024 लोगों में से, 89 प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से हमारे मुख्य कार्यकलापों में अपना योगदान देते हैं।

VII. भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में क्षमता निर्माण

- पर्यावरणीय लेखापरीक्षा और सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीईडी) ने 13 साई से 22 भागीदारों के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और साई ओमान और साई बांग्लादेश से 43 भागीदारों के लिये दो द्विपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किए।
- हमने आईसीसा नोएडा में, आईसीईडी जयपुर में और लेखापरीक्षा और लेखा राष्ट्रीय अकादमी शिमला में और क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (आरटीआईज)/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों (आरटीसी) में हमारी प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए मुख्य आधुनीकीकरण और अवसंरचनात्मक उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किए। आरटीआई और आरटीसी ने 722 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया और वर्ष के दौरान 13,427 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया।
- 133 कार्यालयों (5 विदेश स्थित कार्यालयों को छोड़कर) में आंतरिक प्रशिक्षण केन्द्रों ने 1,993 पाठ्यक्रम आयोजित किये और 30,907 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।

VIII. प्रमुख हितधारियों के साथ हमारा परस्पर व्यवहार

- संघ और राज्य स्तरों पर गठित लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्डों ने अपनी अर्द्धवार्षिक बैठकें आयोजित की।



IX. अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी एवं योगदान

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जुलाई 2014 से जून 2020 की अवधि के लिये संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड के एक सदस्य है।
- साई-भारत यूएन सचिवालय (खण्ड I) की लेखापरीक्षा और कई यूएन एंजेंसियों अर्थात यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल निधि) यूएनओपीएस (परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय), यूएनजेएसपीएफ (संयुक्त राष्ट्र संयुक्त स्टाफ पेंशन निधि), यूएनसीसी (संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग), निलंब लेखा, यूएनएफआईपी (अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि), आईटीसी (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र), और 6 यूएनपीकेओ (संयुक्त राष्ट्र पीसकीपींग आपरेशन) मिशनों का अग्रणी लेखापरीक्षक होगा।
- भारत के सीएजी इंटोसाई तथा एसोसाई के सदस्य हैं।
- भारत के सीएजी आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्यचालन समूह तथा ज्ञान सहभाजन एवं ज्ञान सेवाओं पर इंटोसाई समिति और उसकी संचालन समिति के अध्यक्ष हैं।
- केएससी अध्यक्ष के रूप में साई इंडिया ने इंटोसाई विकास पहल, नोरवे के सहयोग से इंटोसाई समुदाय पोर्टल (www.intosai community.org) का विकास किया। पोर्टल को नवम्बर 2015 में प्रारंभ किया गया।

X. नई पहलें

- मार्च 2016 में अनुपालन लेखापरीक्षण दिशानिर्देशों को अपनाया गया था।
- अगस्त 2015 में बिग डाटा प्रबन्धन नीति का गठन किया गया है।
- हार्वर्ड कैन्नेडी स्कूल, यूएसए (भारत में आईएफएमआर, चेन्नई पर आधारित) की एक पहल ऐविडेंस फार पालिसी डिजाइन (ईपीओडी) के साथ मई 2015 से दो वर्षों की अवधि के लिए परस्पर लाभदायी भागीदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन किया गया है।
- लेखापरीक्षित सत्वों के स्वदेशी व्यक्तिगत साफ्टवेयर में लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षा कार्यालयों को सज्जित करने के लिए एक नया एसटीएम



(स्ट्रक्चरड प्रशिक्षण मोडयूल) विकसित किया गया था जिससे पूरे देश में प्रयोग हेतु एक एकरूप और व्यापक माडयूल सुनिश्चित किया जा सके।

- स्व-अध्ययन के लिए 'आईटी लेखापरीक्षा का परिचय' नामक प्रयोक्ता अनुकूल एक ई-माडयूल विकसित किया गया है जो पूरे देश में फैली लेखापरीक्षित एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जा रहे असमान साफ्टवेयरों के साथ कार्य करने में लेखापरीक्षा स्टाफ को परिचित और उन्हें योग्य बनाता है।
- प्रशिक्षण विंग ने एक ई-लर्निंग पहल "रीच आउट" प्रारंभ की है, जिसने बिना किसी लागत के पूर्ण रूप से स्वदेशी ई-लर्निंग माडयूल तैयार किया है।



अध्याय 1

इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय भारत के संविधान द्वारा सृजित एक कार्यालय है और इसे संघ और राज्यों और अन्य सत्वों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह भारत का एक सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) है और इससे लेखापरीक्षित सत्वों की वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों (इस्साई 20) में यह परिकल्पित है कि साई के बारे में सूचना सहज, सुलभ और संगत होनी चाहिए। उनकी कार्य प्रक्रियाएं, गतिविधियाँ और उत्पाद पारदर्शी होने चाहिए। उन्हें मीडिया तथा अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में दिखना चाहिए।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निष्पादन प्रतिवेदन इस्साई 20 और 21 में परिकल्पित पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

इस प्रतिवेदन का लक्ष्य निम्नलिखित पर रिपोर्टिंग के द्वारा जवाबदेही अपेक्षाओं को पूरा करना है-

- साई इण्डिया ने अपने लेखापरीक्षा कार्य तथा अपेक्षित रिपोर्टिंग के संबंध में अपनी कानूनी देयताओं को किस सीमा तक पूरा किया है;
- हमारे अपने निष्पादन का मूल्यांकन और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा हमारी लेखापरीक्षा का प्रभाव; और
- साई संसाधनों के उपयोग में नियमितता तथा दक्षता।

यह प्रतिवेदन हमारी स्थिति, अधिदेश, रणनीति, गतिविधियों, वित्तीय प्रबंधन, संचालन और निष्पादन पर विश्वसनीय, स्पष्ट तथा संगत सार्वजनिक रिपोर्टिंग करके पारदर्शिता मानदण्डों को भी पूरा करता है। अतः यह निम्नलिखित बातों का प्रयास करता है:

- सीएजी तथा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की भूमिका एवं कार्यों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना;
- हमारे ग्राहकों और पणधारियों, आन्तरिक एवं बाह्य दोनों को प्रमुख परिणामों और उपलब्धियों के बारे में सूचित करना; तथा



- भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के अन्दर और बाहर प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के लिए हमारे संगठन के अन्दर नव-परिवर्तनों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना।



अध्याय 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के बारे में

I. हम कौन हैं?

भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) तथा उसके तहत कार्य करने वाला भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग (आईएएडी) (जिसे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) के रूप में भी जाना जाता है) संघीय ढाँचे में एक एकीकृत लेखापरीक्षा तंत्र प्रदान करता है। संसदीय लोकतंत्र में जाँच और संतुलन की सांविधिक योजना में इस संस्थान को विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बनाया गया है। लेखापरीक्षा की संकल्पना और स्थापना सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन में अन्तर्निहित है क्योंकि लोक निधि का प्रबंधन विश्वास का प्रतीक है। लेखापरीक्षा नियामक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसका उद्देश्य लोक वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन के स्वीकार्य मानदण्डों से विचलन को व्यक्त करना है। राज्यों में सीएजी का प्रतिनिधित्व करने वाले साई के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार कहा जाता है।

संसद/राज्य विधानमंडल वार्षिक बजट और अनुपूरक विनियोजनों का अनुमोदन करता है और सरकार को कर एकत्र करने का प्राधिकार देता है। लोक-निधियों के प्रबंधन में औचित्य, नियमितता और सत्यनिष्ठा के मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए भी वित्तीय नियमावली है। सरकारी विभागों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों से इन नियमों का अनुसरण और उनमें निर्धारित ढाँचे का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जब वे लोक-धन को प्राप्त और खर्च करते हैं। व्यय करने वाले विभाग अपने व्यय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिए संसद और राज्य विधानमण्डलों के प्रति जवाबदेह हैं।

संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में सरकारी विभागों की वैधानिक जवाबदेही को लागू करने के लिए संसद की सहायता करने में सीएजी की भूमिका महत्वपूर्ण है। सीएजी केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों की लेखापरीक्षा करता है और राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन भी करता है।



संघीय बहुदलीय प्रजातंत्र के दृष्टिगत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की भूमिका का बहुत महत्व है जहां संघ और राज्य दोनों सरकारें बड़ी संख्या में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं जिनमें बड़े सार्वजनिक संसाधन शामिल हैं। अभी हाल ही में देश में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में एक आदर्श परिवर्तन हुआ है जिसमें विशेष उद्देश्य वाली संस्थाओं (एसपीवी) जैसे न्यासों, समितियों तथा एनजीओज़ द्वारा सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एवं लोक निधि से वित्त पोषित बढ़ते हुए व्यय के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल दिया गया है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया में सिविल सोसायटी एक प्रमुख पणधारी के रूप में उभर रही है।

II हमारी दूरदृष्टि, उद्देश्य और नैतिक मूल्य

हमारी दूरदृष्टि यह दर्शाती है कि हम कुछ बनने के लिए क्या अभिलाषा करते हैं: हम विश्व में अग्रणी बनने और सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण और लेखाकरण में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के आरम्भकर्ता और स्वतंत्र, विश्वसनीय सार्वजनिक वित्त और अभिशासन पर संतुलित और समय से रिपोर्टिंग के लिए मान्य होने का प्रयास करते हैं।

हमारा मिशन हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत करता है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस का वर्णन करता है: भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षण व लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे अभिशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने पणधारियों, विधानमण्डल, कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतंत्र आश्वासन मुहैया कराते हैं कि लोक निधियों का दक्षता से अपेक्षित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

हम जो कुछ करते हैं उसके लिए हमारे नैतिक मूल्य उन सभी के लिए मार्गदर्शक हैं और हमारे निष्पादन: स्वतंत्रता, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, व्यावसायिक उत्कृष्टता, पारदर्शिता, तथा सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्धारण करने के लिए हमें बेंचमार्क देते हैं।

III साई की स्वतंत्रता

इस्साई 1 में परिकल्पित है कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनकी स्वतंत्रता की आवश्यक डिग्री संविधान में निर्धारित की जाएगी जबकि विवरण कानून में निर्धारित किए जा सकते हैं।



भारत के संविधान में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का भारत सरकार और राज्यों की कार्यकारी शाखा से स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 149 और 150 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां परिभाषित हैं। अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि संघ तथा राज्य सरकारों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद अथवा राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो न तो कार्यपालिका और न ही विधायिका का भाग है।

संविधान में निम्नलिखित के प्रावधान से सीएजी को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से लेखापरीक्षा के लिए सक्षम बनाया गया है:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति;
- सीएजी को हटाने की विशेष प्रक्रिया; जैसा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू है;
- सीएजी का वेतन और भत्ते संसद के मत के अधीन नहीं हैं; तथा
- सेवा-काल की समाप्ति के पश्चात् किसी अन्य सरकारी कार्यालय का पद लेने में अपात्रता।

संविधान में यह भी प्रावधान है कि भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां वे होगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से ही निर्धारित की जाएंगी।

IV हमारा लेखा अधिदेश¹

संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में घोषित सीएजी के डीपीसी (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में सीएजी द्वारा राज्य सरकार के लेखाओं के संकलन का प्रावधान है। लेखाओं के संकलन के अतिरिक्त, सीएजी लेखे तैयार करने और उन्हें राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को और जिन संघ-राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है; के प्रशासकों को प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तरदायी है। वह लेखाओं को तैयार करने से संबंधित माँगी गई सूचना भी देता है और सहायता भी प्रदान करता

¹ सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 10, 11 और 12



हैं। हम कोषागारों और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सहायक लेखाओं से राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन करते हैं। यदि धन अनुमोदन से अधिक निकाला जा रहा है तो हम शासन को सचेत करते हैं। हम व्यय के ढंग की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करते हैं और निधियों के अधिक व्यय/वापस की गई राशि/व्यपगत राशि पर परामर्श देते हैं।

V हमारा लेखापरीक्षा अधिदेश

सीएजी का लेखापरीक्षा अधिदेश और संसद द्वारा बनाए गए कुछ अन्य कानूनों को सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 में परिभाषित किया गया है। सीएजी को निम्नलिखित की लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट करने के अधिदेश हैं:

- सभी प्राप्तियाँ और संघ एवं राज्य सरकारों की समेकित निधि से व्यय;
- आम बजट से बाहर आपातकाल में सभी वित्तीय लेन-देन (जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है);
- केन्द्र के साथ साथ राज्य स्तरों पर न्यास या बैंकर के रूप में सरकार द्वारा धारित जनता के सार्वजनिक धन की आवाजाही (जिसे लोक लेखा कहा जाता है);
- किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए समस्त व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन-पत्र एवं अन्य सहायक लेखे;
- सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के समस्त भण्डार और स्टॉक लेखे;
- सभी सरकारी कम्पनियों के लेखे जहां सरकारी इक्विटी निवेश 51 प्रतिशत से कम नहीं;
- सभी विनियामक निकाय, अन्य सांविधिक प्राधिकरण/निगमों के लेखे, जिनमें सीएजी द्वारा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा का शासी विधियों में प्रावधान है;
- सरकारी धन से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे;
- सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 के समर्थकारी प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रपति/राज्यपाल/उप राज्यपाल द्वारा लोकहित में सीएजी को विशिष्ट रूप से एक निकाय या प्राधिकरण के लेखे जिनकी लेखापरीक्षा विशिष्ट रूप से सीएजी को सौंपी गई हो।



सीएजी को निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं:

- राज्य सरकारों के स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विंगों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, जो शहरी और ग्रामीण 'स्थानीय निकायों' के मुख्य लेखापरीक्षक हैं।
- 2012 में यथा संशोधित वित्तीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत संघ सरकार की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए निष्पादन की समीक्षा करना।
- केन्द्रीय कर/शुल्को की शुद्ध प्राप्तियों को प्रमाणित करना जो राज्यों के साथ सहभाजन योग्य है।

VI हम किसकी लेखापरीक्षा नहीं करते

सीएजी का अधिदेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों; सरकारी निगमों की लेखापरीक्षा तक व्याप्त नहीं है जिनकी संविधियों में सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है अर्थात् जीवन बीमा निगम और वे कम्पनियाँ जहाँ सरकारी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम है। तथापि, सीएजी के पास किसी निजी कम्पनी के लेखों की लेखापरीक्षा का भी अधिकार है, जो सामान्यतया सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश में नहीं है, यदि कम्पनी को लाइसेंस की शर्तों के अन्तर्गत दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति दी गई है, जिसमें अपेक्षित है कि कम्पनी उससे अर्जित राजस्व के एक भाग को सरकार के साथ सहभाजित करेगी। इस अधिकार को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17 अप्रैल 2014 के उनके निर्णय द्वारा टेलिकाम सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियों के संबंध में समर्थन दिया गया था। इसके अतिरिक्त, किसी भी निकाय या प्राधिकरण, जिसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी नहीं है, की लेखापरीक्षा भी सीएजी डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 20 के तहत जनहित में सीएजी को सौंपी जा सकती है।



VII हमारी शक्तियां

उपर्युक्त उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए सीएजी के पास निम्नलिखित शक्तियाँ² हैं:

- अपनी लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन किसी कार्यालय अथवा संगठन का निरीक्षण;
- किसी लेखापरीक्षित स्वत्व से किन्हीं अभिलेखों, कागज़ों, दस्तावेजों को मँगाना;
- लेखापरीक्षा की सीमा और तरीके का निर्णय लेना;
- सभी लेन-देनों की जाँच और कार्यपालिका से प्रश्न करना; और
- जब परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो किसी लेखे अथवा लेन-देनों के वर्ग की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को छोड़ना और ऐसे लेखाओं अथवा लेन-देनों के संबंध में ऐसी सीमित जाँच करना जैसा कि वह अवधारित करें।

शक्तियों का प्रत्यायोजन:

सीएजी डीपीसी अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने विभाग के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है, इस अपवाद को छोड़कर कि जब सीएजी छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित हो तो कोई अधिकारी उसकी ओर से राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता।

विनियमों को बनाने की शक्तियाँ:

डीपीसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने जहाँ तक कि वे लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और सीमा से संबंधित हैं, जिनमें सरकारी विभागों के मार्गदर्शन, सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्तों और प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के संबंध में विस्तृत सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है के लिए विनियम बना सकता है।

2007 में, सीएजी डीपीसी अधिनियम, की धारा 23 के अन्तर्गत "लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमावली" जारी की गई थी। विनियम साई, इण्डिया के

² सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18, 21, 22, 23, और 24



लेखापरीक्षण और लेखांकन अधिदेश के कार्यक्षेत्र, तरीके और सीमा को विस्तृत रूप में परिभाषित करते हैं।

नियम बनाने की शक्तियाँ:

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श के उपरान्त केन्द्र सरकार लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों को लेखे सौंपने वाले कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं को रखने के तरीके सहित संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा लेखाओं के रखरखाव के लिये प्राधिकृत है।

VIII हम विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करते हैं:

सीएजी द्वारा अपनाए जाने वाला लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और सीमा, कार्यप्रणाली एवं उपागम में सीएजी का ही विवेकाधार है। हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप लेखापरीक्षित सत्त्वों में वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा करते हैं।

VIII क अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित के अनुपालन के लिए सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं से सम्बन्धित संव्यवहारों की लेखापरीक्षा की जाती है:

- भारत के संविधान और लागू कानूनों के प्रावधान; और
- या तो भारत के संविधान और विधि के प्रावधानों के अनुपालन में अथवा उच्च प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियम, विनियम, आदेश एवं अनुदेश।

अनुपालन लेखापरीक्षा में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक और प्रभावकारिता के लिए नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों की जाँच-पड़ताल भी शामिल है अर्थात् क्या वे निम्नलिखित के अनुसार हैं:

- भारत के संविधान के प्रावधान और विधि (वैधानिकता) के अधिकाराधीन;
- अपशिष्ट, दुरुपयोग, कुप्रबन्धन, गलतियाँ, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं (पर्याप्तता) के कारण हानि के प्रति पर्याप्त रक्षा के साथ



सरकारी प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पत्तियों और देयताओं के ऊपर पर्याप्त रूप से व्यापक और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना;

- अस्पष्टता से दूर तथा स्पष्ट और निर्णय लेने में सत्यनिष्ठा के अनुपालन को बढ़ावा देना (पारदर्शिता);
- विवेकी और सही (उपयुक्त और विवेकी); और
- प्रभावी और अभिप्रेत उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त करना। (प्रभावकारिता);

VIII ख वित्तीय लेखापरीक्षा

वित्तीय लेखापरीक्षा मूल रूप से वित्तीय विवरणों के समूह पर लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने से सम्बन्धित है। इसमें निम्न शामिल हैं:-

- वित्तीय अभिलेखों की जाँच-पड़ताल और मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना;
- लागू संविधियों और विनियमों जो लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करते हैं, के अनुपालन के मूल्यांकन सहित वित्तीय प्रणालियों और संव्यवहारों की लेखापरीक्षा; और
- आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की लेखापरीक्षा जो परिसम्पत्तियों और संसाधनों की रक्षा में सहायता करते हैं और लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता का आश्वासन सुनिश्चित करते हैं।

VIII ग निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा उस सीमा तक एक स्वतंत्र निर्धारण अथवा जाँच-पड़ताल है जहाँ तक संगठन, कार्यक्रम और योजना का संचालन मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी रूप से होता है। निष्पादन लेखापरीक्षा निर्धारण करती है:

1. **मितव्ययिता** - मितव्ययिता उपयुक्त गुणवत्ता वाले किसी कार्यकलाप के लिए प्रयुक्त संसाधन की लागत को न्यूनतम करना है। मितव्ययिता वहां होती है जहां समान गुणवत्ता संसाधन कम से कम लागत पर प्राप्त किए जाते हैं।
2. **दक्षता** – दक्षता आउटपुट (वस्तुएं, सेवाएं अथवा अन्य परिणाम) और उनके उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधनों (इनपुट) के बीच एक संबंध है।



दक्षता वहाँ विद्यमान है जहाँ संसाधनों (वित्तीय, मानव, प्रत्यक्ष और सूचना संसाधन) का उपयोग ऐसा है कि आउटपुट को संसाधन इनपुट के दिए गए सैट से अधिकतम किया जाता है अथवा इनपुट को आउटपुट की दी गई मात्रा और गुणवत्ता के लिए न्यूनतम किया जाता है।

3. **प्रभावकारिता** - प्रभावकारिता उस सीमा तक है जहां तक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं और कार्यकलाप के अभिप्रेत प्रभाव और वास्तविक प्रभाव के बीच संबंध है। प्रभावकारिता उस मुद्दे का समाधान करती है कि क्या योजना, कार्यक्रम अथवा संगठन ने अपने उद्देश्य प्राप्त किए हैं।

IX हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

साई स्तर और पृथक लेखापरीक्षा कार्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया अनेक चरणों का अनुसरण करती है, जैसा निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:



नीतिगत योजना भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लम्बी अवधि की योजना के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करती है।



नीतिगत लेखापरीक्षा योजना 2020 में निर्धारित उच्च स्तरीय नीतिगत लक्ष्य

लक्ष्य 1: एकीकृत लेखापरीक्षा प्रयास

लक्ष्य 2: सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षण में व्यवसायिकता को बढ़ावा देना

लक्ष्य 3: पणधारियों के साथ संचार को सुधारना तथा उच्च दृश्यता सुनिश्चित करना

लक्ष्य 4: लेखापरीक्षा प्रभावकारिता को बढ़ाना

लक्ष्य 5: लेखाकंन तथा हकदारी कार्यों की डिलीवरी को सुधारना

लक्ष्य 6: मानव संसाधन प्रबंधन को सुधारना

नीतिगत लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास उस नीतिगत निदेश के अनुसार किया जाता है जिसे आईएएडी लेखापरीक्षा अधिदेश, जोखिम निर्धारण, मुद्दे का महत्व और उपलब्ध संसाधन के अनुसरण के लिए निर्णय लेता है। इन योजनाओं में वे लेखापरीक्षा शामिल हैं जिन्हें उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यप्रणालियों में प्रत्येक के अन्तर्गत किया जाना है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास समग्र नीतिगत लेखापरीक्षा योजना के आधार पर प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस योजना में वार्षिक लेखापरीक्षा चक्र के दौरान की जाने वाली योजनाबद्ध प्रत्येक लेखापरीक्षाओं का विस्तृत उल्लेख है। वार्षिक योजना उपयोग में मामले या यूनिट के महत्व सहित लेखापरीक्षा अधिदेश, जोखिम निर्धारण और अन्य सुसंगत प्राचलों द्वारा यथा अवधारित लेखापरीक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। इसे आगे लेखापरीक्षा करने के लिए उपलब्ध संसाधन, मानव एवं वित्त दोनों द्वारा भी परिभाषित किया गया है।

हम नियोजित किए जाने वाले दल, आवंटित समय और लेखापरीक्षा की वास्तविक तारीखों का वर्णन करते हुए एक विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम भी बनाते हैं। लेखापरीक्षा दल अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में विश्वसनीय, सक्षम और पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के संग्रहण के लिए विभिन्न लेखापरीक्षा तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित लेखापरीक्षा प्रतिमानों के आधार पर लेखापरीक्षा करते हैं।



उनका मार्गदर्शन साई इण्डिया के लेखापरीक्षा मानकों तथा समय-समय पर जारी किये गये अन्य अनुदेशों द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षित स्वत्व को निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में जानी जाने वाली एक रिपोर्ट जारी की जाती है। उच्च मूल्य वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, आगे परिष्कृत किए जाते हैं और संघ तथा राज्य स्तर पर प्रकाशित लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल करने के लिए उनकी जांच की जाती है।

लेखापरीक्षित स्वत्वों से लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बतायी गई त्रुटियों और की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने की आशा की जाती है और उनको लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मुद्रित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ भेजना अपेक्षित है। संघ और राज्य स्तरों पर सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सम्बन्धित लोक लेखा समिति (पीएसी) और लोक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की बैठकों में चर्चा की जाती है। लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा सिफारिशों के अनुपालन की जाँच-पड़ताल की जाती है और उन्हें बाद की लेखापरीक्षाओं के दौरान सूचित किया जाता है।

विभिन्न लेखापरीक्षित संस्थानों द्वारा गठित लेखापरीक्षा समितियाँ लेखापरीक्षा निष्कर्षों के पालन के लिये नियोजित तंत्र हैं। लेखापरीक्षित स्वत्व और आईएएडी के अधिकारियों से बनीं लेखापरीक्षा समितियाँ, अनुवर्ती प्रक्रिया की निगरानी करती हैं ताकि, अनुबोध अंतराल को कम और मुख्यतः निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबन्धित बाकी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा करने एवं उनका निपटान करने के अतिरिक्त संप्रेषण के स्तर को बढ़ाया जा सके।

प्रत्येक कार्यालय की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की समीक्षा करके विभागीय स्तर की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना में शामिल किया जाता है ताकि विभिन्न अनुभागों और विषयों के बीच संसाधनों और अपेक्षाओं के संतुलन के पश्चात् इसे लेखापरीक्षा प्राथमिकताओं में दर्शाया जा सके। लेखापरीक्षा योजना की निगरानी त्रैमासिक आधार पर की जाती है।



X वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2015-16 की मुख्य बातें

पिछली योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2015-16 ने वित्तीय साक्ष्यांकन लेखापरीक्षा से संबंधित कार्यों को पहली प्राथमिकता दी थी जिनमें लेखों के प्रमाणीकरण, और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र शामिल हैं। जांच के लिए चयनित विषयों से 2012-17 की नीतिगत योजना में पहचाने गए मुख्य क्षेत्रों अर्थात्, राजस्व प्रबन्धन, मानव विकास, अवसंरचना, ग्रामीण और शहरी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की पुष्टि हुई। इक्विटी और पर्यावरणीय चिन्ताएं आईए एवं एडी की स्थायी चिन्ता बनी रही और इन्हें उचित तरीके से लेखापरीक्षा योजनाओं में समाविष्ट किया गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के लिए विषय निम्नलिखित तीन वर्गों के अन्तर्गत चुने गए थे:

- (क) 3 से 5 वर्ष पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दी गई स्वीकृत सिफारिशों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा;
- (ख) राजस्व सहभाजन प्रबन्धन की लेखापरीक्षा, जहां लाइसेंस या ठेके की शर्तों के अंतर्गत निजी सत्त्वों द्वारा सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग हो रहा हो; और
- (ग) नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली तंत्र और नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के लिए सुपुदगी प्रणाली की लेखापरीक्षा।

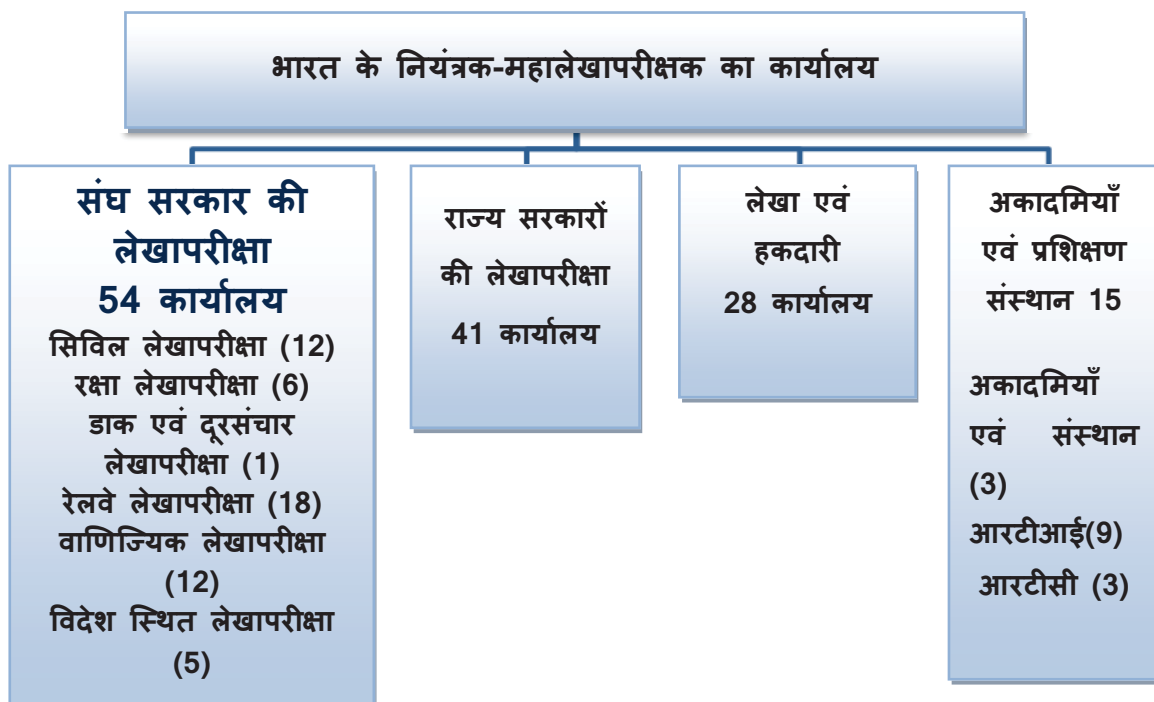
वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2015-16 में लेखापरीक्षा उत्पाद उन्मुख से प्रक्रिया उन्मुख कर पुनः स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया था अर्थात् लेखापरीक्षा की पूर्णता के बाद लेखापरीक्षा उत्पाद का निर्णय लिया जाएगा, जो उसके परिणाम पर निर्भर होगा। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2015-16 में संघ स्तर पर 457 साक्षेउ, 360 स्वायत्त निकायों और 98 बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं और राज्य स्तर पर 1085 साक्षेउ, 733 स्वायत्त निकायों और 127 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वित्तीय साक्ष्यांकन लेखापरीक्षा करने की योजना बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त योजना में संघ स्तर पर 55,095



लेखापरीक्षा योग्य यूनिटों में से 17,131 की लेखापरीक्षा और राज्य स्तर पर 3,61,421 लेखापरीक्षा योग्य यूनिटों में से 51,515 की लेखापरीक्षा की योजना परिकल्पित की गई थी।

XI हमारा संगठन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विभाग में लगभग 46,000 कर्मचारी हैं। नई दिल्ली स्थित सीएजी कार्यालय आईएएडी का मुख्यालय है। इसकी सहायता के लिए पूरे देश में 138 क्षेत्रीय कार्यालय हैं (पूरे देश में 133 और विदेश में 5 कार्यालय स्थित हैं)। कार्यालयों की सूची **अनुलग्नक II** में दी गई है।





सीएजी कार्यालय

नई दिल्ली में स्थित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी कार्यों से सम्बन्धित सभी कार्यकलापों का निर्देश, निगरानी और नियंत्रण करता है। यह साई इंडिया की दीर्घकालिक संकल्पना, मिशन और लक्ष्य निर्धारित करता है। यह नीतियों, लेखापरीक्षा मानकों और प्रणालियों को निर्धारित करता है और सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अंतिम प्रक्रियाकरण और अनुमोदन करता है। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लेखा एवं हकदारी, सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रक्षा लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, राज्य सरकारी लेखापरीक्षा, व्यवसायिक प्रथाएँ, नीतिगत प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन, प्रशिक्षण, संचार, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण, बड़े डाटा प्रबंधन इत्यादि के कार्य करने वाले पृथक डिविजन हैं। इन डिविजनों के प्रमुख उप/अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हैं जो सीएजी को सीधे रिपोर्ट करते हैं। उनकी सहायता महानिदेशक, प्रधान निदेशक, निदेशक और उप निदेशक करते हैं जो सभी वरिष्ठ स्तर के प्रबन्धक हैं। सीएजी कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध 1 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा कार्यालय (संघ सरकार और विदेशी लेखापरीक्षा सत्त्वों के लिए)	
सिविल	12
रक्षा	6
डाक एवं दूरसंचार	1
रेलवे	18
वाणिज्यिक	12
विदेश स्थित लेखापरीक्षित सत्त्व	5
कुल	54
राज्य लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा कार्यालय	41
राज्य लेखा एवं हकदारी कार्यालय	28
राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	15
कुल जोड़	138

XII आईएएडी में क्षेत्रीय कार्यालय

सीएजी कार्यालय के कार्यात्मक विंग की सहायता देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है। ये कार्यालय वास्तव में सीएजी के लेखा एवं



लेखापरीक्षा के अधिदेश को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रकारों की चर्चा नीचे की गई है:

- **महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा के कार्यालय (37)** संघ सरकार के कार्यकलापों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं जिनमें सिविल मंत्रालय और विभाग, रक्षा, भारतीय रेल और डाक एवं दूरसंचार शामिल हैं।
- **प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड (एमएबी) के कार्यालय (12)** केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज़) की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। वे सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं को प्रमाणित करते हैं और सरकारी कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। वे पीएसयूज़ में अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा भी करते हैं।
- **विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय** के प्रमुख वाशिंगटन, लंदन और क्वालालम्पुर में प्रधान निदेशक हैं, जो लेखापरीक्षा दूतावासों और प्रत्येक क्षेत्र में अन्य सरकारी संस्थाओं की लेखापरीक्षा करते हैं। रोम में पीडीए कार्यालय विश्व खाद्य कार्यक्रम की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार (जुलाई 2016 में बन्द) है। यूएन बाह्य लेखापरीक्षक बोर्ड के सदस्य के रूप में साई इण्डिया द्वारा की जा रही संयुक्त राष्ट्रों की लेखापरीक्षा की निगरानी के लिए जून 2014 में न्यूयार्क में निदेशक बाह्य लेखापरीक्षा का नया कार्यालय स्थापित किया गया है।
- प्रत्येक राज्य में **प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) (41) कार्यालय** राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा, राज्य में सरकारी कम्पनियों, निगमों और स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।
- **प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (ले. एवं हक) द्वारा अध्यक्षित लेखा एवं हकदारी (ले. एवं हक) कार्यालय (28)** राज्य सरकार के लेखाओं के रख-रखाव और उनके कर्मचारियों के जीपीएफ एवं पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने के कार्य में लगे हैं।
- **प्रशिक्षण संस्थाएं (15)** तीन राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाएं तथा तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र आईएएडी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता निर्माण में लगे हैं।
- कार्यालयों की विस्तृत सूची इस रिपोर्ट के **अनुबंध II** में है।

**XIIक संघ सरकार की लेखापरीक्षा के लिए संगठनात्मक ढांचा**

मुख्यालय स्तर पर संघ सरकार की लेखापरीक्षा के लिए संगठनात्मक ढांचे को संक्षिप्त रूप में नीचे दिया गया।

	क्षेत्र
डीएआई (वाणिज्यक)	आर्थिक तथा अवसंरचना मंत्रालय
डीएआई (रिपोर्ट केन्द्रीय एवं स्थानीय निकाय)	सामाजिक एवं सामान्य सेवा मंत्रालय तथा स्थानीय निकाय
डीएआई (सरकारी लेखे)	सरकारी लेखे
डीएआई (केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा)	केन्द्रीय राजस्व / प्राप्तियां
डीएआई (रक्षा, संचार एवं रेलवे)	रक्षा, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेलवे

- मंत्रालयों की लेखापरीक्षा में लगे क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् महानिदेशक लेखापरीक्षा के कार्यालयों (केन्द्रीय व्यय), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आर्थिक सेवा मंत्रालय), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वैज्ञानिक विभाग), महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूरसंचार, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (रेलवे), महानिदेशक और प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा तथा वाणिज्य विभाग के प्रधान निदेशक को भी क्षेत्रीय रूपरेखा दी गई है।
- केन्द्र सरकार की इकाईयों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा हेतु नई दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता में तीन मौजूदा कार्यालयों के अतिरिक्त पोर्ट ब्लेयर, गुवाहाटी, ग्वालियर, कोच्चि, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, पटना, राँची तथा जयपुर में नौ शाखा कार्यालयों के साथ अप्रैल 2012 से छह अन्य कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद तथा लखनऊ में खोले गए हैं। ये नौ कार्यालय तथा नौ शाखा कार्यालय केन्द्र सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा का कार्य करते हैं।
- वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में संघ सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा हेतु मुख्यालय कार्यालय में एक विशेष सैल का गठन किया गया है।



XII।।।ख राज्य सरकारों की लेखापरीक्षा के लिए संगठनात्मक ढांचा

- राज्यों में सभी लेखापरीक्षा कार्यकलाप अर्थात् सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, प्राप्ति लेखापरीक्षा, राज्य स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, कार्य के निम्नलिखित वितरण के अनुसार एडीएआईज द्वारा समन्वित तथा पर्यवेक्षित किए जाते हैं।

एडीएआई – उत्तरी क्षेत्र	एडीएआई – मध्य क्षेत्र	एडीएआई – पूर्वी क्षेत्र	एडीएआई – पश्चिम क्षेत्र	एडीएआई – दक्षिण क्षेत्र	एडीएआई – उत्तर पूर्वी क्षेत्र
दिल्ली	बिहार	आंध्र प्रदेश	गोवा	कर्नाटक	अरुणाचल प्रदेश
हरियाणा	छत्तीसगढ़	तेलंगाना	गुजरात	केरल	असम
हिमाचल प्रदेश	झारखंड	ओडिशा	महाराष्ट्र		मणिपुर
जम्मू एवं कश्मीर	मध्य प्रदेश	पश्चिम बंगाल	राजस्थान		मेघालय
पंजाब	उत्तरप्रदेश	तमिलनाडु			मिजोरम
उत्तराखंड		पुदुचेरी			नागालैंड
					सिक्किम
					त्रिपुरा

- 2 अप्रैल 2012 से, 10 राज्यों³ में दो राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय अर्थात् प्रधान महालेखाकार (सामाजिक तथा सामान्य क्षेत्र) तथा प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) हैं। महाराष्ट्र के मामले में, प्रधान महालेखाकारों के बीच क्षेत्राधिकार का आवंटन भौगोलिक आधार पर है। अन्य राज्यों के मामलों में, जहां पर केवल एक महालेखाकार कार्यालय है वहाँ ग्रुप अधिकारियों के बीच अधिकार का आवंटन क्षेत्रीय आधार पर किया गया था।

³ आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।



- स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा के कार्यालयों का विलय प्रधान महालेखाकार (सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) से संबंधित कार्यालयों के साथ 2 अप्रैल 2012 से कर दिया गया है।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली राज्य एजेंसियों की लेखापरीक्षा को राज्य महालेखाकार द्वारा किए जाने के लिए जारी रखा जाएगा।

XIV लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

लेखापरीक्षा से सम्बन्धित विषयों में सीएजी को सलाह देने और निष्पादन में सुधार के लिए सुझाव देने और सीएजी के संवैधानिक अधिदेश के ढांचे के अन्तर्गत लेखापरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सीएजी की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें विविध क्षेत्रों से प्रसिद्ध पेशेवर शामिल हैं। यह बाहरी सलाह के लिए हमारी स्पष्टता का प्रतिबिम्ब है तथा अन्तर्राष्ट्रीय समकक्ष समीक्षा दल द्वारा एक उत्तम प्रयास के रूप में पहचाना गया है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक क्षमता में कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड को प्रत्येक दो वर्षों में पुनः गठित किया जाता है। 2015-17 के दो वर्ष के लिए अगस्त 2015 में गठित आठवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य निम्नानुसार थे:

श्री शशि कांत शर्मा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	पदेन अध्यक्ष
श्री के वी चौधरी केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त	सदस्य
सीए एम. देवराज रेड्डी अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान	सदस्य
डा. एल्विन दीदार सिंह महासचिव, भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योग सभा परिसंघ	सदस्य
श्री प्रदीप कुमार भूतपूर्व सीवीसी एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी	सदस्य
श्री शिव शंकर मैनन भूतपूर्व एनएसए एवं सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी	सदस्य
श्री नरेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त उप सीएजी	सदस्य



डा. अरूणा रॉय समाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
	सदस्य
डा. पार्थसारथी शोम अर्थशास्त्री	सदस्य
डा. वन्दना शिवा पर्यावरणविद	सदस्य
श्री आमिर खान अभिनेता एवं समाजिक प्रचारक	सदस्य
डा. नरेश त्रेहान चिकित्सा विशेषज्ञ	सदस्य
श्री सत्यजीत भटकल विजुअल मीडिया निदेशक	सदस्य
सभी उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक	पदेन सदस्य
सभी अपर उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक	पदेन सदस्य

नए पुर्नगठित लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की प्रथम बैठक 28 अक्टूबर 2015 को हुई थी। बोर्ड ने सामाजिक लेखापरीक्षा से संबंधित अन्य मामलों, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की लेखापरीक्षा, स्वास्थ्य व्यय पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता, कृषि क्रेडिटों की लेखापरीक्षा तथा मीडिया एवं अन्य भागीदारों के माध्यम से लेखापरीक्षा रिपोर्टों के प्रसार से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की अध्यक्षता के अन्तर्गत सभी राज्यों में भी किया जाता है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के सदस्य हैं। नामित सदस्य प्रख्यात शिक्षाविदों, पेशेवरों तथा सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में से लिए जाते हैं।



अध्याय 3

लेखापरीक्षण के महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ

विभाग के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा करना शामिल है।

इन लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम निरीक्षण रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र हैं। इन लेखापरीक्षा उत्पादों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करना आईएण्डएडी का मुख्य परिणाम क्षेत्र है। इस अध्याय में हमने हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की सूचना दी है तथा 2015-16 के दौरान हमारे लेखापरीक्षा उत्पादों का विशेष उल्लेख है।

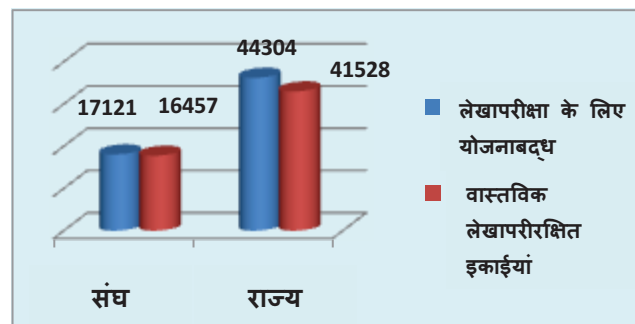
1. अनुपालना, निष्पादन, वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

आईएण्डएडी निष्पादन, वित्तीय तथा अनुपालना लेखापरीक्षा करते हैं। 2015-16 के दौरान की गई लेखापरीक्षाओं का विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है:

1क अनुपालना लेखापरीक्षा:

(i) लेखापरीक्षा कवरेज

2015-16 के दौरान कुल 57,985 ईकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। नीचे दिया गया ग्राफ दर्शाता है कि संघ स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 96.12 प्रतिशत एवं राज्य स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 93.73 प्रतिशत पूरा हो गया था।



**(ii) निरीक्षण प्रतिवेदन**

निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक लेखापरीक्षित इकाई की लेखापरीक्षा पूरी होने पर जारी लेखापरीक्षा का प्राथमिक उत्पाद है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित 57,985 इकाईयों में से 53,873 इकाईयों (92.91%) के मामले में 2015-16 में निरीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। संघ स्तर पर 92.03 प्रतिशत निरीक्षण प्रतिवेदन समय पर अर्थात् 30 दिनों के अन्दर जारी किये गये जबकि राज्य स्तर पर 73.58 प्रतिशत निष्पादन समय पर था।

	जारी निरीक्षण रिपोर्ट	30 दिनों के अंदर जारी निरीक्षण रिपोर्ट	30 दिनों में जारी निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतिशतता
संघ	16,304	15,005	92.03%
राज्य	37,569	27,644	73.58%
कुल	53,873	42,649	79.17%

(iii) अनुपालन लेखापरीक्षा में की गई आपत्तियाँ:

अनुपालन लेखापरीक्षा में की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया जाता है। 2015-16 के दौरान 2700 पैराग्राफ (संघ प्रतिवेदनों में 1,063 तथा राज्य प्रतिवेदनों में 1,637) इन प्रतिवेदनों में शामिल किये गये थे। संघ स्तर पर 1063 पैराओं में से 769 को स्वीकार कर लिया गया था और लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा 47 पैराओं को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था।

राज्य स्तर पर, 1637 पैराओं में से 630 स्वीकार कर लिये गये थे और लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा 257 पैरा आंशिक रूप से स्वीकार कर लिये गये थे।

ix निष्पादन लेखापरीक्षा

2015-16 के दौरान 196 निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुमोदन किया गया था। जैसा नीचे संक्षेप में दिया गया है।



	लेखापरीक्षा उत्पाद
संघ स्तर	34
राज्य स्तर	162
जोड़	196

।ग वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा

संघ तथा राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के अलावा, आईएएंडएडी सहायता प्राप्त करारों के भाग के रूप में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किए गए व्यय को भी प्रमाणित करता है।

हमने संघ और राज्य सरकारों, पीएसयूज, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अन्य के 5,105 लेखाओं की जांच की। 4,093 प्रमाण-पत्र निर्धारित समय सीमा में जारी किये गए।

	जांच किए गए लेखें	समय पर लेखापरीक्षा प्रमाणीकरण
संघ सरकार/राज्य सरकार	1174@	979@
पीएसयूज	1,144	813
स्वायत्त निकाय	804	435
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	251	197
अन्य	1732	1,669
जोड़	5,105	4,093 (80.18 प्रतिशत)

@सिविल मंत्रालय, रेलवे, पीएण्डटी तथा रक्षा के अनुदान सम्मिलित है। राज्य के वित्त तथा विनियोजन लेखे भी शामिल हैं।



लेखाओं के सत्यापन में विलम्ब अपूर्ण लेखे की प्राप्ति, लेखाओं के सत्यापन हेतु अभिलेखों की प्राप्ति न होने के कारण विलम्ब तथा आपत्तियों का निपटान न होना, लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उत्तर की प्राप्ति में विलम्ब, महत्वपूर्ण मामलों पर प्रबंधन के साथ चर्चा, प्रोफार्मा लेखाओं की विलम्ब से प्राप्ति, लेखाओं की बंछिंग, एसएपी-ईआरपी का क्रियान्वयन, धोखे की सूचना तथा अधिक विस्तृत संवीक्षा की आवश्यकता के कारण था।

।घ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संविधान का अनुच्छेद 151 यह दर्शाता है कि भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनों को तैयार करेगा और संसद या राज्य विधान मंडल, जैसा भी मामला हो; में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा।

हमने 2015-16 के दौरान 53 संसद तथा 135 राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु 188 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जिसमें 196 निष्पादन लेखापरीक्षाओं के परिणाम शामिल हैं) तैयार किए। इनमें से 6 प्रतिवेदन संसद हेतु तथा 45 प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल के लिए 31 मार्च, 2016 के पश्चात प्रस्तुत किए गए। इन प्रतिवेदनों के अलावा, पिछले वर्षों की 9 संघ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा 45 राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी 2015-16 के दौरान संसद/विधानमण्डल में प्रस्तुत किए गए थे।

हमने संघ तथा राज्य स्तर पर अपनी लेखापरीक्षित इकाईयों को 2,125 सिफारिशें की। इनमें से 864 सिफारिशों को स्वीकार किया गया था।

	वर्ष के दौरान तैयार प्रतिवेदनों की संख्या	की गई सिफारिशें	स्वीकृत सिफारिशें
संघ सरकार	53@	348	143
राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र	135@@	1777	721
जोड़	188	2125	864

@ इन 53 प्रतिवेदनों में से, 6 प्रतिवेदन 31.3.2016 के पश्चात संसद को प्रस्तुत किये गए थे।

@@ इनमें से केवल 90 प्रतिवेदन 2015-16 के दौरान राज्य विधायिका में प्रस्तुत किए गए।



II हमारा लेखापरीक्षा प्रभाव

IIक लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां

करों के कम निर्धारण या राजकोष में विशेष हानि से संबंधित हमारी कुछ लेखापरीक्षा आपत्तियाँ संबंधित पार्टियों से वसूलियों को अनिवार्य बना देती हैं। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के कहने पर की गई वसूलियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

(₹करोड़ में)

	बताई गई वसूलियां	स्वीकार की गई वसूलियां	प्रभावित वसूलियां
संघ स्तर	51,117	28,335	3,537
राज्य स्तर	36,972	11,112	986
जोड़	88,089	39,447	4,523

लेखापरीक्षित संस्थाओं ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूलियों का करीब 45 प्रतिशत स्वीकार किया। सरकार ने ₹ 4523 करोड़ की वसूली की जो वसूली के लिये बताई गई राशि का केवल लगभग 5.13 प्रतिशत तथा स्वीकृत राशि का 11.47 प्रतिशत है। वसूली गई राशि 2015-16 के दौरान आईएण्डएडी के कुल व्यय जो ₹ 3428.12 करोड़ था, से काफी अधिक है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान, लेखापरीक्षित इकाईयो ने हमारे द्वारा बताई गई ₹ 6,67.601 करोड़ की वसूली में से ₹ 2,26,987 करोड़ की वसूली को स्वीकार किया था तथा ₹ 20,833 करोड़ की प्रभावित वसूली जो सरकार के राजकोषीय प्रबंधन में आईएण्डएडी के योगदान को बताती है।

**॥ख निष्पादन लेखापरीक्षा**

2015-16 के दौरान 196 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दिया गया था। हमने 1,544 सिफारिशों की इनमें से लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा 768 सिफारिशों को स्वीकार किया गया जैसा नीचे दर्शाया गया है।

	लेखापरीक्षा उत्पाद	की गई सिफारिशें	स्वीकृत सिफारिशें
संघ स्तर	34	158	87
राज्य स्तर	162	1386	681
जोड़	196	1544	768

॥ग पीएसयूज़ के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव

सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के वार्षिक लेखाओं के मामले में हम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। 116 कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं में अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सुधार किये गये। इन परिवर्तनों का निहितार्थ निम्नलिखित था: (क) लेखाओं की टिप्पणियों में सुधार ₹ 36,601.02 करोड़ (ख) वर्गीकरणीय चूकें: ₹ 67,821.01 करोड़ (ग) लाभ तथा हानि में परिवर्तन: ₹ 2712.16 करोड़ (घ) परिसम्पत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन: ₹ 6576.86 करोड़।

॥ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष के दौरान संसद के समक्ष 56 प्रतिवेदन (पिछले वर्षों के 9 प्रतिवेदनों सहित) तथा राज्य विधानमंडल के समक्ष 135 प्रतिवेदनों (पिछले वर्षों के 45 प्रतिवेदनों सहित) को प्रस्तुत किया गया। इन प्रतिवेदनों की प्रतियां हमारी वेबसाइट www.cag.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन प्रतिवेदनों में दर्शाए गए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दर्शाए गए हैं:



III क ससंद में प्रस्तुत सीएजी के प्रतिवेदन

राजस्व विभाग- सीमाशुल्क (2016 का प्रतिवेदन संख्या 5)

- छोड़े गए राजस्व में निर्यातों में अनुरूप वृद्धि के बिना चरघातांकी तरीके से वृद्धि हुई। योजनाओं के अंतर्गत छोड़े गए कुल राजस्व का 80 प्रतिशत पांच योजनाओं के कारण था।
- वित्तीय वर्ष 15 की समाप्ति पर मार्च 2015 तक मांग किए गए ₹ 20,808 करोड़ के सीमा शुल्क की उगाही नहीं की गई थी। इसमें से ₹ 6,211 करोड़ अविवादित थे। वि.व. 15 के दौरान आठ जोनों में कुल राजस्व बकाया का 76 प्रतिशत बना।
- कुल ₹ 53.65 करोड़ के सीमाशुल्क के गलत निर्धारण के मामले हुए थे।
- निर्यातकों/आयातकों से ₹ 168.94 करोड़ का प्राप्य था जिन्होंने शुल्क छूट का लाभ उठाया था किन्तु निर्धारित दायित्व /शर्तें पूरी नहीं की थी।

राजस्व विभाग- सीमाशुल्क 'प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु चढ़ी हुई धातु और उसकी वस्तुएं, नकली गहने, सिक्के' पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2016 की प्रतिवेदन संख्या 6)।

- छोड़ा गया शुल्क वि.व. 11 में 14 प्रतिशत से वि.व. 2015 में आयात के मूल्य के 20 प्रतिशत तक बढ़ा। 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि हेतु छोड़ा गया कुल सीमाशुल्क ₹ 12,26,033 करोड़ था जिसमें रत्न एवं आभूषण क्षेत्र का शेयर 25 प्रतिशत (₹ 3,01,042 करोड़) था।
- अध्याय 71 के अन्तर्गत सोने के आयात ने आभूषण के निर्यात की तुलना में नकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एनएफईई) का सामना किया।
- मूल्यांकन डाटाबेस प्रबंधन तथा सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा एप्लीकेशन में अंतर से व्यापार के गलत परिचालन में क्रमिक वृद्धि हुई जिसके कारण विदेशी मुद्रा/पूंजी का बहिर्वाह हुआ।
- वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान एशियाई देशों से सोने के आभूषण के आयात में वृद्धि थी जब 20:80 योजना प्रचलन में थी; क्योंकि सोने के बार का आयात सामान्य आयातकों के लिये प्रतिबंधित था।
- औसतन 64 प्रतिशत आयातित सोने के आभूषण 120 विषम स्रोत देशों में से स्विजरलैंड, यूएई और हांगकांग से थे। तथापि, यूएई और हांगकांग को



छोड़कर आयातक देशों को निर्यात नहीं किया जा रहा था। समान रूप से, आभूषण का 63 प्रतिशत निर्यात यूएई और हांगकांग को था।

- देशी व्यापार विश्लेषण; बार-बार लेन देन, संबंधित पार्टी लेन देन के मामले, उल्टी शुल्क संरचना और पुनः निर्यात को दर्शाते हैं। इसने विस्तृत जांच को आवश्यक बनाया।
- डीओसी को रत्न और आभूषण क्षेत्र के विकास के लिये सक्षम पर्यावरण और संरचना को सुविधाजनक बनाना अधिदेशित था। तथापि, एफटीपी 2015-20 में जीएंडजे क्षेत्र के लिये कोई परिभाषित प्रावधान नहीं किया गया।

राजस्व विभाग –प्रत्यक्ष कर (2016 का प्रतिवेदन सं. 3)

इस प्रतिवेदन में ₹ 2,745.50 करोड़ के कर प्रभाव वाली 455 लेखापरीक्षा आपत्तियां निहित हैं। हमने निगम कर से संबंधित ₹ 2459.03 करोड़ के कर प्रभाव वाले 312 मामले, आयकर से संबंधित ₹286.29 करोड़ के कर प्रभाव वाले 137 मामले तथा धन कर से संबंधित ₹ 0.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले छः मामले बताए। इसके अलावा 10 हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मामले तथा 'कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में डालने' पर एक दीर्घ पैरा भी बताया।

- आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 127.67 करोड़ की वसूली की।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 2,490.8 करोड़ के कर प्रभाव के 3,881 मामले थे जो उपचारी कार्रवाई हेतु समयबाधित हो गए थे।
- प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तरों के लम्बन के परिणामस्वरूप 50,005 मामले इक्ठ्ठा हो गए जिनमें 31 मार्च 2015 तक ₹ 62,415.2 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल है।
- नमूना जांच की गई लेखापरीक्षित इकाईयों के संदर्भ में वसूली हेतु दुष्कर मांग की राशि वि.व. 2012-13 में ₹ 34,962.26 करोड़ से वि.व. 2014-15 में ₹ 74,077.78 करोड़ तक बढ़ी। इसमें से नौ राज्यों में वि.व. 2012-13 से 2014-15 के दौरान केवल ₹ 2.21 करोड़ को बट्टे खाते में डाला गया था।



राजस्व विभाग- प्रत्यक्ष कर-आयकर विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्याचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2015 का प्रतिवेदन संख्या 25)

- आन्तरिक लेखापरीक्षा ने सौंपे गए मामलों में से केवल 81.8 प्रतिशत की जांच की। अधिक जोखिम इकाईयो के चयन की पद्धति नहीं थी।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा ज्ञापन समय पर जारी न करना {6 सीएसआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभार}, जारी करने (15 क्षेत्रों) के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन न बनाना तथा उपचारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करने अथवा पूर्ण करने में विलम्ब देखे गए (13 क्षेत्र)। छः क्षेत्रों में ₹134.10 करोड़ के कर प्रभाव वाले तिहत्तर मामले देखे गए जहां आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटान उचित उत्तर के बिना अथवा उपचारात्मक कार्रवाई पूर्ण किए बिना किया गया था।
- 11 सीएसआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभारों में आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹392.65 करोड़ के कर प्रभाव वाले 1,553 मामले समय बाधित हुए। आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की अनुवर्ती कार्रवाई तथा निपटान के लिए अन्तर-विभागीय बैठके आयोजित नहीं की गईं ।
- प्रधान सीसीए (सीबीडीटी) के आईएपीज ने सीबीडीटी द्वारा उल्लिखित कार्यक्षेत्र के अनुसार आरटीआई की लेखापरीक्षा, प्रणाली लेखापरीक्षा, ई-भुगतान लेखापरीक्षा तथा प्रतिदाय लेखापरीक्षा नहीं की। वि.व. 2010-11 से 2013-14 तक के दौरान श्रमबल में कमी के कारण लेखापरीक्षा कवरेज में कमी 10 से 774 इकाई के बीच थी। लेखापरीक्षा ने आईआरज जारी करने में विलम्ब, आईआर जारी होने के पश्चात उत्तरों की प्राप्ति में विलम्ब तथा पैराओं के निपटान में लम्बन के मामले देखे।

रक्षा सेवाएं (वायु सेना) -हल्के लड़ाकू वायुयान के डिजाइन, विकास, विनिर्माण तथा अधिष्ठापन पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2015 का प्रतिवेदन संख्या 17)

- दो प्रोटोटाइपों के अग्रिम निर्माण के वैमानिक विकास एजेंसी (एडीए) का निर्णय वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा क्योंकि प्रोटोटाइप में महत्वपूर्ण ऑनबोर्ड सिस्टम कम थे।



- हल्के लडाकू विमान (एलसीए) मार्क-1 में एसआर को पूरा करने में काफी कमी थी जिसके फलस्वरूप परिचालनात्मक क्षमताएं, उत्तरजीविता तथा नियोजनीयता कम हुई।
- दीर्घ विकास प्रक्रिया अवधि के परिणामस्वरूप मल्टी मोड राडार/हेलमेट उन्मुक्त प्रदर्शन के साथ आर-73ई मिसाइल के विलम्बित समेकन को दर्शाने के साथ वायुयान पर डिजाइन परिवर्तनों को अनिवार्य बनाने वाले एलसीए पर शस्त्र सिस्टम में परिवर्तन हुआ तथा दृश्य एवं विजुअल रेंज मिसाइल की विलम्बित पहचान ने विलम्ब में योगदान दिया।
- आईएफ द्वारा निर्दिष्ट अनुसार एलसीए मार्क-1 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं में अपूर्ण था।
- एडीए ने एलसीए विकास के दौरान स्वदेशीकरण के लिए कोई रोडमैप नहीं बनाया। एलसीए का स्वदेशी तत्व लगभग 35 प्रतिशत परिकल्पित किया गया था (जनवरी 2015)।
- स्वदेशी विकास हेतु आरम्भ की गई एलसीए प्रणालियों का सफलतापूर्ण विकास नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप इन प्रणालियों के आयात पर निर्भरता जारी रही।
- उस समय जब एलसीए डिजाइन पूरा किए जाने के निकट भी नहीं था, तब रक्षा मंत्रालय द्वारा 2006 में एचएएल को 20 आईओसी अनुबंध सौंपना समय से पूर्व था। आईओसी समाकृति वायुयान की आपूर्ति के प्रारम्भ से पूर्व रक्षा मंत्रालय द्वारा एचएएल को 20 एफओसी समाकृति वायुयान की आपूर्ति के लिए ठेका देना (दिसम्बर 2010), डिजाइनों को स्थिर रखना तथा एफओसी प्राप्त करना भी समय से पूर्व था। एचएएल के पास इनका उपयोग किए बिना 2010 से ₹ 1509.22 करोड़ के अग्रिम थे (जनवरी 2015)।
- एलसीए के विनिर्माण तथा आपूर्ति में विलम्ब के कारण, आईएफ को ₹ 20,037 करोड़ की लागत पर मिग बीआईएस, मिग -29, जगुआर तथा मिराज वायुयान का उन्नयन तथा मिग -21 को हटाने में संशोधन करना पड़ा था ।



**रक्षा सेवाएं (थल सेना)-थलसेना में गोला बारूद प्रबंधन पर निष्पादन प्रतिवेदन
(2015 का प्रतिवेदन संख्या 19)**

- **गोला-बारूद की कमी:** गोला-बारूद संचय का (40 दिनों का युद्ध क्षति रिजर्व) प्राधिकृत स्तर प्राप्त करने की नीति को कार्यान्वित नहीं किया था। न्यूनतम स्वीकार्य जोखिम स्तर (एमएआरएल) पर भी गोला-बारूद के भण्डारण को एचक्यू द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था।
महत्वपूर्ण गोला-बारूद (10 दिनों से कम की उपलब्धता सहित) के प्रकार रखे गए गोला बारूद के कुल प्रकारों में मार्च 2009 में 15 प्रतिशत से मार्च 2013 में 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी।
- **ओएफबी को दिए गए अधिप्राप्ति आदेशों का फलन न होना:** कुछ मामलों में 100 प्रतिशत तक कमी के साथ एफओबी गोला-बारूद की लक्षित मात्रा की आपूर्ति करने में निरन्तर विफल हुआ। 2008-09 से 2012-13 के दौरान गोला-बारूद के प्रकारों में गिरावट 54 से 73 प्रतिशत के बीच थी।
- अधिप्राप्ति के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में आयात अनुचित रूप से धीमा सिद्ध हुआ क्योंकि 2008-13 तक की समयावधि के दौरान पूंजीगत माध्यम से अधिप्राप्ति हेतु उपक्रमित नौ मदों के प्रति गोला बारूद की कोई भी अधिप्राप्ति नहीं की गई।
- आयुध निर्माणियों द्वारा अप्रभावी गुणवत्ता नियंत्रणों के कारण गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी द्वारा अंतिम जांच में अंतिम उत्पादों की अस्वीकृति हुई। निरंतर गुणवत्ता समस्याओं के कारण ₹ 1,618 करोड़ मूल्य का गोला-बारूद डिपो में अस्वीकृत रूप में पड़ा था। खराब गुणवत्ता के कारण ₹ 814 करोड़ के गोला-बारूद को उसकी शैल्फ लाइफ के अन्दर ही अप्रयोज्य घोषित किया गया।
- अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में ₹ 3,578 करोड़ मूल्य का गोला-बारूद अलग की हुई दशा में पड़ा था तथा ₹ 2,109 करोड़ मूल्य का गोला - मरम्मत की प्रतीक्षा में बारूद भारी मरम्मत योग्य दशा में पड़ा था।



रक्षा सेवाएं- नौसेना तथा समुद्र तट रक्षक (2015 का प्रतिवेदन संख्या 37)

- आईएनएस सिंधुकिर्ती का मध्यम मरम्मत सह उन्नयन: जनवरी 2009 तक पूरा होने हेतु निर्धारित एक ईकेएम सबमरीन की मीडियम मरम्मत (एमआर) शिपयार्ड द्वारा केवल जून 2015 में की गई। परिणामस्वरूप नौसेना अपने एक घातक प्लेटफॉर्म का परिचालन करने में असक्षम थी।
- कानूनी सलाहकार (रक्षा) से परामर्श मांगने में प्रमुख अभियंता शाखा द्वारा असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ के शास्तिक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।
- 2003 में ₹ 58.77 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत परियोजना 12 वर्षों तथा ₹ 83.78 करोड़ के व्यय के पश्चात भी क्षीयमान थी।

रक्षा सेवाएं- (वायु सेना) (2015 का प्रतिवेदन संख्या 38)

- प्राप्त किए गए उड़ान कार्य के परिप्रेक्ष्य में तीन 'एए' की परिचालन क्षमताओं का मुख्यता 'एए' की अव्यवहार्यता के कारण उप-इष्टतम उपयोग हुआ था।
- वायु रक्षा निगरानी की गंभीर आवश्यकता को ₹ 454.48 करोड़ का व्यय करने के बावजूद 19 कम स्तर परिवहनीय राडार (एलएलटीआरज) की आपूर्ति में अत्यधिक विलम्ब के कारण विगत 17 वर्षों में पूरा नहीं किया गया था। कोई भी एलएलटीआर चालू नहीं किया गया है (जून 2015)।
- लेखापरीक्षा ने वार्षिक परिचालनात्मक कार्य योजनाओं (एओडब्ल्यूपीज) में अयोग्य कार्यों का समावेश पाया।
- रक्षा अनुसंधान विकास संगठन प्रयोगशालाओं द्वारा की गई 14 मिशन मोड परियोजनाओं की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि सभी परियोजनाएं अपनी समयसीमा प्राप्त करने में विफल रही।
- अभिज्ञात वायुयान प्लेटफॉर्म की गलत पहचान/विलम्बित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप नवीनतम आसूचना प्रणाली की स्थापना में विलम्ब हुआ। 'सैद्धांतिक अनुमोदन' के बारह वर्षों के उपरान्त प्रणाली प्राप्त की गई तथा ₹88.70 करोड़ का व्यय सॉफ्टवेयर मामले से पीड़ित रहा।



- किसी खराबी/विकृति की पहचान किए बिना पूर्व पुनः सतहीकरण के तीन वर्षों के अन्दर रनवे के नए बड़े हुए भाग का पुनः सतहीकरण अपेक्षित स्वीकृति के बिना हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.48 करोड़ का अविवेकपूर्ण व्यय हुआ।
- एचएएल के पास बेंगलुरु परिसर में ₹ 1,499.53 करोड़ के बाजार मूल्य की भूमि के लिए निर्णय प्रतियां नहीं थीं। नासिक में एचएएल के कब्जे में 265 एकड़ से ज्यादा भूमि हेतु कोई करारनामा नहीं था (मार्च 2015)।

एचएएल ने गन्दी बस्तियां होने के बावजूद बेंगलुरु में भूमि अधिग्रहण किया था तथा यह गन्दी बस्तियां खाली नहीं करा सका। कोरापुट में, 50.21 एकड़ एचएएल भूमि 25 वर्षों से स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण के अन्तर्गत थी।

- 11 जेवीसीज में ₹ 225.14 करोड़ के कुल निवेश के प्रति, एचएएल ने पांच जेवीसीज में किए ₹49.90 करोड़ के निवेश मूल्य में पहले ही कमी का प्रावधान किया था।
- तैयारी के मानदण्ड (एसओपी) को फ्रीज किए बिना निर्धारित सुपुर्दगी कार्यक्रम की स्वीकृति तथा परिवर्तित आदेशों के माध्यम से कार्य न करने के परिणामस्वरूप मार्च 2014 तक निर्णीत हानि के प्रति ₹ 7.19 करोड़ की देयता हुई तथा अनुबंध की प्रगति के साथ एचएएल को आगे हानियों की संभावना थी।

रक्षा सेवाएं-थलसेना, आयुध निर्माणी तथा रक्षा पीएसयूज (2015 का प्रतिवेदन संख्या 44)

- थलसेना एक दशक से कॉम्बेट फ्री फाल (सीएफएफ) स्पेशलाइज्ड पैराशूट के बिना थी। डीआरडीओ द्वारा 2006 में विकसित सीएफएफ पैराशूट ₹ 10.75 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा सफलता से उत्पादित नहीं किए जा सके।
- थलसेना विमानन दल अपनी प्राधिकृत फ्लीट संख्या के प्रति 32 प्रतिशत कमी से त्रस्त था। रखे गए हेलीकॉप्टर 30 वर्षों से अधिक पुराने 52 प्रतिशत फ्लीट के साथ पुराने तथा कालिक क्षय थे। परिचालन के लिए



हेलीकॉप्टर की प्रभावी उपलब्धता मौजूदा फ्लीट की सेवायोग्यता के कम स्तर के कारण प्राधिकरण के 40 प्रतिशत तक और कम हुई।

- भारतीय थलसेना में भारतीय थलसेना के यान्त्रिक इन्फेन्ट्री के मुख्य आधार बीएमपी वाहनों के धारण में 47 प्रतिशत की कमी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि कमी का प्रमुख कारण ओएफबी द्वारा आपूर्ति में विलम्ब था।
- रक्षा मंत्रालय(थलसेना) के समाकलित मुख्यालयों ने दिसम्बर 2011 में टैंक को अप्रचलित घोषित किए जाने के बाद भी टैंक टी-55 के कमांडर के लिए ₹ 22.12 करोड़ मूल्य के इमेज इन्टेंसिफायर (II) साइटों की खरीद की। अप्रैल 2014 तक ₹ 12.90 करोड़ मूल्य के 252 II साइट को अभी भी स्टॉक में रखा गया था।
- लेखापरीक्षा हेतु चयनित 44 जीईज में से 25 द्वारा ₹ 24.54 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। इसके अलावा, 41 जीईज निजी पार्टियों सहित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से ₹23.66 करोड़ मूल्य के विद्युत प्रभारों की वसूली करने में विफल हुए।
- भारतीय फौज अकादमी (आईएमए), देहरादून के लिए इंजीनियरों द्वारा कार्य की अपर्याप्त मॉनीटरिंग के परिणामस्वरूप ₹ 22.75 करोड़ लागत का प्रमुख बिलडिंग कार्य पूर्ण नहीं हुआ। पांच वर्षों के विलम्ब ने केवल आधुनिक सुविधाओं के साथ उचित प्रशिक्षण के लिए भद्र कैडेट को ही वंचित नहीं किया था अपितु ₹ 2.50 करोड़ मूल्य की अन्य प्रशिक्षण परियोजनाओं में भी रूकावट की थी।
- राइफल फैक्ट्री इशापुर (आरएफआई) द्वारा ₹ 4.09 करोड़ की लागत पर संस्थापित (जून 2006) नया उप स्टेशन निष्क्रिय पड़ा था क्योंकि आरएफआई नौ वर्षों के पश्चात भी अपेक्षित स्विच गियरो को खरीदने तथा संस्थापित करने में विफल था।
- जबकि नई प्रौद्योगिकी को अभी प्रमाणित होना था तब मै. बीईएमएल द्वारा कच्चे माल की निरन्तर खरीद तथा शवल का मिलान किए बिना डम्पर के उत्पादन के परिणामस्वरूप ₹ 16.14 करोड़ मूल्य की मालसूची अवरुद्ध हुई।



रक्षा सेवाएं-थलसेना- भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2015 का प्रतिवेदन संख्या-51)

- सशस्त्र सेना चिकित्सा भण्डार डिपो (एफएमएसडीज) इंडेंटिड दवाईयों की अपेक्षित मात्राओं की आपूर्ति में विफल हुआ जिसके परिणामस्वरूप पॉलिक्लिनिको पर इनकी भारी कमी हुई। एफएमएसडी, मुम्बई के मामले में कमी 63 से 76 प्रतिशत के बीच थी जबकि एफएमएसडी, दिल्ली छावनी के मामले में कमी 30 से 45 प्रतिशत के बीच थी।
- ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए खरीदी गई दवाएं/औषधियां नियमित सेवा कर्मिकों की चिकित्सा हेतु विपथित की जा रही थी। सेना अस्पताल अनुसंधान एवं रेफरल (एचआरआर) दिल्ली छावनी में ऐसे तरीके से विपथित दवाइयों की राशि ₹ 40.78 करोड़ तक थी।
- ₹ 23.61 करोड़ की राशि के 4,986 बिल जो अलेखांकित थे, का भुगतान एसएचक्यू (ईसीएचएस सेल) दिल्ली छावनी द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों को किया गया। लेखापरीक्षा ने दोहरे भुगतान तथा लेखांकन के नियंत्रण में अभाव के मामले देखे जिसने बिलों के लेखांकन तथा भुगतान में कमी पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि की।
- नमूना जांच से समझौता ज्ञापन के अननुपालन के कारण सूचीबद्ध अस्पतालों को ₹ 3.51 करोड़ के अधिक भुगतान का पता चला।
- बीपीए तथा सीएफए द्वारा बिलों के संसाधन में अनुबंधित समय सीमा का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 34.10 करोड़ राशि सूचीबद्ध अस्पतालों को देय के दो प्रतिशत राशि पर छूट प्राप्त नहीं की जा सकी।

संचार तथा आईटी (2015 का प्रतिवेदन संख्या 55)

दूरसंचार विभाग (डीओटी)

- 2008 में उन लाइसेंस धारकों जिनके लाइसेंसों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवम्बर 2012/मार्च 2013 में 1800 मेगाहर्ट्स /800 मेगाहर्ट्स में स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी कीमत के प्रति अवैध और खारिज कर दिया था, द्वारा प्रदत्त ₹ 5,476.30 करोड़ के अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क के समंजन ने सरकार को ₹ 5,476.30 करोड़ से वंचित कर दिया।



- केन्द्र सरकार, अपने स्वयं के कानूनी डिविजन तथा कानून मंत्रालय, न्याय तथा कम्पनी मामले, के निर्देशों को नजरअंदाज कर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सम्पूर्ण देश में क्षेत्रीय कार्यालय खोले तथा मार्च 2014 तक ₹ 14.12 करोड़ का व्यय किया। आरओज के कार्यचालन तक भविष्य में भी व्यय किया जाएगा।

डाक विभाग

- अपेक्षित सॉफ्टवेयर का विकास किए बिना बारकोडिड बैग लेबलो की खरीद के परिणामस्वरूप अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति न होने के अलावा ₹ 1.71 करोड़ का अविवेकपूर्ण व्यय हुआ।

इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

- कम्प्यूटर एडिड डिजिटल मैपिंग परियोजना के लिए डाटा की मूल मैपिंग पर किया गया ₹14.25 करोड़ का व्यय अनुपयुक्त योजना के कारण निष्फल रहा। उपयुक्त मॉनीटरिंग के अभाव तथा विभिन्न स्तरों पर विलम्बों के परिणामस्वरूप ₹ 12.10 करोड़ मूल्य के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर अप्रचलित हो गए। एनआईसी ने इन हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर जो राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना में अनुपयुक्त रहे की खरीद पर ₹ 35.20 करोड़ के व्यर्थ निवेश के अतिरिक्त किराए तथा अनुरक्षण प्रभारों पर ₹ 3.74 करोड़ का व्यर्थ व्यय भी किया।

मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

- बीएसएनएल द्वारा दोषपूर्ण योजना के कारण मेगनेटिक टेप एम्युलेटर्स की खरीद राजस्व आश्वासन के आंशिक क्रियान्वयन तथा धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणालियां तथा आईपीडीआर के बिल न बनाने/बिल बनाने में विलम्ब पर ₹8.80 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
- नेशनल इन्फोर्मेटिक सेन्टर सर्विसेज इंक (एनआईसीएसआई) ने सरकारी निर्देशों के उल्लंघन में 2010-11 से 2013-14 तक के दौरान ₹ 2.11 करोड़ के परियोजना प्रोत्साहन, ₹ 48.87 लाख के परिवहन भत्ते, ₹ 16.58 लाख के मकान किराया भत्ते का भुगतान किया तथा अपने उन अधिकारियों जो नेशनल इन्फोर्मेटिक सेन्टर से प्रतिनियुक्ति पर थे, को ₹ 1.90 करोड़ के एलटीसी की प्रतिपूर्ति की।



वाणिज्यिक -केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज) का सामान्य उद्देश्य वित्तीय प्रतिवेदन 2016 का संख्या 9

- 17 कम्पनियों द्वारा लाभांश की घोषणा में सरकार के निर्देशों के अननुपालन के परिणामस्वरूप 2014-15 के लिए लाभांश के भुगतान में ₹ 2,521 करोड़ की कमी हुई।
- 157 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में से 64 में इक्विटी निवेश को उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्ण रूप से खत्म किया गया था। इसके फलस्वरूप, 31 मार्च 2015 तक इन कम्पनियों की कुल निवल सम्पत्ति ₹ 74,100 करोड़ तक नकारात्मक हो गई थी।
- वर्ष 2014-15 के दौरान, 185 सीपीएसईज पर सीएसआर के प्रावधान लागू किए गए। इनमें से 36 सीपीएसईज के पास ₹ 977 करोड़ की अव्ययित राशि थी।
- कार्पोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई)/भारत के प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के दिशानिर्देश यद्यपि अनिवार्य थे परन्तु कुछ सीपीएसईज द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा था। दिशानिर्देशों का पालन न करने में मुख्य रूप से स्वतंत्र निदेशकों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा सचेतक तंत्र का अभाव शामिल था।
- 36 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों द्वारा अधिक नकद के प्रबंधन के अध्ययन से पता चला कि:-
 - i. चार सीपीएसईज ने कर के पश्चात् पर्याप्त लाभ रखने के बावजूद आवश्यक रूप से ₹ 1,718 करोड़ का लाभांश संवितरित नहीं किया।
 - ii. तीन सीपीएसईज ने अधिक मुक्त रिजर्व रखने के बावजूद कर के पश्चात् अपर्याप्त लाभ के कारण डीपीई द्वारा आवश्यक रूप में ₹ 5,237 करोड़ का लाभांश संवितरित नहीं किया।
 - iii. 27 सीपीएसईज के मामले में, मुक्त रिजर्व उनकी भुगतान की गई पूँजी से तीन गुना अधिक थे। हालांकि, 24 सीपीएसईज के मामले में डीपीई द्वारा आवश्यक रूप में बोनस शेयर जारी नहीं किए गए थे।



- iv. आठ सीपीएसईज़ के मामले में, प्रबंधनों को डीपीई द्वारा आवश्यक रूप में शेयरों को पुनः खरीदने की व्यवस्था करने के लिए संबंधित अनुच्छेदों में अभी संशोधन करना है।
- v. दस सीपीएसईज़ ने डीपीई द्वारा आवश्यक रूप में नकद अधिशेष का निवेश करने के लिए अपनी निवेश नीति नहीं बनाई।

वाणिज्यिक - 'अनियंत्रित फोस्फेटिक और पोटैसिक फर्टीलाइजर्स हेतु पोषक तत्व आधारित आर्थिक सहायता नीति' पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2016 की रिपोर्ट संख्या 16)

- नवम्बर 2010 में उचित स्तर पर पोषक तत्व आधारित आर्थिक सहायता हेतु बेंचमार्क मूल्य निर्धारित न करके, भारत सरकार ने ₹ 5,555 करोड़ की आर्थिक सहायता की बचत का अवसर खो दिया।
- देश में उपलब्धता के बावजूद आयतित डाई-अमोनियम फोस्फेट (डीएपी) की आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिये फर्टीलाइजर्स विभाग के निर्णय ने जिला स्तर पर आयतित डीएपी प्रेषित करने और ₹ 653 करोड़ की परिहार्य सब्सिडी का दावा करने के लिये फर्टीलाइजर्स कम्पनियों को सक्षम बनाया।

वाणिज्यिक - अनुपालन लेखापरीक्षा (2015 की रिपोर्ट संख्या 21)

- नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) शेयरधारक करार के प्रावधानों को एयरपोर्ट इकॉनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (एरा) के ध्यान में लाने में विफलता के कारण दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकास शुल्क का उदग्रहण हुआ जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों पर ₹ 3,415.35 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड को अधिवहित लागत के वित्तपोषण पर सहमति ना देने से ₹ 1,064.94 करोड़ के कारोबार अवसर की हानि हुई, यद्यपि ऋण को कम्पनी द्वारा वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के बाद पुनः संरचित कर दिया गया था।
- एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड ने 18 नए विमानों के अधिग्रहण हेतु औचित्य, क्रू की कमी, अलाभकारी मार्गों की परवाह ना करते हुए चार विमानों के ड्राई लीज का नवीकरण किया था जिसके कारण संबंधित पट्टा प्रभारों के प्रति



मार्च 2011 और मई 2014 के बीच ₹ 405.83 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

- स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पश्च नौवहन वित्त योजना के कार्यान्वयन में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 347.70 करोड़ के प्राप्य की वसूली नहीं हुई। ₹ 17.07 करोड़ के बीमा प्रीमियम पर निष्फल व्यय के अलावा एक्सिम बैंक द्वारा स्वीकार की गई संदेहास्पद वैधता वाले निर्यात दस्तावेजों पर भी छूट देखी गई थी।
- एएआई ने अपनी क्रेडिट नीति के अनुसार कार्रवाई नहीं की और क्रेडिट सुविधा हटाने के बाद भी क्रेडिट आधार पर अपने प्रचालनों को जारी रखने के लिए मै. किंगफिशर एयर लाइन्स को अनुमति दी थी। एएआई ने एयरलाइन्स की बैंक प्रत्याभूति के नकदीकरण के अलावा सभी वैध साधनों को लेने के लिए एमओसीए के परामर्श पर समय से कार्रवाई भी नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 117.03 करोड़ की ब्याज हानि के अलावा ₹ 172.69 करोड़ के राजस्व हानि हुई (फरवरी 2014 तक)।
- 1984 में शुरू किया गया वाटर इंजेक्शन प्लेटफार्म (डब्ल्यूआईएन) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), मुम्बई में मुख्य वाटर इंजेक्शन हब है। डब्ल्यूआईएन पुनर्निर्माण परियोजना के इसकी सहायक पाइपलाइनों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के साथ समकालन ना करने और मुख्य इंजेक्शन पम्पों की मरम्मत करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 726.50 करोड़ व्यय करने के बाद भी डिजाइन की गई वाटर इंजेक्शन क्षमता को प्राप्त नहीं किया जा सका था।
- वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित किए बिना नेशनल टैक्सटाइल्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने इस तथ्य की अवहेलना करते हुए कि यह मुख्य पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि है पूर्व मालिक के साथ भूमि सहभाजन के लिए समझौता करार किया जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 205.01 करोड़ की हानि हुई।
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की ₹ 778.82 करोड़ के कुल निवेश के साथ 31 मार्च 2014 तक 23 संयुक्त उद्यम कम्पनियां (जेवीसीज) थीं। केवल सात पूर्ण रूप से प्रचालित थीं जिनमे से केवल तीन



लाभ प्राप्त कर रही थीं। चार जेवीसी समाप्त की जा रही थी। सेल बाजार कीमत से काफी कम कीमतों पर जेवी को स्लैग की आपूर्ति कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप सेल को 2013-14 तक ₹ 156.58 करोड़ की हानि हुई।

- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने दिसम्बर 2014 तक ₹ 153.36 करोड़ की हानि वहन की क्योंकि इसने सुलभ ऋणों जो इसने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत दिए थे पर ब्याज अंतर की प्रतिपूर्ति के लिए विद्युत मंत्रालय को नहीं कहा।
- सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों से अधिक अर्धवेतन छुट्टी के साथ बीमारी अवकाश या अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु अवकाश नियामवली/नीति डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में थी और इसके परिणामस्वरूप 4 सीपीएसईस के संबंध में अप्रैल 2006 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ₹ 157.91 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ। दो सीपीएसईज (आईओसीएल एवं गेल) ने कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के संबंध में भविष्य निधि के आधार पर ₹ 12.15 करोड़ का अनियमित योगदान दिया। इसके अलावा, गेल ने मार्च 2008 से पूर्व भुगतान किए गए अवकाश नकदीकरण पर ₹ 14.94 करोड़ के कर्मचारी के योगदान हिस्से का समायोजन नहीं किया था।

वाणिज्यिक - दामोदर वैली कार्पोरेशन द्वारा 2007-12 के दौरान विद्युत उत्पादन के संबंध में क्षमता वृद्धि पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2015 की रिपोर्ट संख्या 22)

- अधीन कोयला ब्लकों के विकास में विलम्ब के कारण निगम ने सस्ता कोयला उपयोग करने का अवसर खो दिया। इसके अलावा इसको वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) के अतिरिक्त कोयले की खरीद के प्रति निष्पादन प्रोत्साहन (पीआई) के रूप में अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी थी।
- भूमि का अधिपत्य न होने के कारण निगम कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन पर स्थाई राख कुण्ड का निर्माण नहीं कर सका। निगम को ₹ 36.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करके एक अस्थायी राख कुण्ड का निर्माण करना पड़ा था।



- पांच पूर्ण यूनिटों और विकसित चरण की एक यूनिट की वास्तविक लागत मूल अनुमोदित लागत की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक थी। निर्माणाधीन शेष तीन यूनिटों की वास्तविक लागत मूल अनुमोदित लागत की अपेक्षा 42 प्रतिशत अधिक थी।
- 11वीं योजना परियोजनाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठापित नई यूनिटों की क्षमता का उन्तालीस प्रतिशत (975 मे.वा.) और शीघ्र शुरू होने वाली यूनिटों की क्षमता का तैंतीस प्रतिशत (725 मे.वा.) सम्भावित उपभोक्ताओं को आवंटित नहीं किया जा सका, परिणामस्वरूप विद्युत बेशी हो गई।
- 11वीं योजना अवधि के दौरान निर्माण हेतु उद्दिष्ट विद्युत परियोजनाओं में से कोई भी निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर प्रतिष्ठापित नहीं हुई थी परिणामस्वरूप ₹ 1011.73 करोड़ की इक्विटी पर अतिरिक्त प्रतिफल अर्जित करने का अवसर खो दिया।
- 11वीं योजना के अधीन प्रतिष्ठापित सभी पांच यूनिटों का क्षमता उपयोग बॉयलर ट्यूब रिसावों, टर्बो जेनरेटर, विद्युत प्रणाली और नियंत्रण एवं उपकरणीकरण में समस्याओं द्वारा यूनिटों के अनिवार्य अनुपयोग के कारण कम था। परिणामस्वरूप, निगम 2345.27 एमयू का उत्पादन नहीं कर सका और 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान निर्धारित लागत की अवसूली के प्रति ₹ 476.66 करोड़ की हानि उठाई।

वाणिज्यिक- 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में आधुनिकीकरण और विस्तार योजना (एमईपी) पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2015 की रिपोर्ट संख्या 23)

- प्रस्तावित एमईपी परियोजना की कुल लागत ₹ 43,142 करोड़ से ₹ 77,691 करोड़ बढ़ गई, 80 प्रतिशत की वृद्धि।
- कम्पनी ने 2008-13 के दौरान दिए गए ₹ 20 करोड़ एवं इससे उपर की 153 परियोजनाओं में निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को पूरा करने में 25 मामलों में दो वर्षों से अधिक और 87 मामलों में तीन वर्षों से अधिक का समय लिया।



- उन मामलों के साथ डील करने के लिए जिनमें पुनः निविदा अथवा वार्ता की जा सकती थी, उद्धृत मूल्य जो लागत अनुमान से उच्च थे, को स्वीकार करने के लिए सीमा, व अधिक प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के लिए मुख्य पैकेज को कई उप-पैकेजों में विभाजित करने हेतु सेल में स्पष्ट एवं पारदर्शी नीति नहीं थी।
- ₹ 100 करोड़ या इससे अधिक के सभी 104 ठेकों को ठेकों में निर्धारित समय के अंदर पूरा नहीं किया गया था। 21 ठेकों में विलम्ब 1-2 वर्षों, 39 ठेकों में 2-3 वर्षों का और 38 ठेकों में तीन वर्षों से अधिक था।
- पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों जिस पर 31 दिसम्बर, 2014 तक ₹ 49,565 करोड़ पहले ही खर्च किए जा चुके हैं, क्षमता विस्तारण के समापन में विलंब के कारण ₹ 9,438 करोड़ के परिकल्पित वार्षिक सकल लाभ प्राप्त करने में भी विलंब हुआ।

वाणिज्यिक - मुख्य बंदरगाहों में भूमि प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा - (2015 की रिपोर्ट संख्या 27)

- नीति दिशानिर्देशों में अस्पष्टता देखी गई। बंदरगाहों को प्रभावी मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए कि यह बंदरगाहों में समान रूप से कार्यान्वित किये जा रहे हैं भूमि प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट शब्द और वाक्यांशों को और अधिक स्पष्टता से परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- भूमि उपयोगिता योजना अपडेटेड अथवा संशोधित नहीं थी और राज्य राजस्व प्राधिकरणों के स्वत्व विलेखों जैसे संबंधित अभिलेखों के साथ जोतों का मिलान नहीं किया गया था।
- बंदरगाहों ने अतिक्रमण को रोकने के लिए सामयिक और प्रभावी कदम नहीं उठाए और भूमि का आवंटन भूमि नीति दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया।
- बंदरगाहों ने विशेष अंतरालों पर टैरिफ के संशोधन से संबंधित दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया।
- बंदरगाह भूमि प्रबंधन प्रक्रिया के अंकुरण को लागू करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में पीछे रह रहे थे।



वाणिज्यिक - तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड में रिगों के उपयोग पर निष्पादन लेखापरीक्षा - (2015 की रिपोर्ट संख्या 39)

- 2010-14 में रिगों का अनुत्पादक समय (निष्क्रिय समय) 19 और 25 प्रतिशत के बीच था। अधिक निष्क्रिय समय जिसकी लागत ₹ 6,418 थी उन कारणों की वजह से था जो कम्पनी द्वारा नियंत्रित किये जा सकते थे।
- ओएनजीसी ने रिग सागर विजय के एक लंगर टूटने के बाद भी सुरक्षा प्रक्रिया का पालन नहीं किया और ड्रिलिंग/परीक्षण कार्य जारी रखा। परिणामस्वरूप रिग का एक और लंगर टूट गया जिसके कारण रिग को अपने स्थान से हटाना पड़ा। इसके कारण, कुएँ को बंद करना और छोड़ना पड़ा। परिणामस्वरूप, वास्तविक स्थान की खुदाई और अन्य रिग के प्रयोग से राहत के लिये दूसरे कुएँ की खुदाई के लिए ₹ 1577.27 करोड़ का व्यय परिहार्य साबित हुआ। बीमाकर्ता ने ओएनजीसी के दावे को इस आधार पर अस्वीकार किया कि ओएनजीसी ने मान्य सुरक्षा संचालन कार्यप्रणाली का पालन नहीं किया था।
- ओएनजीसी ने जैक-अप रिगों के ड्राईडॉक प्रबंधन और मुख्य ले-अप के लिए निर्धारित मरम्मत समय का पालन नहीं किया जो सक्षम संचालनात्मक कार्यप्रणाली के विरुद्ध था। रिगों को पुराने/खराब उपकरणों से चलाया जा रहा था।
- मरम्मत किये गये जैक-अप रिगों और ड्रिल शिपों की क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। रिग सागर विजय जिसका 900 मीटर की पानी की गहराई वाले कुओं की खुदाई के लिये उन्नयन किया गया था ने वास्तव में 2005-2013 के दौरान 400 मीटर से अधिक पानी की गहराई वाले एक भी कुएँ की खुदाई नहीं की थी।
- ओएनजीसी करीब एक दशक से अधिक (2002-2015) तक नये अपतटीय रिगों के अधिग्रहण पर नीति बनाने हेतु निर्णय लेने में विफल रहा। इसी बीच, इसके छह अपतटीय रिगों में से चार का लाभदायक उपयोगी काल समाप्त हो गया।



वाणिज्यिक - राष्ट्रीय कौशल विकास निधि और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की लेखापरीक्षा (2015 की रिपोर्ट संख्या 45)

- एनएसडीएफ का सरकारी/ईकाईयों, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय तथा निजी क्षेत्र से वित्तीय अंशदान प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु गठन किया गया था। तथापि, एनएसडीएफ ने अपने गठन के पांच वर्षों बाद भी निजी/द्विपक्षीय या बहुपक्षीय स्रोतों से कोई अंशदान प्राप्त नहीं किया।
- एनएसडीसी को 'निजी क्षेत्र की अगुवाई' में बनाया गया था। जबकि एनएसडीसी 2008 में अपनी शुरुआत से ही केवल करदाताओं की धन राशि के साथ ही कार्य कर रही थी। एनएसडीसी में 49 प्रतिशत इक्विटी स्वामित्व के साथ 99.78 प्रतिशत सरकार का वित्तीय जोखिम था। एनएसडीसी की कार्य पद्धतियों को संसदीय निरीक्षण से भी बाहर रखा गया था।
- जून 2011 में एनएसडीसी के स्वरूप को पब्लिक कम्पनी से बदलकर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या इस परिवर्तन हेतु कैबिनेट का अनुमोदन लिया गया था।
- एनएसडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले 57 से 83 प्रतिशत भागीदारों ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। उनमें से अधिकांश प्रशिक्षित व्यक्तियों हेतु नियोजन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। चार भागीदारों ने एनएसडीसी को ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया।

वाणिज्यिक - मुख्य पोर्टों में पीपीपी परियोजनाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2015 की रिपोर्ट संख्या 49)

- जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) द्वारा नावासावा इन्टरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (एनएसआईसीटी) के साथ अपने करार में नियत उच्च रॉयल्टी दर ने परियोजना के परिचालन को उत्तरोत्तर रूप से कम लाभकारी बनाया और परियोजना की व्यावहारिकता को खतरा हुआ। परिचालन के 18 वर्ष पश्चात्, अब जेएनपीटी ने रॉयल्टी को राजस्व हिस्सेदारी मोड में बदलने का प्रस्ताव किया है।
- पूर्व-मोडल कन्सेसन एग्रीमेंट (एमसीए) अवधि में पीपीपी परियोजनाओं की योजना बनाते समय, पत्तन एवं मंत्रालय निजी साझीदार द्वारा बांटे जाने



वाले प्रभारों का मानकीकरण करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप चार पत्तनों पर निजी साझेदार द्वारा ₹ 467.95 करोड़ के कुल राजस्व की हिस्सेदारी नहीं हुई।

- योग्यता शर्तों के अनुरोध से विपथन के कारण कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने दुबई पोर्ट इन्टरनेशनल (डीपीआई) इन्टरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट में टर्मिनल (आईसीटीटी) का रियायतग्राही- को ₹ 40.23 करोड़ मूल्य की रियायतें प्रदान की। आईसीटीटी 2011 में अपनी शुरुआत से 35 प्रतिशत क्षमता पर ही परिचालन करती रही तथा पत्तन ने रियायत देकर कोई अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त नहीं किया।
- लेखापरीक्षा ने पीपीपी मॉडल शुरू होने के बाद सेवा की गुणवत्ता में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं देखा।

रेलवे - भारतीय रेल में लौह अयस्क परिवहन हेतु दोहरी मालभाड़ा नीति पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2015 की रिपोर्ट संख्या 14)

- निर्धारित दस्तावेज प्राप्त किये बिना मांग पत्र स्वीकार करने या आंशिक दस्तावेज स्वीकार करने के कारण मई 2008 से सितम्बर 2013 के दौरान ₹ 3266.82 करोड़ के मालभाड़े का अपवंचन हुआ।
- लोडिंग/अनलोडिंग स्थान पर अवैध दस्तावेज स्वीकार करने के कारण ₹ 938.46 करोड़ के मालभाड़े का अपवंचन हुआ।
- परेषितियों के उत्पाद शुल्क रिटर्न की जांच न करने से रेल प्रशासन कम रिपोर्ट किये गये लौह अयस्क की मात्रा का निर्धारण करने में विफल रहा और घरेलू उद्देश्यों के लिये उपयोग नहीं करने से घरेलू खपत दरों पर लौह अयस्क के अनियमित परिवहन की सुविधा दी गई। फैक्ट्री परिसरों में प्रवेश से पूर्व घरेलू खपत दर पर परिवहन किये गये लौह अयस्क के विपथन से ₹ 5095.97 करोड़ की शास्ति लगाई जानी थी जिसकी वसूली नहीं की गई थी।

रेलवे - वित्तीय रिपोर्ट (2015 की रिपोर्ट संख्या 15)

- 2013-14 के दौरान, कुल यातायात प्राप्ति (जीटीआर) 12.79 प्रतिशत तक बढ़ी, जबकि सामान्य कार्यकारी व्यय में 16.14 प्रतिशत वृद्धि हुई।



- मालभाड़ा आय की वार्षिक विकास दर 22.60 प्रतिशत से 10.14 प्रतिशत तक कम हुई और यात्री आय में 10.89 प्रतिशत से 16.63 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।
- भारतीय रेल का प्रचालन अनुपात (यातायात आय से कार्यकारी व्यय की प्रतिशतता) 2012-13 में 90.19 से 2013-14 में 93.60 तक कम हो गया।
- लाभांश देयता पूर्ण करने के बाद निवल अधिशेष 2012-13 में ₹ 8,266.25 करोड़ की तुलना में 2013-14 में ₹ 3,740.40 करोड़ तक कम हुआ।
- रेलवे निधि में उपलब्ध शेष में 2012-13 में ₹ 4073.41 करोड़ से 2013-14 की समाप्ति तक ₹ 6,025.28 करोड़ की वृद्धि हुई, लेकिन 2008-09 के ₹ 15,654.68 करोड़ से काफी कम था।
- भारतीय रेल ने छह राजस्व अनुदानों और 10 विनियोगों में ₹ 1,877.09 करोड़ और पूँजीगत अनुदान (एक खण्ड) और विनियोग (दो खंड) में ₹ 842.66 करोड़ संसद द्वारा अनुमत से अधिक खर्च किए।

सिविल - पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2015 की रिपोर्ट संख्या 28)

- **योजना:** 12 राज्यों के 73 (49 प्रतिशत) नमूना जांचित जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार योजनाएँ ब्लाक योजना तथा तदन्तर जिला योजना में समेकित नहीं की गई थीं। वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) में भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों के जिला/ब्लाक/ग्राम पंचायत (जीपी) वार आबंटन नहीं दर्शाए गये थे।
- **परियोजना कार्यान्वयन:** परियोजना जिले 2009-10 से 2013-14 के दौरान केवल 222.32 लाख (52.15 प्रतिशत) तथा 207.55 लाख (44.18 प्रतिशत) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) का निर्माण कर सके। मंत्रालय ने 16 राज्यों में फरवरी 2011 तक 693.92 लाख घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण की उपलब्धि प्रदर्शित की जबकि इन राज्यों में 367.53 लाख परिवारों (जनगणना 2011) के गृह परिसरों में शौचालय सुविधाएं उपलब्ध थीं।
₹ 186.17 करोड़ के व्यय वाले 12.97 लाख आईएचएचएल का निर्माण योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ठेकेदारों/गैर सरकारी संस्थाओं



(एनजीओ) इत्यादि के द्वारा कराया गया। इसके अतिरिक्त, सात राज्यों के 13 जिलों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) आधारभूत संरचना के निर्माण में ₹ 7.81 करोड़ की राशि की वित्तीय अनियमितताएं जैसे अनुमोदन के बिना व्यय, निधियों का विपथन, इत्यादि देखी गईं।

- **निधि प्रबंधन:** मंत्रालय ने राज्यों द्वारा मांगी गई निधियों में से केवल 48 प्रतिशत ही जारी की। 2009-14 के दौरान 16 राज्यों ने अपने हिस्से की निधियां या तो जारी नहीं की या कम जारी की। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 13,494.63 करोड़ की निधियों की उपलब्धता के बावजूद केवल ₹ 10,157.93 करोड़ योजना कार्यान्वयन पर व्यय किये गये। अप्रयुक्त राशि 40 प्रतिशत से 56 के मध्य रही।
- 9 राज्यों में ₹ 212.14 करोड़ की राशि 4 से 29 महीनों की अवधियों हेतु निष्क्रिय/अप्रयुक्त पड़ी रही। छः राज्यों में विभिन्न कार्यान्वयन एजेन्सियों को दिये गए ₹ 48.97 करोड़ के अग्रिम 16 से 120 महीनों से लम्बित थे। ग्यारह राज्यों में योजना निधियों पर उपार्जित ₹ 5.58 करोड़ के ब्याज को हिसाब में नहीं लिया गया।
- **सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी):** आईईसी को उचित महत्व नहीं दिया गया तथा 2009-10 से 2011-12 के वर्षों के दौरान आईईसी का 25 प्रतिशत आईईसी से असंबंध गतिविधियों पर खर्च किया गया। मंत्रालय अपने आईईसी अभियान का मूल्यांकन करने में विफल रहा, जिस पर उसने 5 वर्षों में ₹ 788.60 करोड़ का व्यय किया था।

वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालय/विभाग (2015 की रिपोर्ट संख्या 30)

- **औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन**

औषध एवं औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं के चयन, वित्तीय प्रबंधन और मॉनीटरिंग में कमियों के कारण ₹ 73.68 करोड़ बकाया ऋणों और ब्याज की वसूली न होना, अन्तिम परियोजना समापन रिपोर्टों का प्राप्त न होना और परियोजनाओं से उत्पन्न परिणामों पर सूचना की परिणामी कमी हुई। भारतीय औषधीय उद्योग की क्षमताएं बढ़ाने और कम लागतों पर नई



औषधियां विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था।

- **नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात योजना**

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभागों के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में भारत की विश्व नेतृत्व स्थिति बनाने, पाने और बनाए रखने के उद्देश्य से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा कार्यान्वित नई मिलेनियम भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व सूत्रपात योजना ने प्रत्याशित परिणाम नहीं दिया था। लेखापरीक्षा में देखी गई 30 परियोजनाओं में से केवल चार परियोजनाओं में प्रौद्योगिकियाँ वाणिज्यीकृत की गई थीं। नौ औद्योगिक भागीदारों ने ₹ 64.92 करोड़ के ऋणों की चुकौती में चूक की थी। अपर्याप्त मॉनिटरिंग, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन न करने और अधिक समय तथा लागत के उदाहरण देखे गये थे।

- **केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम 2011 का कार्यान्वयन**

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में उत्पन्न/संसाधित किए जा रहे ई-अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण और ऐसे आंकड़ों के संग्रहण और संकलन के लिए राज्य एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय नहीं किया। बोर्ड देश में आयातित और निर्मित इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग की कमी के लिए तंत्र लागू करने में भी विफल रहा।

- **सीवेज उपचार की पायलट परियोजनाओं के समापन में असामान्य विलम्ब**

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चार स्थानों पर सीवेज के उपचार हेतु प्रदर्शन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक योजना आरम्भ की। स्वीकृति के चार वर्षों से अधिक के बाद और ₹ 8.22 करोड़ का व्यय करने के बावजूद योजना, समन्वय और निगरानी की कमी के कारण चार स्थानों में से किसी पर भी सीवेज उपचार आरम्भ नहीं हो सका।

- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से भूमि प्राप्त करने के संबंध में पट्टा पत्रक निष्पादित**



करने में 21 वर्ष का विलम्ब किया और स्वीकार्य समयावधि के अंदर कार्यालय परिसर का निर्माण पूरा करने में विफल रहा।

सिविल: केन्द्रीय पूल हेतु धान की खरीद और मिलिंग पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2015 की रिपोर्ट संख्या 31)

- 2009-10 से 2013-14 के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में ₹ 194.23 करोड़ तक मंडीश्रम प्रभार (एमएलसी) का अनियमित भुगतान किया गया।
- 1998 से एक प्रतिशत अतिरिक्त सूखा भत्ते की स्वीकृति के परिणामस्वरूप 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि में ₹ 952.37 करोड़ की परिहार्य आर्थिक सहायता दी गई।
- देखी गई बहुत सी कमियों के कारण, न्यूनतम सहायता मूल्य के रूप में भुगतान की गई ₹ 17,985.49 करोड़ की राशि के लिये कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि किसानों को वास्तव में उनके उत्पाद हेतु पूर्ण एमएसपी मिली।
- 2010-11 और 2013-14 के दौरान पंजाब में उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा निरीक्षण के दौरान ₹ 9788.50 करोड़ मूल्य का 82.47 एलएमटी धान विनिर्देशनों से कम पाया गया था।
- पंजाब में धान के परिवहन पर एसजीएज़ द्वारा ₹ 163.72 करोड़ राशि खर्च की गई थी, यद्यपि वो पात्र नहीं था।
- उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में ₹ 6.58 करोड़ के मूल्य वाला 5,744.09 एमटी धान/कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) का मोटर साइकिल, ऑटो रिक्शा, जीप, टैक्सी, ठेला (जुगाड़), कार आदि के माध्यम से संदिग्ध साधनों से परिवहन किया गया था जो ट्रांसपोर्टर्स द्वारा गलत दावे की संभावना दर्शाता है।
- सह उत्पादों की प्राप्ति में काफी वृद्धि होने के बावजूद मिलिंग प्रभार 2005 से संशोधित नहीं हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप 2009-10 से 2013-14 के दौरान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में मिल मालिकों



द्वारा सह-उत्पादों के विक्रय से कुल ₹ 3,743 करोड़ की अधिक वसूली की गई।

- पंजाब में, खरीद एजेंसियों ने चावल के वितरण/धान की लंबित मिलिंग के लिये मिल मालिकों से लागू पैनेल ब्याज की वसूली नहीं की जिसके परिणामस्वरूप मिल मालिकों को ₹ 159.47 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।
- बिहार, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के लेखापरीक्षित जिलों में एफसीआई/एसजीएज़ को मिल मालिकों द्वारा ₹ 3,042.87 करोड़ की राशि का 15.89 एलएमटी धान/सीएमआर और ₹ 4,527.91 करोड़ राशि का 23.34 एलएमटी लेवी चावल सुपुर्द नहीं किया गया। मिलमालिकों से समर्थक ऋणाधार के अभाव के कारण, एसजीए/एफसीआई ने गैर वितरित सीएमआर के मूल्य की वसूली नहीं की।

सिविल - जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय की निष्पादन लेखापरीक्षा (2015 की रिपोर्ट संख्या 33)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि आदिवासी बहुल राज्यों को ₹ 706.87 करोड़ की टीएसपी निधि दी गई थी; जहां टीएसपी लागू नहीं है।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 326.21 करोड़ की टीएसपी निधियाँ उन राज्यों/यूटी को जारी की गई थीं जहां जनगणना 2011 के अनुसार अ.ज.जा. जनसंख्या नहीं थी तथा इस प्रकार टीएसपी घटक उन पर लागू नहीं होता था।
- जीएफआर प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये साल के अंत (मार्च) में 62 मामलों में ₹ 433.09 करोड़ तक की निधि जारी की गयी।

सिविल - भारत में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2015 की रिपोर्ट संख्या 34)

नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) का अनुपालन और स्वच्छ विकास तंत्र के लाभ उठाना।



- वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिये आठ और नौ प्रतिशत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्य पर राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रति, राष्ट्रीय उपलब्धि क्रमशः केवल 4.28 और 4.51 प्रतिशत थी।
- हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु को छोड़कर 24 प्रतिदर्शी राज्यों में से किसी ने भी जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिमानों के समकालिक नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यताएँ (आरपीओ) निर्धारित नहीं की थी।
- नवीकरणीय ऊर्जास्रोतों से उत्पादित विद्युत की सीधी खरीद नवीकरणीय खरीद बाध्यता पूरी करने का अब भी अधिमान विकल्प था। 2010 और 2014 के बीच में नवीकरणीय खरीद बाध्यता अनुपालन का केवल 4.77 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) विधि के माध्यम से हुआ था जबकि 95.23 प्रतिशत आरई स्रोतों से विद्युत की सीधे खरीद के माध्यम से हुआ था।
- अनिश्चित पर्यावरण नीति, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों का कमजोर प्रवर्तन और अन्य कारणों के कारण अगस्त 2014 तक प्रत्येक ₹ 1,500 न्यूनतम कीमत के 93,64,699 नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र अपरिशोधित रहे जिससे उत्पादकों का नियोजित नकदी प्रवाह प्रभावित हुआ।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने ग्रिड सम्बद्ध और ग्रिड से अलग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वच्छ विकास तन्त्र लाभ का दावा करने के लिए कोई तन्त्र विकसित नहीं किया था। स्वच्छ विकास तन्त्र लाभ का दावा करने के संबंध में जानकारी की कमी थी।

सौर शक्ति

- राष्ट्रीय सौर सम्भावना के 78 प्रतिशत से सम्पन्न दस राज्यों में दोहन सम्भावना शून्य से 2.56 प्रतिशत के बीच थी। जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ने कोई ग्रिड सम्बद्ध सौर परियोजना स्थापित नहीं की थी।
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) प्राप्त करने वाले और सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजना विकासक आयकर अधिनियम 1961 के



अन्तर्गत त्वरित मूल्यहास लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं थे। रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) जिसने अगस्त 2010 से दिसम्बर 2012 तक की अवधि में दोनों जीबीआई और एडी का दावा किया था, को ₹ 22.49 करोड़ के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दावों को जारी करने से पूर्व एमएनआरई/भारतीय नवीरकणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया था।

- एमएनआरई ने देश में सौर प्रौद्योगिकी के व्यापन हेतु समर्थनकारी वातावरण प्रदान करने के लिए नेट मीटरिंग हेतु दिशानिर्देश नहीं बनाए थे।
- 500 मेगावाट की सौर तापीय परियोजनाओं के लक्ष्य के प्रति 447.50 मेगावाट (लगभग 90 प्रतिशत) की सौर तापीय परियोजनाएं प्रतिष्ठापित नहीं की गई थी (फरवरी 2015)।
- एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण एकत्रीकरण प्रबन्ध हेतु ताप आधारित विद्युत की आपूर्ति नहीं हुई और राज्य एजेंसियों को अन्तर्राज्य प्रसारण प्रणाली हेतु दीर्घावधि पहुँच उपलब्धता नहीं हुई, परिणामस्वरूप वितरण कम्पनियों के साथ विवादित दावे हुए।

पवन शक्ति

- मार्च 2014 में देश में ग्रिड सम्बद्ध पवन शक्ति की प्रतिष्ठापित क्षमता देश की पवन ऊर्जा क्षमता का 21 प्रतिशत थी।
- पवन ऊर्जा क्षेत्र में न तो टैरिफ निर्धारण के सम्बन्ध में न ही विकासकों को कार्यस्थल के आबंटन के संबंध में कोई प्रतिस्पर्धा थी। निजी विकासकों को आवंटित बत्तीस स्टेशन बढ़ाई गई समय सीमा के अन्दर विकसित नहीं किए गए थे।
- देश की 97 प्रतिशत पवन क्षमता से सम्पन्न दस राज्यों में राज्य की क्षमता का शून्य से 68 प्रतिशत के बीच दोहन था। अति महत्वपूर्ण रूप से चार उच्चतम क्षमता वाले राज्यों में से गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पांच से 17 प्रतिशत के बीच क्षमता दोहन की दरें काफी कम थीं।



- राज्यों द्वारा उत्पन्न पवन शक्ति के निकास में पर्याप्त संचरण अवसंरचना की अनुपलब्धता और उत्पादन सुविधाओं के तुल्यकालन न होने के कारण समस्याएं हुई थी।
- 1.6 गीगावाट की कुल क्षमता वाले करीब 4,600 टर्बाइनों का पुर्नशक्तिकरण करने में कोई प्रगति नहीं हुई थी।

लघु जल विद्युत

- मार्च 2014 में देश में ग्रिड सम्बद्ध लघु जल विद्युत प्रतिष्ठापित क्षमता देश की लघु जल विद्युत क्षमता का 19 प्रतिशत थी। एमएनआरई द्वारा पहचाने गए 6,474 सम्भावित स्थानों में से 997 स्थानों पर परियोजनाएं प्रतिष्ठापित की गई थी और 254 परियोजनाएं कार्यान्वयन के तहत थी।
- सम्भावित जगहों का चयन करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने में देरी और समस्याएं हुई थी। हिमाचल प्रदेश में 37 सहमति पत्र जारी किए गए थे परन्तु पांच साल के बाद भी स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। अरुणाचल प्रदेश में 52 परियोजनाएँ और छत्तीसगढ़ में 50 परियोजनाएं प्रतिस्थापित नहीं हुई थी और अभी भी प्रारम्भिक स्थिति में थी।
- तकनीकी अनुमोदन करने, परियोजनाओं के आबंटन, भूमि अधिग्रहण और वन एवं पर्यावरणीय निर्बाधन प्राप्त करने में विलम्ब और समस्याओं के कारण अनेक परियोजनाएं आरम्भ और समय पर पूर्ण नहीं की जा सकी थी।
- ठेकेदारों की लापरवाही, डिजाइन के माध्यावधि बदलाव आदि के कारण स्वीकृत परियोजनाएं पूरी नहीं हुई, परिणामतः अत्यधिक समय और लागत बढ़ी।
- पांच राज्यों में साठ परियोजनाएं बन्द कर दी गई थी, रखरखाव और मरम्मत के तहत थी या क्षमता से कम कार्य कर रही थी परिणामतः विद्युत उत्पादन और राजस्व का नुकसान हुआ।



बायोमास शक्ति

- मार्च 2014 में देश में ग्रिड सम्बद्ध बायोमास शक्ति की प्रतिष्ठापित क्षमता देश की बायोमास क्षमता जो 17,981 मेगावाट थी का 23 प्रतिशत थी।
- लेखापरीक्षा में अखोजनीय संयंत्र, निष्क्रिय संयंत्रों, निम्न क्षमताओं पर कार्यरत संयंत्रों, अनुमोदित की अपेक्षा भिन्न विनिर्देशनों से प्रतिष्ठापित संयंत्रों और अस्वीकृत ईंधन पर कार्यरत संयंत्रों के उदाहरण देखे गए। किसी भी विकासक ने विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ के बाद एमएनआरई को उत्पादन डाटा नहीं भेजा था।

सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) लक्ष्यों के साथ अपने ग्रिड से अलग लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय मिशन लक्ष्यों का केवल 31 प्रतिशत प्राप्त किया गया था।
- सौर उपकरणों के वितरण में अनियमितताओं, वितरण में विलम्ब, सौर उपकरणों की अनियमित खरीद, सौर विद्युत संयंत्रों के कार्य सौंपने में कमियों, अनियमित भुगतान और परियोजनाओं के समापन में विलम्ब के मामले हुए थे।
- सौर उपकरणों के अनियमित प्रतिष्ठापन और प्रतिष्ठापन न करने और खराब गुणवत्ता कार्य के मामले भी देखे गए थे, जो निगरानी और मूल्यांकन में कमियों को दर्शाता है।
- ग्रिड से अलग प्रणालियों का अनुरक्षण अपूर्ण था। जांच प्रणाली के लेखापरीक्षा प्रमाणीकरण से पता चला कि 47 प्रतिशत ग्रिड से अलग प्रणालिया कार्य नहीं कर रही थी।

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबन्धन कार्यक्रम

- बायोगैस संयंत्रों की कुल अनुमानित क्षमता 1.23 करोड़ संयंत्र थी जिसमें से मार्च 2014 तक 47.52 लाख बायोगैस संयंत्र (39 प्रतिशत) संस्थापित किए गए थे।



- नमूना प्रणालियों की लेखापरीक्षा से पता चला कि 26 प्रतिशत बायोगैस संयंत्र कार्य नहीं कर रहे थे।

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण

- मार्च 2014 में कवर किये गये दूरस्थ गांवों/पुरवों की संख्या 10,318 थी। यद्यपि विद्युतीकरण हेतु पात्र की संख्या 12,392 थी।
- लेखापरीक्षा में परियोजनाओं के पूरा होने में अत्यधिक देरी, अयोग्य ठेकेदारों को ठेकों का देना, लाइटिंग संयंत्रों का अनियमित विवरण और दूरस्थ गांव विद्युतीकरण संयंत्रों के प्रतिष्ठापन और अप्रतिष्ठापन के मामले पाये गये थे।
- चुने गये राज्यों में संयंत्रों के रखरखाव में कमियां देखी गई थी। भौतिक सत्यापन से पता चला कि 20 प्रतिशत दूरस्थ गांव विद्युतीकरण प्रणालियां कार्य नहीं कर रही थी।

लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा पहल

- चार वर्षों के बाद भी स्वीकृत 17 लघु जल विद्युत और मिनी जल विद्युत परियोजनाओं में से कोई भी जुलाई 2015 तक प्रतिष्ठापित नहीं की गई थी।
- उचित व्यवहार्यता अध्ययन किये बिना, भूमि आवंटन, सांविधिक मंजूरी जैसे पर्यावरणीय, वन, सिचाई तथा भूमि निर्वाधन प्राप्त किए बिना और तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किए बिना परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। परियोजनाओं के निष्पादन में धीमी प्रगति से समस्या और बढ़ी।
- परियोजनाओं का व्यवहार्यता अध्ययन किए बिना ऑफ ग्रिड सौर विद्युत परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। दो सौर संयंत्र एक ऐसे गांव में प्रतिस्थापित किए गए थे जो कि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में पहले ही कवर किया जा चुका था और 702 सौर होम लाइटिंग संयंत्र अयोग्य लाभार्थियों को बाँटे गये थे।

अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री का विशेष पैकेज

- योजना आयोग के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी, मुख्यतया नौ लघु जल विद्युत परियोजनाओं के पूर्ण न होने के कारण थी। जल विद्युत विकास विभाग ने 13 जल परियोजनाएं पूर्ण नहीं की और अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा



विकास एजेंसी ने 25 जल परियोजनाओं पूर्ण नहीं की थी। 2013-14 तक केवल 1,051 अर्थात 65 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत किए गए थे।

- समापन के बाद भी कुछ परियोजनाएं त्रुटिपूर्ण उपकरणों, प्राकृतिक आपदाओं, मरम्मत न करने, ठेकेदार द्वारा परियोजनाएं छोड़ देने आदि के कारण निष्क्रिय थी।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन, विकास तथा प्रदर्शन कार्यक्रम

- अधिकांश परियोजनाओं में समर्पणीय परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था। परियोजनाओं के कार्यान्वयन और जैसा परियोजनाओं में परिकल्पित किया गया या तो पेटेन्ट दायर करने अथवा शोध पत्र प्रकाशित करने में कार्यान्वयन एजेंसियों की असमर्थता के कारण विलम्ब हुए थे।
- एमएनआरई द्वारा परियोजनाओं की निगरानी शिथिल थी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2015 की रिपोर्ट संख्या 32 - संघ सरकार (सिविल), विधायिकाओं के बिना केन्द्र शासित प्रदेश

पत्तन प्रबंधन बोर्ड में वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण

- पत्तन प्रबंधन बोर्ड (पीएमबी) के उद्देश्यों में अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (अ.नि.द्वी.) के पत्तनों पर पत्तन सुविधाओं के विस्तार, विभिन्न प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण एवं बन्दरगाहों की सफाई-व्यवस्था हेतु नियमों एवं विनियमों का निरूपण शामिल है। पीएमबी द्वारा निष्पदित किए जा रहे कार्यों के सुगम संचालन हेतु आवश्यक आवधिक नियमों एवं विनियमों को तैयार करने हेतु प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई थी। राजस्व के संवर्धन हेतु कोई नीति नहीं थी और न ही भूमि प्रबंधन हेतु कोई नीति तैयार की गई थी। उचित आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अभाव ने आगे पीएमबी के कार्य को प्रभावित किया।

सरकारी निधियों को अनियमित रूप से जमा रखना

- लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड (एलडीसीएल) के पास ₹ 216.59 करोड़ तक की निधि को रखने तथा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप (यूटीएल) को ₹ 40.48 करोड़ की अव्ययित राशि को वापस न किए जाने के परिणामस्वरूप सरकारी धन अवरोधित हुआ।



सिविल - केन्द्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स में निर्माण गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2015 की रिपोर्ट संख्या 35)

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

- 132 चयनित भूमि अधिग्रहण मामलों में से 56 मामलों में, भूमि अधिग्रहण में 5 माह से 9.7 वर्षों तक का विलम्ब हुआ था। चयनित भूमि अधिग्रहण मामलों में 31 मामलों में संबंधित राज्य सरकार के पास लागत को जमा करने के बावजूद सी.ए.पी.एफ निर्धारित समय सीमा के भीतर भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सका था।
- केरल में पांच मामलों में, पट्टे विलेख में समाप्ति के पश्चात इसमें विस्तार हेतु कोई खंड शामिल नहीं था, जो एम.एच.ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

निर्माण गतिविधियां - मुद्दा-वार

- कार्यकारी एजेंसियों द्वारा गलत प्रारंभिक अनुमान (पी.ई) तैयार करने के परिणामस्वरूप ₹ 14.22 करोड़ तक अधिक पी.ई हुए थे।
- सा.वि.नि. के नियम 130 के उल्लंघन में उच्चतर प्राधिकारियों के अनुमोदन से बचने के लिए ₹ 206.62 करोड़ की राशि के निर्माण कार्यों को 2 से 8 निर्माण कार्यों में बांट दिया गया था।
- ₹ 1161.10 करोड़ के 240 निर्माण कार्यों में, निविदा में संस्वीकृति तिथि से 90 माह तक का विलम्ब हुआ था।
- 129 पूर्ण हुए निर्माण कार्यों में, ₹ 63.02 करोड़ की अधिक लागत लगी थी।
- विभाग द्वारा प्लिंथ क्षेत्रफल की गलत गणना, ड्राइंग में संशोधन, अनुमान में संशोधन तथा स्थल परिस्थितियों आदि के कारण 189 पूर्ण हुए निर्माण कार्यों में ₹ 289.08 करोड़ की बचत हुई।

वित्तीय अनियमितताएं

- 20 चयनित निर्माण कार्यों में, ₹ 87.64 करोड़ तक की राशि के जुटाव अग्रिम दिए गए थे, परंतु कार्यकारी एजेंसियों द्वारा जुटाव अग्रिम के लिए कोई अलग परियोजना खाता नहीं बनाया गया था।



- यद्यपि निर्माण कार्यो को पूरा करने में 56 महीनों तक के विलम्ब थे, परन्तु ठेकेदारों पर ₹ 19.86 करोड़ के क्षतिपूर्ति/परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) प्रभार नहीं लगाए गए थे।
- ठेकेदारों/पी.डब्ल्यू.ओ को ₹ 6.42 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

सिविल - मध्याह्न भोजन योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2015 की रिपोर्ट संख्या 36)

- एमडीएम योजना में शामिल किये गये विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी।
- एमडीएम योजना का एक उद्देश्य बच्चों को अधिक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करना है लेकिन अधिकतर राज्यों ने गरीब बच्चों की पहचान के लिए कोई मानदण्ड नहीं बनाया था।
- एमडीएम का लाभ उठाने वाले बच्चों की संख्या पर आंकड़ों के समावेश हेतु विद्यमान तन्त्र के साथ भारी समझौता किया गया था।
- खाद्यान्नों की उचित औसत गुणवत्ता तथा दिए गए मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूना-जांच किए गए अधिकतर विद्यालयों में, निर्धारित निरीक्षण नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा में नमूना-जांच किए गए अधिकतर विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं जैसे रसोई शैडों, समुचित बर्तनों, पेयजल सुविधा आदि का अभाव था।
- निर्धारित चिकित्सा-जांच नहीं की गई थी। अधिकतर राज्यों में बच्चों को सूक्ष्म-पोषक पूरक तथा डी-वार्मिंग औषधियां वितरित नहीं की गई थी।
- कम से कम नौ राज्यों के नमूना-जांच किए गए विद्यालयों में बच्चों को निर्धारित पोषण नहीं दिया गया था।
- योजना में निर्धारित मॉनीटरिंग और निरीक्षण प्रावधानों का प्रभावी ढंग से अनुसरण नहीं किया गया था।
- लोक लेखा समिति (15वीं लोक सभा) द्वारा उठाये गये मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान नहीं किया गया।



सिविल - कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) की चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा (2015 की रिपोर्ट संख्या 40)

- निगम ने 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं में से 17 को संस्वीकृत किया था तथा 16 चिकित्सा परियोजनाओं का निर्माण प्रारम्भ किया।
- सलाहकार द्वारा किया गया स्थलों/स्थानों के चयन हेतु व्यवहार्यता अध्ययन विस्तृत नहीं था तथा चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के निर्माण हेतु ईएसआईसी द्वारा स्थलों का चयन भी विवेकाधीन तथा प्रतिमानों पर आधारित नहीं था।
- सलाहकारों को विभिन्न निर्माण कार्यों का सौंपना मनमाने तरीके से किया गया था। सीवीसी निर्देशों के अनुसार सलाहकारों की फीस मूल संविदा मूल्य के अनुकूल होनी चाहिए। 21 इकरारनामों में से छः में इस शर्त को शामिल न करने के कारण ईएसआईसी ₹ 24.68 करोड़ का अतिरिक्त सलाहकार शुल्क अदा करने का उत्तरदायी था।
- प्रारम्भ की गई सभी चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं, दो को छोड़कर, समय से पीछे थी। सभी परियोजनाओं की कुल लागत को ₹ 8611.94 करोड़ से ₹ 11997.15 करोड़ तक संशोधित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3385.21 करोड़ की अधिक लागत लगी।

सिविल - वर्ष 2014-15 के लेखाओं पर वित्तीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2015 की रिपोर्ट संख्या 50)

- 1996-97 से 2014-15 के दौरान संग्रहीत ₹ 5,783.49 करोड़ का कुल अनुसंधान तथा विकास उपकरण का केवल 9.5 प्रतिशत कथित उपकरण के उद्देश्य के प्रति उपयोग किया गया था।
- बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में शेष नियमित रूप से प्रतिकूल हो गया था जो 2008-09 में (-) ₹ 53.51 करोड़ से 2014-15 में (-) ₹ 171.29 करोड़ तक लगातार बढ़ा।
- सीएफआई में प्राथमिक शिक्षा उपकरण के रूप में ₹ 1,54,818 करोड़ के कुल संग्रहण के प्रति प्रारम्भिक शिक्षा कोष को केवल ₹ 1,41,520 करोड़ का अंतरण किया गया था।



- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने संसद से अनुमोदन प्राप्त किए बिना प्रतिदायों के ब्याज पर ₹ 5,332 करोड़ का व्यय किया।
- चार अनुदानों के पांच मामलों में बिना संसदीय पूर्वानुमति प्राप्त किए लक्ष्य शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अन्तर्गत ₹ 60.25 करोड़ का व्यय किया गया।
- दो अनुदानों के चार मामलों में संसदीय पूर्वानुमति लिए बिना एनएस/एनआईएस की सीमाओं का उल्लंघन कर लक्ष्य शीर्ष सब्सिडी में ₹ 202.04 करोड़ का संवर्धन किया गया था।
- विभागों द्वारा गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 748.43 करोड़ तक पूँजीगत व्यय को अधिक तथा ₹ 522.67 करोड़ तक पूँजीगत व्यय को कम बताया गया।
- 19 अनुदानों/विनियोगों के 27 मामलों में, ₹ 2,954.65 करोड़ का कुल व्यय विनियोग की कई प्राथमिक इकाइयों में गलत वर्गीकृत किया गया था।
- 26 मंत्रालयों/विभागों में 31 मार्च 2015 तक ₹ 51,527.10 करोड़ की राशि के 37,569 यूसी बकाया थे।

सिविल - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के क्रियान्वयन की तैयारी पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2015 की रिपोर्ट संख्या 54)

लाभार्थियों की पहचान करना और राशन कार्ड जारी करना

- मंत्रालय ने कार्यान्वयन के लिए समय सीमा में तीन बार वृद्धि की थी, सितम्बर 2015 को अंतिम बार ऐसा किया गया था, जबकि एनएफएसए के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
- अधिकतर कार्यान्वयक राज्यों ने अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) एवं प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को पहचाना नहीं था परन्तु लाभ प्रदान करने के लिए लाभार्थियों के पुराने डाटाबेस का उपयोग किया था।
- हिमाचल प्रदेश में 6.9 लाख पुराने राशन कार्डों पर प्राथमिक परिवार और एएवाई परिवारों के रूप में मुहर लगाई गई थी तथा उन्हें एनएफएसए अनुपालनकारी के रूप में पुनः जारी किया गया था। कर्नाटक में 8.90 लाख



जाली एवं अयोग्य राशन कार्ड पाए गए थे राज्य सरकार उनपर खाद्यान्न जारी करती रही।

रसद में तैयारी: खाद्यान्नों का आवंटन, ढुलाई एवं भंडारण

- वर्ष 2012 में निर्णय लिए जाने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्यान्न आवागमन योजना को तैयार नहीं किया गया था।
- नमूना परीक्षित राज्यों में, तीन माह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता पर्याप्त नहीं थी तथा राज्यों/सं.शा.क्षे. की मौजूदा भंडारण क्षमता में सुधार की आवश्यकता थी।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

- असम में द्वार तक खाद्यान्नों के संवितरण को कार्यान्वित नहीं किया गया था जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इसे आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया था। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में, स्वयं एफपीएस डीलरों द्वारा द्वार तक खाद्यान्नों का संवितरण किया जा रहा था, जो एनएफएसए के प्रावधान के विरुद्ध था।
- चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में टीपीडीएस कार्यों का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण रूप से नहीं किया गया था।
- चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में अपेक्षित कम्प्यूटर एप्लिकेशन तथा हार्डवेयर की अनुपलब्धता सीमित करने वाले कारक थे। राज्यों/सं.शा.क्षे. में पहचाने गए लाभार्थियों के डाटा का अपर्याप्त डिजीटीकरण पाया गया था।

शिकायत निवारण तंत्र एवं मॉनीटरिंग

- नौ चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में से छः में शिकायत निवारण तंत्र पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं थे। किसी भी चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में सभी चार स्तरों पर निगरानी समितियां मौजूद नहीं थीं। मंत्रालय शिकायत निवारण तंत्र एवं निगरानी समिति कार्यान्वयन को मॉनीटर करने की स्थिति में नहीं था। उसी प्रकार, राज्यों द्वारा की गई मॉनीटरिंग अपर्याप्त थी तथा निरीक्षणों में कमियां थीं।



III बी राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्टें

राजस्थान (2016 की रिपोर्ट संख्या 1) - राजस्व क्षेत्र

‘वैट के अंतर्गत पंजीकरण, निर्धारण और संग्रहण की प्रणाली’ की निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- 1440 डीलरों ने ₹ 11.39 करोड़ का कर एकत्र किया लेकिन अपने रिटर्न में शून्य कारोबार दर्शाया था। निर्धारण प्राधिकारी अपवंचन का पता नहीं लगा सका और ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 38.95 करोड़ का कर वसूल नहीं किया गया।
- 142 खदान मालिक/पट्टा धारकों को कर के दायरे में नहीं लाया गया था और ₹ 189.87 करोड़ के कारोबार पर ₹ 9.49 करोड़ के कर की राशि उदग्रहीत नहीं की जा सकी।
- सटीक कर देयता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक ब्यौरों का प्रग्रहण करने हेतु रिटर्न फार्मेट अपर्याप्त थे। सूचना के अभाव के परिणामस्वरूप कर का उदग्रहण नहीं हुआ जिसमें 22 डीलरों से ₹ 6.37 करोड़ का ब्याज तथा शास्ति शामिल है।
- 189 डीलरों के संदर्भ में ₹ 6.61 करोड़ के इनपुट कर क्रेडिट, ब्याज तथा शास्ति की गलत अनुमति दी गई/उदग्रहण नहीं हुआ था।
- 144 मामलों में, ₹ 4.93 करोड़ के रिवर्स कर, ब्याज तथा शास्ति का उदग्रहण नहीं हुआ था।
- 117 मामलों में, ₹ 3.24 करोड़ की शास्ति नहीं लगाई गई थी।

राजस्थान (2015 का प्रतिवेदन सं. 5) - पीएसयूज

- मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) द्वारा उपभोक्ता शिकायत के निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा में देखी गई विसंगतियां जारी रही। लेखापरीक्षा तथा सीओपीयू द्वारा की गई सिफारिशों तथा एटीएनस में सीओपीयू को दिए गए आश्वासनों को कम्पनी ने पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया था।
- कुछ महत्वपूर्ण अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:



- जेवीवीएनएल ने उच्च दरों पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की खरीद पर ₹ 2.20 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय किया।
- आरआईआईसीओ तथा आरएसएमएमएल ने अवकाश नकदीकरण के प्रति कर्मचारियों की भविष्य निधि में ₹ 3.42 करोड़ का अनियमित अंशदान किया।
- आरटीडीसी ने लकजरी ट्रेनों के लिए आरक्षण तथा निरस्तीकरण नीति के प्रावधानों का पालन नहीं किया। चूककर्ता सामान्य बिक्री एजेंटों के विरुद्ध कार्रवाई करने में विलंब के कारण ₹ 13.17 करोड़ की वसूली नहीं हुई तथा ₹ 1.85 करोड़ की ब्याज हानि हुई।
- राजस्थान सटेट वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन राज्य में वांछित भंडारण क्षमता को बढ़ाने में विफल रहा। गोदामों का निर्माण विनिर्देशनों के अनुसार भी नहीं किया गया था।

गुजरात (2016 का प्रतिवेदन सं. 2) - जी एण्ड एसएस

2010-15 की अवधि हेतु “सरकारी अस्पतालों में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं देना” पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला:

- जिला स्तरीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु पंचवर्षीय योजना विस्तृत नहीं थी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई विशिष्ट लक्ष्य तथा समयसीमा नहीं थी।
- चिकित्सक तथा परिचारिकाओं सहित स्टाफ के सभी संवर्गों, की संस्वीकृत संख्या नमूना जांच किए गए जिला अस्पतालों में आईपीएच मानदंडों से काफी कम रही। यह कमी 29 तथा 77 प्रतिशत के बीच रही।
- डीएचज़ में बिस्तरों की उपलब्धता न तो आईपीएच मानदंडों के अनुसार थी और न ही आवश्यकताओं के अनुरूप थी। नमूना जांच किए गए डीएचज़ में बिस्तरों की कमी 52 और 73 प्रतिशत के बीच थी। लेखापरीक्षा में अधिक भरे हुए वार्डों, फर्श पर लेटे मरीजों, एक बिस्तर पर दो मरीजों तथा गलियारों में मरीजों के मामले देखे गए थे।



- कई आवश्यक दवाईयां चार माह से अधिक समय से स्टॉक में उपलब्ध नहीं थी।
- गुजरात मेडिकल कार्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) द्वारा अवमानक गुणवत्ता की (एनएसक्यू) दवाईयों की आपूर्ति के मामले देखे गए थे। नमूना जांच रिपोर्टों की प्राप्ति में विलंब के कारण अधिकतर एनएसक्यू दवाईयां मरीजों को जारी की गई थीं।
- सामान्य दवाईयां, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग, रेडियोलॉजी आदि की आवश्यक विशेषज्ञ सेवाएं या तो उपलब्ध नहीं थी या आंशिक रूप से उपलब्ध थी।
- दुर्घटना, आपातकाल एवं आघात देखभाल सेवाएं नमूना जांच किए गए डीएचज में या तो उपलब्ध नहीं थी या आवश्यक उपस्करों से सज्जित नहीं थी।
- डीएच पेटलेड, डीएच सुरेंद्रनगर तथा डीएच वडोदरा में इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) उपलब्ध नहीं थी। अन्य नमूना जांच किए गए डीएचज में नाजुक मामलों को संभालने के लिए केवल एक या दो आईसीयू बिस्तर जीवन रक्षक उपस्कर से पूर्णतः सज्जित थे।
- लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए डीएचज में नवजात एवं मातृ की अधिक मृत्यु, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं बच्चों के चिकित्सक, प्रसूति वार्ड में जीवन रक्षक उपस्कर तथा बिस्तरों की कमी के मामले देखे गए थे।
- नमूना जांच किए गए डीएचज में निदान एवं इमेजिंग विभागों में विभिन्न जांच करने हेतु उपस्कर उपलब्ध नहीं थे। रक्त बैंक/रक्त भंडारण केंद्र डीएच गोधरा, डीएच सुरेंद्रनगर तथा डीएच हिमतनगर को छोड़ कर या तो स्थापित नहीं किए गए थे या कार्यात्मक नहीं थे।
- परामर्श प्रबंधन तथा संक्रमण नियंत्रण नमूना जांच किए गए किसी भी डीएचज में अच्छी हालत में नहीं थे।
- गुणवत्ता आश्वासन के लिए निर्धारित आईपीएच मानदंडों का नमूना जांच किए गए डीएचज में या तो पालन नहीं किया जा रहा था या आंशिक रूप से पालन किया जा रहा था।



महाराष्ट्र (2016 का प्रतिवेदन सं.1) - आर्थिक क्षेत्र

- महाराष्ट्र वन विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि 2008 से राज्य वन नीति के कार्यान्वयन के बावजूद राज्य में वन क्षेत्र आठ वर्षों से 16.45 प्रतिशत पर स्थिर था। राज्य में वानिकी क्षेत्र के लिए परिव्यय राष्ट्रीय वन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए 2.5 प्रतिशत के विपरीत कुल योजना परिव्यय का मात्र एक प्रतिशत था। विभाग में वन विकास कर का संविभाजन राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष जमा की गई राशि से काफी कम था। कई डिविजनों कार्य योजनाओं में निर्धारित किए गए वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी थी। सीएएमपीए निधियों का प्रबंधन संतोषजनक नहीं था। विभाग में मॉनिटरिंग, मूल्यांकन तथा आंतरिक नियंत्रण त्रुटिपूर्ण थे।
- सरकारी भवनों के रख-रखाव तथा मरम्मत कार्यों को वार्षिक मरम्मत कार्यक्रमों की तैयारी के बिना तदर्थ तरीके से लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। विभाग ने पिछले 10 से 24 वर्षों के लिए रख-रखाव तथा मरम्मत कार्यों हेतु प्रतिमानों (वित्तीय तथा भौतिक) में संशोधन नहीं किया था। भवनों, जिनकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है, पर लंबी अवधि से ध्यान नहीं दिया गया था। पूंजीगत प्रकृति के कार्यों का रख-रखाव अनुदानों से विभाग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कार्यान्वित किया गया था। विभाग में आंतरिक नियंत्रण तथा मॉनिटरिंग तंत्र कमजोर था।
- न्यूनतम समर्थन कीमत योजना के तहत धान की खरीद तथा मिलिंग की समीक्षा से पता चला कि खरीद केंद्रों में खरीदे गए धान की गुणवत्ता जांच के लिए आवश्यक उपस्कर नहीं थे। 11.44 लाख क्विंटल अनमिल्ड धान के निपटान के कारण ₹ 82.96 करोड़ की हानि हुई थी। मिल मालिकों को अनुचित वित्तीय लाभ भी दिए गए थे क्योंकि राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2009-14 के दौरान एफसीआई को 5.85 लाख क्विंटल कस्टम मिल्ड चावल की सुपुर्दगी में उनकी अक्षमता हेतु ₹ 160.41 करोड़ की शास्ति का उदग्रहण नहीं किया था। मिल मालिकों द्वारा निर्धारित अवधि में धान के उठाव में विलम्ब तथा एफसीआई को कस्टम मिल्ड



चावल के अपेक्षित ग्रेड के कम-डिपोजिट के लिए कुल ₹ 4.62 करोड़ की शास्तियों का भी मिल मालिकों से उदग्रहण नहीं किया गया था।

पंजाब (2015 का प्रतिवेदन सं. 2)

- पंजाब एग्रो फूडग्रेन कार्पोरेशन लिमिटेड में धान की खरीद, भंडारण तथा कस्टम मिलिंग पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि सीएमपीज में अधिक मिलिंग अवधि के परिणामस्वरूप फसल वर्ष 2010-14 के दौरान ₹ 188.87 करोड़ की ब्याज हानि हुई; चावल की कम सुपुर्दगी/गबन किए गए चावल, बोरियों की लागत तथा अन्य वसूलियों के कारण मिल मालिकों से ₹ 143.11 करोड़ वसूलीयोग्य था; 8 कि.मी. में आने वाली चावल मिलों तक धान के यातायात पर ₹ 20.71 करोड़ का व्यय मिल मालिकों से वसूल नहीं किया गया था, हालांकि यह मिलिंग प्रभारों में अंतर्निहित था।
- पूर्व पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को अबंडलित करते समय पंजाब सरकार ने दो परवर्ती सत्त्वों-पीएसपीसीएल तथा पीएसटीसीएल पर अबंडलित देयताएं देकर उन पर ₹ 25,097.64 करोड़ का वित्तीय भार डाल दिया था। राज्य सरकार निम्न द्वारा अपने तुलन पत्रों का नवीनीकरण करना चाहती है (i) इक्विटी पूंजी के रूप में उपभोक्ता अंशदानों तथा अनुदानों एवं आर्थिक सहायता को दर्शाते हुए दोनों सत्त्वों में ₹ 3,741.34 करोड़ तक अपनी इक्विटी पूंजी को बढ़ाकर (ii) ₹ 4, 874.41 करोड़ की पुनः मूल्यांकित भूमि परिसम्पत्तियों को शामिल करके जिनका स्वामित्व दो परवर्ती सत्त्वों में निहित नहीं था।
- लेखापरीक्षकों की शर्तों के प्रभाव के लेखाकरण के पश्चात पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को 2010-13 के दौरान भारी हानि हुई थी। इस पर 2013-14 की समाप्ति पर ₹ 15,953.88 करोड़ का दीर्घावधि ऋण था। परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के सटीक शेषों का हस्तांतरण न होने, हानि के गलत लेखा जोखा तथा व्ययों को निर्धारित प्रतिमानों में सीमित करने में विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा लिए गए ऋण निवेश योजना ऋणों तथा पीएसईआरसी द्वारा अनुमोदित कार्यकारी पूंजीगत ऋणों से काफी अधिक थे। इसने ₹ 1,914.52 करोड़ की भारी वित्त एवं ब्याज लागत तथा



₹ 20.86 करोड़ के दांडिक ब्याज के परिहार्य भुगतान को वहन किया। नियामक आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों के कार्यान्वयन में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4,373.64 करोड़ की वसूली नहीं हुई थी।

- पंजाब स्टेट बस स्टैंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में, रियायत ग्राहियों को लंबी रियायत अवधि की अनुमति दी गई थी जिससे वह पीआईडीबी द्वारा निर्धारित 16 प्रतिशत के उचित रिटर्न की अपेक्षा अधिक का अर्जन कर सके। रियायत करारों के अनुसार अवसंरचना सुविधाओं तथा यात्रियों की सुविधाओं को विकसित करने में विफलता के लिए रियायत अवधि को कम न करके रियायतग्राही को ₹ 28.26 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश (2016 का प्रतिवेदन सं. 3)

- कृषि इनपुटों की खरीद तथा वितरण की प्रणाली की लेखापरीक्षा से पता चला कि 2010-15 के दौरान नमूना जांच किए गए जिलों में ₹ 264.29 करोड़ की प्राप्तियों का कोषागार के साथ मिलान नहीं किया गया था। किसानों से वसूले गए ₹ 3.68 करोड़ के इनपुटों की बिक्री प्राप्तियों को सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया था। ₹ 9.39 करोड़ मूल्य का 33,011.10 क्विंटल बीज बुआई सीजन के बाद किसानों को वितरित किया गया। जांच प्रयोगशालाओं में नमूनों के विश्लेषण में 35 प्रतिशत की कमी आई थी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) योजनाओं को जिला, ब्लॉक तथा गाँव की आवश्यकताओं पर विचार किए बिना तैयार किया गया था। स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पहचान अपर्याप्त थी क्योंकि हाउसहोल्ड सर्वेक्षण नहीं किया गया था। मार्च 2015 को वांछित संख्या के केवल 31 प्रतिशत चिकित्सक तथा 49 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्त थे।
- प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम (दोपहर का भोजन योजना) के तहत निधियों का भुगतान 20 से 175 दिनों के विलंब से किया गया था। 2007-12 के दौरान संस्वीकृत किए गए 507 रसोई शैड-सह-स्टोर का निर्माण मार्च 2015 तक पूरा नहीं किया गया था। 430 रसोई शैडो का निर्माण अप्रैल 2015 तक शुरू नहीं हुआ था।



- अक्षय उर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत, 2,473 मे.वा. हाइड्रो पावर के लक्ष्य के प्रति उपलब्धि मार्च 2015 तक केवल 476 मे.वा. थी। चार स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से ₹ 7.80 करोड़ के क्षमता संवर्धन हेतु अप्रफ्रन्ट प्रीमियम तथा छह लघु हाइड्रो पावर परियोजनाओं से पर्यावरण प्रबंधन योजना आदि के लिए ₹ 7.12 करोड़ की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की वसूली नहीं की गई थी। मार्च 2015 तक 33,000 मे.वा. की अनुमानित सौर विद्युत क्षमता के प्रति केवल 3.29 मे.वा. का प्रतिष्ठापन किया गया था।

हरियाणा (2016 का प्रतिवेदन सं. 1)

- ₹ 95.81 करोड़ मूल्य के शुल्क एवं हकदारी पास बुक (डीईपीबी)/आयात लाइसेंस की खरीद, जिसे पुनः बिक्री हेतु उपयोग किया जाना था, की देय सीमा शुल्क के प्रति समायोजन हेतु गलत रूप से अनुमति दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप डीलर को ₹ 4.84 करोड़ के आईटीसी की गलत मंजूरी मिली।
- ब्याज के उदग्रहण हेतु कार्रवाई 12 माह के बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप डीईटीसी (एसटी) पंचकुला द्वारा एक मामले में ₹ 3.49 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण नहीं किया गया।
- एएज़ ने 42 मामलों में ₹ 1.69 करोड़ के अतिरिक्त कर का उदग्रहण नहीं किया।
- स्टीम/कढ़ाई वाले कपड़ों तथा कलपूरजों के गलत वर्गीकरण तथा कम दर पर कर उदग्रहण के परिणामस्वरूप सात मामलों में ₹ 1.98 करोड़ के कर तथा अधिभार का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण हुआ।
- नवासी विलेखों का निर्धारण कम मूल्य पर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.53 करोड़ के एसडी का कम उदग्रहण हुआ।
- पंजीकरण प्राधिकारियों ने नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्लॉटों के 127 बिक्री विलेखों का निर्धारण कृषि भूमि के लिए निर्धारित दरों पर किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ के स्टैम्प शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।



- पैसठ विलेखों का निर्धारण उत्कृष्ट भूमि की बजाय कृषि भूमि के रूप में किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.23 करोड़ के स्टैम्प शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

बिहार (2015 का प्रतिवेदन सं. 2, 3 तथा 4)

- **बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का कार्यान्वयन:**स्वास्थ्य देखभाल यूनिटों में अपर्याप्त प्रसवपूर्व देखभाल तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ की कमी के कारण लगभग आधी गर्भवती स्त्रियों ने घर पर प्रसव कराने का विकल्प चुना। प्रसुता की मृत्यु दर 100 प्रति 1,00,000 गर्भवती स्त्रियों के प्रति 208 थी।
- **भवन निर्माण विभाग** ने वास्तविक निधि आवश्यकताओं का मूल्यांकन किए बिना निर्माण कार्य की वार्षिक योजना तैयार कर ली थी जिसके कारण कुछ कार्यों में निधि अधिशेष रही और कुछ में अपर्याप्त रही। तकनीकी संस्वीकृति में विलंब के कारण 11 निर्माण कार्यों में लागत ₹ 158.12 करोड़ तक बढ़ गई।
- **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) :** ₹ 2,849.15 करोड़ व्यय करने के बावजूद नमूना जांच की गई पांच परियोजनाओं में से चार अपूर्ण थीं।
- 15 सर्किलों में 63 डीलरों के मामले में उदग्रहणीय ब्याज तथा शास्ति ₹451.83 करोड़ के कर का कम निर्धारण हुआ था।
- भागलपुर वाणिज्यिक कर सर्किल में, एक डीलर द्वारा उर्जा की बिक्री को छिपाने के परिणामस्वरूप ₹ 60.87 करोड़ की न्यूनतम उदग्रहणीय शास्ति सहित ₹ 121.75 करोड़ मूल्य के विद्युत शुल्क का उदग्रहण नहीं हुआ था।
- जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अधिग्रहण करने वाले निकाय/विभागों की तरफ से अधिग्रहित भूमि के लिए ₹ 97.15 करोड़ के स्थापना प्रभारों की वसूली सुनिश्चित नहीं की थी।
- बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड को खरीदे गए गोहूँ के अनुपयुक्त भंडारण तथा विलंब से परिवहन के कारण कमी और खराब गोहूँ के निपटान के कारण ₹ 20.09 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी थी।



छत्तीसगढ़ (2016 का प्रतिवेदन सं. 1 तथा 2)

- “सार्वजनिक संवितरण प्रणाली की लिए धान की खरीद तथा चावल की कस्टम मिलिंग” पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ (मार्कफेड) ने बैंकों को ₹ 844.68 करोड़ का अधिक ब्याज भुगतान किया था क्योंकि निर्धारित तिथि तक नकद क्रेडिट मंजूर नहीं हो सका था; छत्तीसगढ़ सरकार (जीओसीजी) को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्रतिमानों से अधिक मिलिंग प्रभारों के भुगतान के कारण ₹ 591 करोड़ की हानि हुई थी; ₹ 278.36 करोड़ मूल्य का धान खरीदे गए धान के लिए छतदार भंडारण सुविधा की कमी तथा मिलिंग में विलंब के कारण खराब हो गया था; भंडारण केंद्रों में अनुमत सीमा से अधिक धान के ड्रिज/कमी के परिणामस्वरूप ₹ 96.80 करोड़ की हानि हुई; तैंतीस चावल मिल मालिकों ने मिलिंग कार्यक्रम के बीत जाने के बाद भी ₹ 74.53 करोड़ मूल्य का धान जमा नहीं किया था।
- छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 8.38 करोड़ के दांडिक ब्याज का परिहार्य भुगतान किया था।
- दी छत्तीसगढ़ स्टेट बिवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड को भारत में निर्मित विदेशी शराब की बिक्री पर वैट का भुगतान खुदरा विक्रेताओं से उक्त की वसूली के बजाय अपने लाभ से करने के कारण ₹ 53.65 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

मध्य प्रदेश (2016 का प्रतिवेदन सं. 2 एवं 3)

- **वैट के अंतर्गत निर्धारण की प्रणाली:** ₹ 41.84 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 82.08 करोड़ के वैट का 160 मामलों में उदग्रहण नहीं किया गया था; ₹ 26.80 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 38.57 करोड़ मूल्य के वैट का गलत दरों के कारण 51 मामलों में या तो उदग्रहण नहीं किया गया था या कम उदग्रहण किया गया था; करोबार की गलत गणना के परिणामस्वरूप 27 मामलों में ₹ 32.22 करोड़ के वैट का कम उदग्रहण हुआ था।
- **मध्य प्रदेश में भूमि राजस्व प्राप्तियां:** निजी संस्थानों को कम कीमतों पर भूमि का आवंटन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 29.80 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई; 252 मुख्य खनिज पट्टों पर उदग्रहणीय भूमि



राजस्व का निर्धारण नहीं किया गया था जिसके कारण ₹ 31.15 करोड़ मूल्य के भूमि राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी थी; 12 कलेक्टर कार्यालयों में उप-डिविजनल अधिकारियों ने 1,063 मामलों में ₹ 14.33 करोड़ के पंचायत उपकर का उदग्रहण नहीं किया था; स्टैम्प शुल्क, पंजीकरण फीस तथा उस पर ₹ 4.84 करोड़ की शास्ति की तीन कलेक्टर कार्यालयों में वसूली नहीं की गई की क्योंकि उप-डिविजनल अधिकारियों (राजस्व) ने यथावत स्टैम्प न लगाए गए दस्तावेजों के मामलों को जब्त नहीं किया था।

- कार्यकारी इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी (बीएण्डआर) डिविजन, दिन्दोरी ने ₹ 3.63 करोड़ की अधिक कीमत वृद्धि का भुगतान किया था। महन कनाल डिविजन, सीधी में ₹ 2.48 करोड़ की अतिरिक्त लागत ससंजक नॉन स्वेलिंग मिट्टी के गलत प्रावधान तथा कार्यान्वयन के कारण आई थी। कंक्रीट के स्लीपरों के अनाश्यक रूप से पड़े रहने के कारण ₹ 2.05 करोड़ की अतिरिक्त लागत भी आई थी।

झारखंड (2015 का प्रतिवेदन सं. 3)

- प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर बल के साथ परिहवन विभाग की कार्यप्रणाली:** प्रमाणपत्र मामलों का निपटान काफी कम था क्योंकि विभाग 2009-10 से 2013-14 के दौरान 23,561 मामलों में से केवल 669 का ही निपटान कर सका था। 1,172 व्यक्तिगत वाहनों के मामले में ₹ 2.92 करोड़ के एक-मुश्त कर का उदग्रहण नहीं किया था। जून 2009 से जून 2015 की अवधि के लिए ₹ 26.51 करोड़ के कर तथा शास्ति का न तो मालिक द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई थी। संग्रहक बैंकों ने सरकारी खाते में संग्रहित राजस्व के विलंब से हस्तारण हेतु ₹ 7.29 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया था। विभाग में पुराने वाहनों को हटाने के लिए कोई नीति नहीं थी। प्रदूषण जांच केंद्र 24 जिलों में से केवल 11 में अधिकृत थे। प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र नए पंजीकृत 8.84 लाख वाहनों के प्रति केवल 4.09 लाख वाहनों को ही जारी किए गए थे। प्रदूषण जांच उपस्कर, जैसे स्मोक मीटर, गैस विश्लेषक



आदि, परिवहन अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। शीर्ष "0044-सेवाकर" के तहत ₹ 3.07 करोड़ का सेवाकर जमा नहीं कराया गया था।

- तीन वाणिज्यिक कर सर्किलों में ₹ 7.35 करोड़ की शास्ति का 2005-06 से 2012-13 के दौरान विद्युत शुल्क तथा अधिभार के गैर/कम भुगतान हेतु उदग्रहण नहीं किया गया था।
- तीन वाणिज्यिक कर सर्किलों में विद्युत शुल्क की गलत दर लगाने तथा अधिभार का उदग्रहण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.83 करोड़ के विद्युत शुल्क तथा अधिभार का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण हुआ।

उत्तर प्रदेश (2016 का प्रतिवेदन सं. 1)

- **दोपहर का भोजन योजना:** इक्कीस प्रतिशत विद्यालयों में अब तक रसोई-सह-स्टोर नहीं थे तथा 42 प्रतिशत में निधियों की उपलब्धता के बावजूद दोपहर के भोजन को पकाने के लिए एलपीजी कनेक्शन नहीं थे। वित्तीय प्रबंधन तथा व्यय नियंत्रण त्रुटिपूर्ण था क्योंकि अव्ययित शेषों में 2010-11 में ₹ 336.58 करोड़ से 2014-15 में ₹ 598.96 करोड़ तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। राज्य सरकार कुल उपलब्ध खाद्यान्नों को उठाने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप दोपहर के भोजन की आपूर्ति में विघ्न आया था। परिवहन एजेंसियों को ₹ 15.93 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था। ₹ 56.47 करोड़ की खाली बोरियों का हिसाब नहीं रखा गया। बच्चों की स्वास्थ्य जांच नहीं की गई और स्वास्थ्य रजिस्ट्रारों/कार्डों का रखरखाव नमूना जांच किए गए क्रमशः 32 प्रतिशत तथा 62 प्रतिशत विद्यालयों में नहीं किया गया था। नमूना जांच किए गए 43 प्रतिशत में तुलाई मशीनें उपलब्ध नहीं थी तथा 64 प्रतिशत में बॉडी मास इंडेक्स दर्ज नहीं था।
- विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा समान आय/जाति/उच्च विद्यालय प्रमाणपत्रों का उपयोग करते हुए 20,198 मामलों में पोस्ट मेट्रिक फीस-प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत ₹ 10.24 करोड़ की फीस की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया था। 1,792 विद्यार्थियों ने जाली घोषणा प्रस्तुत करके तथा दो पाठ्यक्रमों के लिए एक साथ दावा प्रस्तुत करके ₹ 4.80 करोड़ की फीस की प्रतिपूर्ति का दावा किया था।



- विभाग उन संगठनों/संस्थानों से सेवाकर के लिए ₹ 9.38 करोड़ का संग्रहण करने में विफल रहा जहां होमगार्ड स्वयंसेवक नियुक्त थे। सरकार को अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में तथा राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों/केंद्रों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती पर ₹ 5.08 करोड़ के व्यय का वहन करना पड़ा था जो सरकारी आदेशों के उल्लंघन में है।
- इंडियन रॉड कॉंग्रेस विनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेफर्ड-सेफर्ड हवाई पट्टी के दो लेन से चार लेन तक विस्तारण के कारण ₹ 15.01 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ था।
- गैर अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा प्राप्तियों तथा बैंक प्रत्याभूतियों की स्वीकृति तथा उनकी समय पर पुनःवैधीकरण में विफलता के परिणामस्वरूप ठेका के समापन पर ₹ 12.48 करोड़ की वसूली नहीं हुई।
- ₹ 9.69 करोड़ का व्यय निष्फल माना गया क्योंकि कैंसर के मरीजों को आधुनिक चिकित्सा देने और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के चिकित्सा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सुविधा देने का उद्देश्य उपस्कर की खरीद के पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी लिनियर एक्सीलरेटर मशीन के प्रतिष्ठापन में विलंब के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका था।

उत्तर प्रदेश (2015 का प्रतिवेदन सं. 5)

- **उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन की कार्यप्रणाली :** उत्पादन में कमी 2128 मेगा यूनिटों (एमयू) थी। मार्च 2009 में दिया गया यूनिट 7 का पुनः निर्माण तथा आधुनिकीकरण पूरा नहीं हुआ था। यूनिटों (8 तथा 9) को शुरू करने में विलंब के परिणामस्वरूप 27 से 43 माह का अधिक समय लगा तथा ₹ 1268.36 करोड़ की अधिक लागत आई। यूनिट 5, 8 तथा 9 में तेल तथा कोयले की खपत 2010-11 से 2014-15 में दौरान यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित प्रतिमानों से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 615.44 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।
- **उत्तर प्रदेश राज्य ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पुलों का निर्माण :** मार्च 2015 की समाप्ति पर 740 पुलों में से 231 पुलों पर निर्माण चल रहा था। 53 पुलों में ₹ 438.09 करोड़ की अधिक लागत आई। कंपनी की



यूनिटों की कुल संख्या का 43-64 प्रतिशत अपर्याप्त कारोबार के कारण वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं था। स्वामित्व एवं प्रचालन तथा शटरिंग प्रभारों हेतु प्रतिमानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप 2009-10 से 2014-15 के दौरान ₹ 148.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। विद्युत, तेल एवं स्नेहक (पीओएल) के लिए निर्धारित अधिकतम लागत का पालन न करने के परिणामस्वरूप 70 पुलों में ₹ 129.63 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। पूरे किए गए 37 पुलों को एक से 71 माह के विलंब के पश्चात यूपीपीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया था। 30 पुल मार्च 2015 तक सौंपे नहीं गए तथा उपयोग के लिए खोला नहीं जा सके थे।

ओडिशा (2015 का प्रतिवेदन सं. 4)

- **राज्य के तीन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा उनके अस्पतालों की कार्यप्रणाली :** सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पतालों (जीएमसीएचज़) में अपेक्षित शिक्षण, गैर-शिक्षण तथा पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण शिक्षण के साथ-साथ मरीजों की देखभाल प्रभावित हुई थी। गहन देखभाल यूनिटों (आईसीयूज़) में बिस्तरों की उपलब्धता 69 तक कम रही (कुल बिस्तरों का दो प्रतिशत), आकस्मिकता विभाग में कोई आईसीयू नहीं था। दो जीएमसीएचयूज़ में ट्रॉमा केयर सेंटर चालू नहीं थे। ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन के मापन, ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने आदि के लिए ₹ 3.84 करोड़ की लागत पर खरीदे गए आवश्यक उपस्कर अप्रयुक्त पड़े रहे। अंतर मरीजों के लिए दवाईयों की आपूर्ति अपर्याप्त थी। तीन संलग्न अस्पतालों में मरीजों को 11 प्रकार की 'अवमानक गुणवत्ता'की दवाईया दी गई थी। नर्सिंग विद्यालय के उन्नयन हेतु तथा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण तथा उन्नयन हेतु मिले ₹ 7.45 करोड़ का मई 2014 तक उपयोग नहीं किया जा सका था। तीन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा उनके संलग्न अस्पतालों के निष्पादन का मूल्यांकन 2009-14 के दौरान नहीं किया गया था।
- **शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त तथा सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता:** 106 शहरी क्षेत्रों में से 95 में पूरी शहरी आबाद को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति नहीं की गई थी। जल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग एवं जांच कमजोर



थी। कई शहरी क्षेत्रों में असुरक्षित जल की आपूर्ति की गई थी। निविदा आमंत्रण तथा ठेका प्रबंधन के साथ-साथ जल आपूर्ति कार्यों का कार्यान्वयन परियोजनाओं को पूरा करने में असामान्य विलंब, अपूर्ण कार्यों पर परिहार्य अतिरिक्त लागत (₹ 10.98 करोड़) तथा ₹ 38.55 करोड़ के निष्फल व्यय से बाधित हुआ। निविदा, आमंत्रण कार्यान्वयन तथा निधियों के उपयोग में विलंब के कारण ₹ 128.23 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्राप्त नहीं की जा सकी थी।

तेलगांवा (2016 का प्रतिवेदन सं. 4)

- **साक्षर भारत मिशन के तहत मूलभूत साक्षरता कार्यक्रम का कार्यान्वयन :** राज्य स्तर पर कार्य योजनाओं को ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर की लघु योजनाओं के समर्थन के बिना तैयार किया गया था। राष्ट्रीय वैबसाइट पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपलोड किए गए सर्वेक्षण डाटा में कई विसंगतियों दिखाई दीं। नमूना जांच किए गए 18 जीपीज में से सात में महिला ड्रॉपआउट दर 50 प्रतिशत से अधिक थी। उन राज्यों के संबंध में, जहां निरक्षरों की संख्या उच्च थी, राज्य कार्य योजना (2015-17) में प्राथमिकता निर्धारण नहीं किया गया था। ₹ 136.60 करोड़ के लिए उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) अभी प्राप्त किए जाने थे।
- आवश्यक निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य को शुरू करने के कारण बीबीनगर मंडल के रंगापुर गांव (नलगोंडा जिला) में 'निजाम इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एनआईएमएस) यूनिवर्सिटी कैम्पस विकास' की परियोजना बीच में ही रोकनी पड़ी जिसमें ₹ 80.39 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
- निजाम इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद (एनआईएमएस) के त्रुटिपूर्ण नियोजन के परिणामस्वरूप ₹ 125.91 करोड़ की लागत पर निर्मित भवन अनुपयोगी पड़ा रहा।
- निजाम इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एनआईएमएस) द्वारा आरोग्यश्री योजना के तहत प्रतिमानों के अननुपालन के कारण आरोग्यश्री न्यास द्वारा ₹ 11.72 करोड़ की प्रतिपूर्ति नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप उसका वहन एनआईएमएस को करना पड़ा।



आन्ध्र प्रदेश (2016 का प्रतिवेदन सं. 2)

- निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधीक्षकों के तीन कार्यालयों में बार लाइसेंसों की वार्षिक लाइसेंस फीस का ₹ 1.40 करोड़ तक कम उदग्रहण किया गया था।
- सहायक निदेशक खनन एवं भौमिकी, के दो कार्यालयों में तीन पट्टा विलेखों पर स्टैम्प शुल्क की कम वसूली की गई थी। अनिवार्य रूप से पंजीकरण किए जाने योग्य इन पट्टों को पंजीकृत न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ के स्टैम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई थी।
- चार उप परिवहन कमिशनरों तथा चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा 1,513 परिवहन वाहनों के मालिकों से ₹ 1.49 करोड़ के तिमाही कर तथा ₹ 2.97 करोड़ की शास्ति की वसूली नहीं की गई थी।
- 31,604 परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र (एफसी) के नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ की फीस की वसूली नहीं हुई थी।
- राजस्व डिविजनल अधिकारियों तथा डिविजन स्तर के पंचायत अधिकारियों/ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय की कमी के कारण ₹ 21.27 करोड़ के रूपांतरण कर तथा शास्ति का उदग्रहण नहीं हुआ।
- भूमि पर हस्तांतरण प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण ₹ 13.95 करोड़ की भूमि लागत की वसूली नहीं हुई। ₹ 1.25 करोड़ के रूपांतरण कर की वसूली भी रह गई।
- सहायक निदेशक खनन एवं भौमिकी बनावनपल्ली के कार्यालय में प्रेषित लाइमस्टोन की गलत मात्रा तथा रॉयल्टी की दरों को अपनाने के परिणामस्वरूप रॉयल्टी तथा उपकर का ₹ 18.13 करोड़ तक कम उदग्रहण हुआ।

पश्चिम बंगाल-पंचायती राज संस्थानों का प्रतिवेदन 2016

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीएनआरईजीएस)

- 1569 ग्राम पंचायतें (जीपीज) किसी भी परिवार को 100 दिनों का रोजगार नहीं दे सकी थीं। 1,044 जीपीज 2012-13 के दौरान ₹ 520.69 करोड़ खर्च करने के बाद भी स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन करने में विफल रही।



- 85 जीपीज में 2012-13 के दौरान 13,412 रोजगार आवेदकों को न तो रोजगार उपलब्ध कराया गया था और न ही बेरोजगार भत्ते का भुगतान किया गया था। 375 जीपीज में मजदूरी के वितरण में विलंब भी देखे गए थे।
- 2012-13 के दौरान 60 जीपीज में सामाजिक लेखापरीक्षा फोरम नहीं बनाए गए थे, 60 जीपीज में सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी तथा सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों का 102 जीपीज में निपटान नहीं किया गया था।
- 18 जीपीज में तालाबों के मालिकों के साथ कोई करार किए बिना निजी तालाबों की खुदाई/पुनः खुदाई के लिए ₹ 7.45 करोड़ का व्यय किया गया था।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

- ₹ 24.63 लाख की सहायता कूच बिहार, मालदा तथा बीरभूम जिलों के 72 अपात्र लाभार्थियों को दी गई थी।
- तेइस जीपीज ने घर में महिला सदस्य उपलब्ध होने के बावजूद दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 253 पुरुष सदस्यों को ₹ 32.72 लाख के आईएवाई सहायता आबंटित की थी।
- निधियों को उपयोग न करने तथा राज्य के हिस्से के कम भुगतान के कारण 2008-13 के दौरान आईएवाई सहायता में ₹ 177.97 करोड़ की कटौती की गई थी।
- मॉनिटरिंग तथा पर्यवेक्षण अपर्याप्त पाए गए थे।

संव्यवहारों की लेखापरीक्षा

- छह जिला परिषदों (जेडपीज) ने निक्षेप कार्यों के कार्यान्वयन के समय पंचायत नियमावली के प्रावधान का पालन नहीं किया तथा लाइन विभागों से स्थापना प्रभारों की वसूली न करने के कारण ₹ 1.75 करोड़ की हानि वहन की।
- बांकुरा तथा बीरभूमि जेडपीज ने ₹ 32.60 लाख के राजस्व की अनधिकृत छूट दी थी जिसके कारण जेडपीज को स्वयं निधि की हानि हुई।



- मालदा जेडपी ने पुलों के निर्माण से पूर्व सुदृढीकरण की संशोधित दर को नहीं अपनाया तथा कूचबिहार जेडपी ने सड़क निर्माण कार्यों के निर्माण हेतु बिटुमन तथा पायस की उच्चतर दर की अनुमति दी थी। परिणामस्वरूप, जेडपी ने ₹ 42.19 लाख का अधिक व्यय किया तथा ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया।

कर्नाटक (2016 का प्रतिवेदन सं 1 तथा 2)

- माध्यमिक चरण पर अक्षमों की शिक्षा के सम्मिलन पर योजना के कार्यान्वयन में कमियों के परिणामस्वरूप वर्ष 2009-11 के लिए ₹ 18.93 करोड़ के केन्द्रीय अनुदानों की हानि हुई तथा ₹ 1.79 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।
- व्यवसाय आवश्यकताओं की समझ के बिना वाणिज्यिक ऑफ-द शैल्फ सॉफ्टवेयर 'कैम्पस संसाधन प्रबंधन' की खरीद के परिणामस्वरूप सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं हुआ तथा सॉफ्टवेयर पर ₹ 2.68 करोड़ का निवेश अनुत्पादक हो गया।
- बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) की निधियां अनधिकृत बैंक खातों, नकली सावधि जमाओं को विपथित की गई थीं, तथ्यों के छिपाव, नकली अभिलेखों, भ्रामक वित्तीय विवरण तैयार करने तथा सभी संव्यवहारों के ट्रेल को नष्ट करने के परिणामस्वरूप बीडीए को ₹ 205.85 करोड़ की वित्तीय हानि हुई थी। बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम लि, कॉफी बोर्ड तथा कर्नाटक पिछड़ा वर्ग विभाग भवन निर्माण सॉसायटी में लगभग ₹ 6.17 करोड़ की निधियों के अनधिकृत अन्तरण ने बीडीए की निधियों के गलत प्रस्तुतिकरण के मामलों को दर्शाया।
- कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति तथा ड्रेनेज बोर्ड (बोर्ड) द्वारा जारी की गई परियोजना के बोली दस्तावेज में कीमत समायोजन पर विभिन्न खण्डों में अस्पष्टता के कारण बोर्ड ठेका को उचित रूप से प्रचालित नहीं कर सका जिसके कारण एजेंसी को ₹ 6.17 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।
- **कर्नाटक में पर्यटन का संवर्धन तथा विकास:** उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कार्रवाई योग्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं। पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों, जो पर्यटकों की वृद्धि को बढ़ावा देंगे, की पहचान नहीं की गई थी।



कर्नाटक में पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों में दस वर्षों (2004-14) में केवल छह प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि भारत में उसी अवधि के दौरान दोगुना विदेशी पर्यटक पहुंचे थे। भारत सरकार की सहायता प्राप्त परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.95 करोड़ की केंद्रीय सहायता की हानि हुई। पर्यटकों के लाभ के लिए ₹ 51.63 करोड़ की लागत पर निर्मित सततर यात्री निवासों/शयन गृहों को उपयोग में नहीं लाया गया था।

- त्रुटिपूर्ण ठेका प्रबंधन के साथ सिविक मनोहर स्थलों पर आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के परिणामस्वरूप परियोजना को बीच में छोड़ना पड़ा तथा ₹ 7.71 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
- परियोजना के शुरू होने के आठ वर्षों के बाद भी स्वचालित ट्रैफिक काउंटर सह तुलाई मशीनों को शुरू न करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.60 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
- नंजनगुड तालुक के इम्माव गाँव में अपात्र व्यक्तियों को ₹ 79.29 करोड़ का भूमि मुआवजा दिया गया था।

केरल (2016 का प्रतिवेदन सं 1)

- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक विकास योजनाओं का कार्यान्वयन : नमूना जांच किए गए जिलों के 27 नर्सरी विद्यालयों में से केवल पांच में 25 की न्यूनतम अपेक्षित संख्या दर्ज की गई थी। शेष विद्यालयों में औसत संख्या नौ से 23 के बीच थी। छात्रावास के वार्डन 10 नमूना जांच किए गए प्री-मेट्रिक छात्रावास में रात में नहीं रुकते थे। शोरनुर तथा मुंडुर में प्री-मेट्रिक गर्ल छात्रावास को प्रतिभागियों के रूप में बाहरी व्यक्तियों के साथ बैठकें आदि करने के लिए उपयोग किया जा रहा था जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए खतरा था। आईटीआई ने रोजगार के प्रस्तावों को आकृष्ट करने के लिए नगण्य संभावना के पुराने पाठ्यक्रमों को जारी रखा। पैरामेडिकल संस्थान को चलाने हेतु पदों का सृजन नहीं किया गया था।



- **केरल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता एजेंसी द्वारा कार्यान्वित ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं** : इन योजनाओं से 2,50,000 घरों के लक्ष्य के प्रति केवल 65 प्रतिशत घरों को ही लाभ मिला था। ₹ 2.48 करोड़ की लागत के 88 लघु डब्ल्यूएसएस (34 प्रतिशत) में से तीस अप्रचलित हो गए थे। 10 योजनाओं में लौह निष्कर्षण संयंत्र (आईआरपी) तथा 11 योजनाओं में टेराफिल फिल्टरों के प्रतिष्ठापन के लिए मार्च 2014 में प्राप्त ₹ 1.78 करोड़ अव्ययित रहे। कृत्रिम भू-जल रिचार्ज तथा संधारणीयता के लिए उपयोग किए जाने वाले ₹ 22.76 करोड़ के प्रति किया गया व्यय केवल ₹ 5.89 करोड़ था। जलनिधि चरण-1 की 85 योजनाओं में संसाधन सूख गए थे।
- 2010-14 के दौरान राज्य में तीन विश्वविद्यालयों ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन प्रभागों के प्रति अध्यापकों को ₹ 5.28 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान किया था।
- कार्यान्वयन में शिथिलता के कारण 11,214 बीपीएल महिलाओं को गरीबी उन्मूलन योजना हेतु ₹ 2.80 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद लाभ नहीं मिल सका था।

अरुणाचल प्रदेश (2015 का प्रतिवेदन सं. 1)

- **कुल स्वच्छता अभियान (टीएससी)/निर्मल भारत अभियान (एनबीए)**: 2012-13 में संशोधित परियोजना कार्यान्वयन योजना को राष्ट्रीय योजना संस्वीकरण समिति द्वारा अभी तक अनुमोदित किया जाना था। बीपीएल/एपीएल घरों की संख्या में विसंगतियां देखी गई थी जिसमें परिशोधन की आवश्यकता है। समय पर लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता से ₹ 293.13 लाख का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा था। तीन नमूना जिलों में, ₹ 183.76 लाख की सेनिटरी सामग्री लम्बे समय से अनुपयोगी/बेकार पड़ी थी। इस अवधि के दौरान निर्मित कोई भी आंगनवाड़ी शौचालय शिशु हितैषी नहीं था। राज्य में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन शुरूआती स्तर पर था और इस क्षेत्र में कोई मूर्त कार्य नहीं किया गया था।
- कार्यकारी इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, मेचुखा डिविजन ने ₹ 22.36 लाख के संदेहास्पद भुगतान को स्वीकार किया था। अधिक व्यय



उच्च दर की अनुमति देकर हेड लोड प्रभारों पर ₹ 48.61 लाख का व्यय किया गया था।

- कार्यकारी इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी, बोंमडिला डिविजन बढ़ी हुई अनुमानित दरों पर प्रतिस्पर्धात्मक बोली के बिना कार्य कराया था जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 178.94 लाख का अनुचित लाभ मिला।
- ₹ 749.56 लाख की लागत पर किया गया क्षरण-रोधी कार्य अधिक समय तक नहीं चल सकेगा और निचले क्षेत्रों पर बाढ़ का खतरा बना रहेगा।
- एसटी, तेजू दो अपंजीकृत डीलरों के संबंध में ₹ 48.37 लाख के कर का निर्धारण करने में विफल रहा।
- डीलर द्वारा स्रोत पर कर कटौती न करने तथा बिना पंजीकरण के व्यवसाय जारी रखने के कारण ₹ 3.23 करोड़ की राजस्व हानि हुई।
- हाइड्रो पावर विकास विभाग द्वारा दो लघु हाइड्रो परियोजनाओं पर ₹ 43.88 करोड़ का निवेश परियोजना स्थान की अपर्याप्त एवं अनुचित व्यवहार्यता अध्ययन के कारण बेकार साबित हुआ।

मेघालय (2016 का प्रतिवेदन सं 2)

- **जल आपूर्ति योजनाएं** : निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित 28 जल आपूर्ति योजनाओं (डब्ल्यूएसएस) में से एक भी योजना समय पर पूरी नहीं हुई थी। आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित वित्तीय लाभ जैसी वित्तीय अनियमितताएं भी देखी गई थीं। निष्फल व्यय, अनधिकृत भुगतान तथा गलत रिपोर्टिंग के मामले देखे गए थे। राज्य में केवल 50 प्रतिशत अपेक्षित उप-डिविजनल प्रयोगशालाएं प्रतिष्ठापित की गई थी। योजनाओं के निष्पादन पर मूल्यांकन अध्ययन या विभाग के निष्पादन के निर्धारण कभी नहीं किए गए थे। सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए किसी जल गुणवत्ता तथा निगरानी तंत्र का वास्तविक अभाव था।
- संयुक्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेघालय द्वारा अनुमोदित दरों की बजाय उच्चतर दरों पर दवाईयों की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 1.94 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ तथा अननुमोदित फर्म को ₹ 0.49 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।



- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत समय सीमाओं के अनुसार सुधारों को कार्यान्वित करने में विफलता के कारण राज्य ₹ 17.41 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से वंचित रहा। ग्रेटर शिलांग जल आपूर्ति परियोजना (चरण-III) को पूरा करने में विलंब के कारण ₹ 131.84 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
- मेघालय शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा तूरा तथा नांगपोह में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 10.24 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
- मेघालय उर्जा निगम लिमिटेड ने उपभोक्ता को पिछली देयताओं के निपटान हेतु आग्रह किए बिना ठेका लोड को उपभोक्ता से अपने सहयोगी प्रतिष्ठान को अनियमित रूप से हस्तांतरित कर दिया था जिसके कारण ₹ 13.40 करोड़ की अदत्त देयताओं का संचय हो गया।
- मेघालय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 7.76 करोड़ की संविधिक देयताओं को अनधिकृत रूप में रखा गया था।

मिजोरम (2015 का प्रतिवेदन सं 2)

- **आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास :** राज्य आपदा प्रबंधन योजना को छह वर्षों से अधिक के विलंब से प्रकाशित किया गया था। सीआरएफ तथा एसडीआरएफ की केंद्रीय एवं राज्य हिस्सेदारी के मुख्य हिस्से को 2009-14 के दौरान राज्य सरकार के जमा खाते में रखा गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.84 करोड़ के ब्याज की संभावित हानि हुई। विभाग ने भारत सरकार को अव्ययित निधि वापस किए बिना परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रति ₹ 45 लाख का विचलन कर दिया जो एनसीसीएफ के तहत अनुमत नहीं था। विभाग ने मूल अभिलेखों के रख-रखाव के बिना 6, 322 सिलपोलिन की खरीद हेतु ₹ 45.33 लाख का संदेहास्पद व्यय किया था। मार्च 2010 से मार्च 2014 के दौरान, 54 पीडिटों को ₹ 24.76 लाख की वास्तविक वित्तीय सहायता के प्रति ₹ 12.68 लाख की राहत सहायता दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.68 लाख की कमी आई।
- **विद्युत एवं बिजली विभाग (पीएण्डईडी) द्वारा उत्पादन एवं खरीद के माध्यम से विद्युत का प्रबंधन:** विभाग ने 2008-09 से 2013-14 के दौरान



237.68 एम यू ऊर्जा के अधिक आहरण के कारण ₹ 7,446.81 लाख के अनिर्धारित इंटरचेंज प्रभारों का भुगतान किया था। विभाग न्यूनतम निर्धारित सौर ऊर्जा की खरीद हेतु टाई-अप करने में विफल रहा जिसके कारण ₹ 3.62 करोड़ का सौर अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र खरीदने पर बाध्य होना पड़ा। व्यय में अननुपातिक वृद्धि के परिणामस्वरूप 2008-09 से 2013-14 के दौरान विभाग के घाटे में 159 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभाग ने 2008-09 से 2013-14 के दौरान बिलों के भुगतान में विलंब के कारण उत्पादन स्टेशनों तथा केंद्रीय ट्रांसमिशन यूनिट को अधिभार के रूप में ₹ 18.19 करोड़ का भुगतान किया। विभाग पीपीएज में निर्दिष्ट समय में एससी अकाउंट की पुनःपूर्ति न करने के कारण 2009-14 के दौरान विद्युत खरीद बिलों के भुगतान में ₹ 6.92 करोड़ की छूट प्राप्त नहीं कर सका था।

मणिपुर (2015 का प्रतिवेदन सं. 1)

- विद्यालयों हेतु अवसंरचना के निर्माण को निधियों के कम भुगतान के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा। विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा आर्ट एवं क्राफ्ट केंद्रों को चालू नहीं किया जा सका था क्योंकि प्रयोगशाला सहायकों, लाइब्रेरियन तथा आर्ट एवं क्राफ्ट के निर्देशक की नियुक्ति नहीं की गई थी।
- परिवार कल्याण विभाग ने दी गई वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन करते हुए ₹ 97.93 लाख का व्यय किया। राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आबंटित ₹ 65.93 लाख आहरित किए किंतु इस राशि को रोकड़ बही में नहीं दर्शाया।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने निर्माण कार्य हेतु ₹ 79.00 लाख की मनरेगा निधि का विचलन किया जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत नहीं था। निर्माण कार्य के अनुमानों को उच्च दरों पर तैयार करने के कारण ₹ 2.83 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।
- **पूर्ण स्वच्छता अभियान** : योजना की प्रक्रिया ग्रामीण लाभार्थियों की जरूरतों/आवश्यकताओं के व्यापक आकलन से रहित थी। परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपीज) की तैयारी में समुदाय की कोई भागीदारी नहीं थी। वर्ष 2009-2013 के दौरान, विभाग ₹ 76.38 करोड़ की



उपलब्ध निधि का केवल 71 प्रतिशत ही उपयोग कर सका। राज्य सरकार ने अपने मैचिंग शेयर से वेट, विभागीय प्रभारों तथा श्रम उपकर की कटौती की जिसके परिणामस्वरूप निधियों की कम उगाही हुई। विभाग ने प्लास्टिक स्केटिंग प्लेटों की खरीद पर ₹ 30.60 लाख तथा एनजीओज द्वारा व्यक्तिगत हाउसहोल्ड लैट्रिन (आईएचएचएलज) के निर्माण पर ₹ 36.73 लाख का परिहार्य तथा अस्वीकार्य व्यय किया। 2009-10 से 2013-14 तक के दौरान, निर्माण किए जाने वाले 3,49,763 आईएचएचएलज के लक्ष्य के प्रति केवल 1,91,340 आईएचएचएल का निर्माण किया गया (54.71 प्रतिशत)।

- वन विभाग ने ठेकेदार को ब्याज मुक्त मशीनरी अग्रिम का भुगतान किया जिसने ठेका प्रावधान को ₹ 17.66 करोड़ तक बढ़ाया। इसमें ₹ 1.23 करोड़ के बकाया अग्रिम हेतु कोई प्रतिभूति नहीं थी।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (पीएचईडी) में, आपूर्तिकर्ता ने पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के तीन वर्षों के पश्चात भी ₹ 1.53 करोड़ मूल्य के डीआई पाइपों का वितरण नहीं किया था। जल प्रभारों के संग्रहण में पीएचईडी की विफलता के कारण 2011-12 से 2013-14 तक की समयावधि हेतु ₹ 7.10 करोड़ के जल प्रभार बकाया थे। ₹ 53.08 लाख के गालवेनाइज्ड आयरन (जीआई) पाइपों का गलत विनियोजन संदेहास्पद है क्योंकि इन्हें भुगतान करने के 63 माह के पश्चात भी प्राप्त नहीं किया गया था।

त्रिपुरा (2016 का प्रतिवेदन संख्या 1)

- **त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) की कार्यप्रणाली में प्रभावकारिता:** टीएसपीसीबी ने प्रदूषण करने वाले उद्यमों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया तथा जल और वायु प्रदूषण से बचने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए व्यापक योजना नहीं बनाई थी। अगरतला में टीएसपीसीबी प्रयोगशाला आधिकारिक मान्यता तथा अपेक्षित जांच सुविधाओं के बिना कार्य कर रही थी। क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रयोगशालाओं को अवसंरचना सुविधाओं के अभाव के कारण परिचालनात्मक नहीं बनाया जा सका। राज्य में अधिकतम औद्योगिक इकाईयां सहमति के नवीकरण के



बिना कार्य कर रही थी। अधिक प्रदूषण करने वाले 'रेड' श्रेणी उद्योग की भी जांच करने में अत्यधिक कमी थी। एनएएमपी के तहत निर्धारित सभी आवश्यक मानदण्डों का विश्लेषण करने के लिए टीएसपीसीबी अपेक्षित जांच सुविधाओं के साथ परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग स्टेशनों की स्थापना नहीं कर सका। टीएसपीसीबी द्वारा नदी तथा जलाशयों की जल गुणवत्ता की पुनः प्राप्ति के लिए जल अधिनियम के तहत अपेक्षित कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई। निगम निकायों ने निगम ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हैंडलिंग) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया तथा टीएसपीसीबी ने ईपी अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं की। पहचाने गए 1258 हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट (एचसीईज) में से, 694 एचसीईज ने टीएसपीसीबी से प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया। इसमें जैविक-चिकित्सा अपशिष्ट निवारण तथा निपटान सुविधाओं का अभाव था। टीएसपीसीबी के वित्तीय प्रबंधन में कमी थी क्योंकि यह प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर वार्षिक रूप से उपलब्ध निधि का केवल 4.72 प्रतिशत से 14.13 प्रतिशत तक उपयोग कर सका था। अपर्याप्त श्रमबल ने टीएसपीसीबी की कार्यप्रणाली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

- डिजाइन लाइफ की गणना में गलत मानदण्ड अपनाने के परिणामस्वरूप बिटुमिनस मेकाडेम (बीएम) की अधिक विनिर्देशनों के निष्पादन से महारानी से अमरपुर के सड़क निर्माण पर ₹ 6.59 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
- भू-परतों के पर्याप्त अध्ययन के बिना कार्य प्रारंभ करने और वांछित स्तरों से कम पर पायर कुओं की भराई के परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ का अतिरिक्त व्यय और समय अधिक्य हुआ और पुल की मजबूती और स्थायित्व से समझौता हुआ।
- त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा वार्षिक आयकर रिटर्न भरने में लापरवाही और अग्रिम आयकर प्रेषित करने में कमी के परिणामस्वरूप ₹ 4.52 करोड़ का परिहार्य ब्याज व्यय हुआ।



सिक्किम (2016 का प्रतिवेदन संख्या 1)

- मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडीडी) पर्याप्त बजटीय प्रावधानों के बिना सिक्किम राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (एसआईएमएफडी) से उधार ली गई निधि से ₹ 47.43 करोड़ के व्यय से छात्रों को मुफ्त बांटने के लिए लेपटापों की अधिप्राप्ति की। जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने ऋण पर ब्याज के भुगतान से ₹ 1.22 करोड़ की हानि उठाई।
- ऊर्जा और विद्युत विभाग के कार्य के पुनः नियमपुस्तक के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप निष्पादन पर ₹ 2.27 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- ऊर्जा और विद्युत विभाग द्वारा ठेकेदार को मोबिलाइजेशन अग्रिम(एमए) देने के लिए सरकार की अनुमोदित शर्तों के बारे में बताने में विफलता के परिणामस्वरूप एमए पर ₹ 2.79 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं हुई।
- सड़क और पुल विभाग द्वारा सड़क कार्य के निर्माण में कार्य की मदों की अनुचित समाविष्टि के कारण 16 कार्यों में ₹ 2.32 करोड़ का परिहार्य हुआ।
- निविदाकरण प्रक्रिया में एसपीडब्ल्यू नियमावली के प्रावधानों के अननुपालन, प्रतिस्पर्धी बोली के अभाव और असामान्य रूप से उच्च दरों पर कार्य देने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ और ठेकेदार को ₹ 2.27 करोड़ का अदेय वित्तीय लाभ हुआ और अवशिष्ट कार्य पर ₹ 5.21 करोड़ का अतिरिक्त लाभ दिया गया।
- होटल मालिकों के रिटर्नों की वाणिज्यिक कर डिविजन में अपर्याप्त संवीक्षा के परिणामस्वरूप ₹ 2.59 करोड़ की राजस्व हानि हुई।
- उत्पाद शुल्क (आबकारी) विभाग सिक्किम डिस्टीलरीज लिमिटेड (एसडीएल) के प्रबंधन, नियंत्रण एवं शासन के प्रतिनिधि व्यक्ति से ₹ 5.79 करोड़ के प्रतिबद्ध भुगतान की वसूली करने में विफल रहा। राज्य के कोष में निवेश से ब्याज पर ₹ 1.20 करोड़ की हानि हुई जिसकी वसूली नहीं की गई थी।
- बॉटलिंग शुल्क लगाने में उत्पाद शुल्क (आबकारी) विभाग द्वारा अधिसूचना की भाषा में त्रुटि के कारण वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹ 4.32 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।



- सिक्किम राज्य लॉटरीज़ निदेशालय द्वारा लाइसेंस जारी किए बिना, जिसे पांच वर्षों के लिए पांच करोड़ के भुगतान के प्रति प्राप्त किया जाना चाहिए था, पांच वर्षों के लिए ₹ 50 लाख प्रतिवर्ष की दर पर इसके नवीकरण में ₹ 2.5 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

IV लेखापरीक्षा के कहने पर नीतियों, नियमों और कानूनों तथा प्रक्रियाओं में बदलाव

हमारी आपत्तियों के आधार पर सरकार द्वारा नीतियों, नियमों और कानूनों तथा प्रक्रियाओं में किए गए कुछ बदलाव इस प्रकार हैं:

IV क संघ लेखापरीक्षा

वाणिज्यिक - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसईज़) सामान्य उद्देश्य वित्तीय रिपोर्ट (2015 की संख्या 2)

- वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सीएजी ने आम सहमति के आधार पर सीपीएसईज़ के लेखाओं की त्रि-स्तरीय लेखापरीक्षा प्रणाली शुरू की इसके कारण उनकी वित्तीय विवरणियों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। त्रि-स्तरीय लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव, लाभकारिता पर ₹ 20,225 करोड़ तथा परिसम्पत्तियों/देयताओं पर ₹ 38,497 करोड़ था।
- सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप दो सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों, छः गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्टों में संशोधन किया।
- सांविधिक निगमों के मामले में जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, ₹ 480 करोड़ की त्रुटियों का संशोधन सीएजी की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप किया गया था।

वाणिज्यिक - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसईज़) की सामान्य उद्देश्य की वित्तीय रिपोर्ट 2016 की संख्या 9

- सीपीएसईज़ के लेखाओं की त्रिस्तरीय लेखापरीक्षा प्रणाली का प्रभाव लाभकारिता पर ₹ 8387.82 करोड़ तथा परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 16,394.97 करोड़ था।



- सांविधिक निगमों के मामले में जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, ₹ 405.34 करोड़ की त्रुटियों का संशोधन सीएजी की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप किया गया था।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर: 2013 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 9 (सेवाओं का आयात)

- विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों से सूचना की मांग करने तथा ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित विवरणी की सिफारिश के अनुपालन में केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 में दो नई धारायें (धारा 15ए एवं 15बी) जोड़ी गईं।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर: 2014 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.29 (अभियोजन एवं जुर्माना)
- अभियोजन मामलों की समीक्षा करने तथा ₹ 5.00 लाख से कम मूल्य वाले मामलों को वापस लेने हेतु दिनांक 29 फरवरी 2016 को परिपत्र जारी किया गया।

रक्षा सेवार्यें - रक्षा सम्पदा प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा (2010-11 का प्रतिवेदन संख्या 35)

- सरकारी नीति के उल्लंघन में दुरुपयोग/दुष्प्रयोग तथा क्लबों और पार्कों के अप्राधिकृत उपयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

रक्षा सेवार्यें - सेना में राशन की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा (2010-11 का प्रतिवेदन संख्या 6)

- सूखे राशन का प्रावधान की अब पहले $\frac{3}{4}$ के बदले तैनात संख्याबल की 4/5 गणना की जा रही है। 2016-17 के दौरान 4/5 के बढ़े हुए पैमाने पर सरकारी मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है।

2013 का प्रतिवेदन संख्या 25 (रेलवे) - पू.सी. रेलवे - पैरा संख्या 3.6 - जिला प्रशासन द्वारा रेलवे की जमीन के अप्राधिकृत अधिग्रहण के कारण हानि

- रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) लेखापरीक्षा आपत्तियों से आंशिक रूप से सहमत हो गया और तदनुसार सभी क्षेत्रीय रेलवे को रेलवे की जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए रेलवे बोर्ड के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का सुझाव दिया।



IV ख राज्य लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़: 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) - पैरा 8.16

- परिवहन विभाग ने ई-चालान द्वारा कर/शुल्क के भुगतान को बंद करने तथा पूर्णतः एकीकृत भुगतान विकल्प को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है।

आंध्र प्रदेश: मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2013 का प्रतिवेदन संख्या 4)

- सरकार ने छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु राजस्व विभाग से आय और जाति प्रमाणपत्र जमा करने के अधिदेश के अलावा छात्रवृत्तियों के वितरण हेतु पात्र विद्यार्थियों की पहचान एवं सत्यापन के लिए आधार को जोड़ने जैसे उपाय शुरू किए थे।
- सरकार ने सभी जिला कल्याण अधिकारियों को नोडल बैंकों में पड़ी धनराशि को संबंधित सरकारी खाते में लौटाने का निर्देश जारी किया था। सभी जिला कल्याण अधिकारियों को ई-पास में किए गए प्रावधान में चालान और प्रेषण विवरण दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
- सरकार द्वारा एसएससी/सीईटी डाटा के साथ विद्यार्थी विवरणों के सत्यापन जैसे सत्यापन नियंत्रण शुरू किए गए।
- सरकार ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रों को भुगतान किए जाने वाली छात्रवृत्ति को ई-पास के दायरे में लाई जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सिफारिश की गई थी।

आंध्र प्रदेश: मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2016 का प्रतिवेदन संख्या 4)

- सरकार ने पूरे राज्य में पेयजल की आपूर्ति हेतु परिकल्पित प्रमुख कार्यक्रम 'इंटिटिकी नल्ला³' के साथ सदाशिवपेट जल आपूर्ति योजना के एकीकरण का आश्वासन दिया।

³ सभी घरों को जल कनेक्शन



ओडिशा (ईआरएसए): लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - 2013-14 का पैराग्राफ सं. 5.7.1, 2012-13 का 3.4.1, 2011-12 का 3.4.1, 2010-11 का 3.5.1, 2009-10 का 3.4.1, 2008-09 का 3.5.1 और 2007-08 का 3.4

- लेखापरीक्षा सिफारिशों के परिणामस्वरूप ओडिशा मोटर वाहन नियमावली, 1993 में प्रक्रिया शुल्क समाप्त कर दिया गया।

ओडिशा (ईआरएसए): 2012-13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पैराग्राफ संख्या 3.5.8,- 2013-14 का 5.3.12 की

- वार्षिक उत्पाद नीति, 2015-16 में शीरा का उत्पादन, भण्डारण और कारोबार करने वाले शुगर उद्योगों से लाइसेंस शुल्क की अनिवार्य वसूली शुरू की गई।

पश्चिम बंगाल (ईआरएसए) - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014-15 का पैरा संख्या 6.4.11

- छोटे खनिज नियमावली, 2002 के नियम 24(1) के तहत भाग VI के खण्ड 4 में प्रावधान है कि पट्टेदार को शेष देय किसी राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। हालांकि, राज्य सरकार ने छोटे खनिजों के खनन बकाए के विलम्बित भुगतान के लिए किसी ब्याज दर का प्रावधान नहीं किया है।
- भूमि एवं भूमि सुधार विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि एवं भूमि सुधार नियमावली, 1991 के नियम 303 के संदर्भ में छोटे खनिजों के खनन बकाए के विलम्बित भुगतान के लिए 6.25% की दर से ब्याज उगाही करने का निर्देश दिया।

राजस्थान (ईआरएसए): 2005-06 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

- लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामस्वरूप बीयर, ईएनए और परिशोधित स्पिरिट के उत्पादन हेतु मानकों के निर्धारण के लिए नियम 12 में संशोधन कर दिया गया।

राजस्थान (ईआरएसए): 2010-11 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

- लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामस्वरूप राजस्थान उत्पाद शुल्क नियमावली, 1956 के नियम 33 (सी) और नियम 34(3)(4) में संशोधन कर दिया गया।



राजस्थान (ईआरएसए): 2014-15 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

- नए क्रमांक सं. 72 को जोड़कर राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची II में संशोधन: लेखापरीक्षा आपति के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा “आधारभूत” के रूप में वर्गीकृत हेरिटेज होटलों में डीलरों द्वारा पकाए गए खाद्य पदार्थों की बिक्री में संशोधन कर दिया गया।

V लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

इस्साई 10 में प्रावधान है कि यह सुनिश्चित करने के लिए साई के पास स्वतंत्र प्रक्रियाएँ होनी चाहिए कि लेखापरीक्षित सत्व अपनी आपत्तियों और सिफारिशों का उचित प्रकार समाधान करें और सुधारात्मक कार्रवाई करें। लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 में प्रावधान है कि सरकार के संबंधित विभाग के सचिव को अपने विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफ (फों) पर स्वतः स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणी(याँ) तैयार करनी होंगी जिसे पीएसी/सीओपीयू के प्रस्तुतीकरण हेतु लेखापरीक्षा में शामिल किया जाता है।

की गई कार्रवाई टिप्पणी में उल्लेख होगा कि क्या

- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तथ्य एवं आंकड़े स्वीकार्य हैं;
- परिस्थितियाँ जिनमें हमारे द्वारा बताई गई अनियमितताएँ की गई;
- जवाबदेही तय करने हेतु की गई कार्रवाई और इसकी पूर्णता हेतु सम्भावित समय-सीमा;
- वसूली की वर्तमान स्थिति;
- लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों और की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई; और
- भविष्य में चूक होने से रोकने के लिए की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई।



नीचे तालिका में 31 मार्च 2016 तक की गई कार्रवाई (एटीएन) की स्थिति दर्शाई गई है:

	31 मार्च 2015 के अंत तक प्रतीक्षित एटीएन	वर्ष के दौरान निपटाये गये एटीएन
संघ स्तर	544	975
राज्य स्तर	10,273	1,589
कुल	10,817	2,564



अध्याय 4

महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ - लेखा एवं हकदारी

संविधान के अनुच्छेद 149 एवं सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 10,11 और 12 में संघ तथा राज्य सरकार के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य तथा शक्तियों का प्रावधान है। सीएजी राज्य सरकारों (गोवा का छोड़कर) के लेखाओं के संकलन और तैयार करने, उन्नीस राज्यों के जीपीएफ लेखाओं के रखरखाव एवं अठ्ठारह राज्यों के राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने के लिए उत्तरदायी है। सीएजी नौ राज्यों में राजपत्रित हकदारी कार्यों के लिए भी उत्तरदायी है। वर्ष 2015-16 के दौरान सीएजी के सरकारी लेखांकन स्कंध के महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र और उपलब्धियों की चर्चा नीचे की गई है।

I नवप्रवर्तन तथा पहल

एजी (ले.व हक) आंध्र-प्रदेश एवं तेलंगाना

1. **जीपीएफ:** ट्रांसमिशन देरी से बचने के लिए अगस्त 2015 से भुगतान का ई-सत्यापन लागू किया गया। उपभोक्ताओं को स्थानीय मी-सेवा एजेंसी से सूचना डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन की डीडीओ प्रति पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाता है।

2 **लेखे:** 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश राज्य को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में विभाजित कर दिया गया। इसके कारण परिणामी मुद्दे जैसे-परिसंपत्तियों एवं देयताओं का विभाजन, ऋण जमा एवं प्रेषण शीर्षों के तहत अधिशेषों के विभाजन, दोनों राज्यों के लिए अलग-अलग मासिक एवं वार्षिक लेखे तैयार करना, कार्यात्मक विंग का पुनर्संगठन आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र उभरे हैं जिनका कार्यालय द्वारा समाधान किया गया। कुछ गैर-संचालित शीर्षों के संबंध में समाप्ति आदेश भी प्राप्त किए गए थे जो लेखाओं के निपटान के लिए आवश्यक थे। इसके अतिरिक्त, एजी कार्यालय ने गुम वाउचरों की संख्या को कम करने के लिए कोषों का एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया।



एजी (लेखा एवं हक.) बिहार

उपार्जित लेखांकन: राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग के सहयोग से उपार्जित आधारित लेखांकन प्रणाली पर पायलट अध्ययन के लिए एक दल का गठन किया गया है। एजी कार्यालय पायलट अध्ययन की सूक्ष्म निगरानी भी कर रहा है।

एजी (लेखा एवं हक.) गुजरात

जीईएमएस अनुप्रयोग की शुरुआत: जीईएमएस (जीपीएफ हकदारी प्रबंधन प्रणाली) अनुप्रयोग का ओरेकल 11जी में घरेलू विकास किया गया जो गुजरात राज्य सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के अंतिम जीपीएफ भुगतान की स्वतः सत्यापन प्रक्रिया द्वारा जीपीएफ हकदारी कार्य को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु बना कार्य प्रवाह आधारित सॉफ्टवेयर है। जीईएमएस उन्नत सेवा प्रेषण और बेहतर हितधारक संतुष्टि के उद्देश्य से एक कारगर कार्य प्रवाह आधारित स्वचालित जीपीएफ हकदारी कार्य विकसित करने के प्रति एक महत्वपूर्ण चलांग है।

एजी (ले. एवं हक.) हरियाणा

1. भुगतान हेतु बिलों के प्रसंस्करण के लिए कार्यालय को हरियाणा राज्य आईएफएमएस के साथ समन्वित किया गया था।
2. **पेंशन अभिलेखों का डिजिटलीकरण:** स्कैनिंग के लिए दस्तावेजों की पहचान करने हेतु एक अलग कक्ष बनाया गया है। राज्य के आईएफएमएस और कार्यालय के पेंशन एप्लीकेशन के बीच इंटरफेस का सृजन का मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया था।

एजी (ले एवं हक.) केरल

वेतन पर्चियों का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण: जीईएमएस का राज्य सरकार की स्पार्क प्रणाली के साथ समन्वय के कारण 1 दिसम्बर 2015 से राजपत्रित अधिकारियों की वेतन पर्चियाँ तथा 12 फरवरी 2016 से छुट्टी अधिशेष, स्पार्क को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है।



स्पाक से जीईएमएस को राजपत्रित अधिकारियों की छुट्टी, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि से संबंधित सरकारी आदेशों/विभागीय कार्यवाहियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और 2016-17 के दौरान इसे लागू किए जाने की संभावना है। अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के संबंध में वेतन संशोधन 2016 से जुड़े मामलों के प्रसंस्करण हेतु जीईएमएस को सज्जित करना भी आरम्भ किया जा चुका है।

एजी (ले. व. हक) महाराष्ट्र-I

1. **उपार्जित लेखांकन में स्थानान्तरण:** उपार्जित लेखांकन में स्थानान्तरण करने पर एक पायलट अध्ययन किया जा रहा है।
2. **पेंशन संशोधन मामले:** संशोधन मामलों के निर्धारण में देरी से बचने के क्रम में संशोधन मामलों की पहचान करने के लिए पेंशन संशोधन मामलों के नियंत्रण तंत्र में प्रमुख परिवर्तन किया गया।
3. **लेखे:** कोषागार निरीक्षण दल के कार्यों में गुणवत्तापरक सुधार करने के लिए उन्हें कोषागारों के निरीक्षण के दौरान डीसी बिल और उपयोग प्रमाणपत्र लेने का निर्देश दिया गया था। परिणामस्वरूप 2015-16 में कोषागारों के निरीक्षण के दौरान 7868 यूसीज़ का संग्रहण किया गया। निदेशक, लेखा एवं कोषागार की निरीक्षण रिपोर्ट में आईएफएमएस से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को भी शामिल किया गया था, जो आईएफएमएस में सॉफ्टवेयर बनाने वाला नोडल कार्यालय है।
4. **भविष्य निधि:** गुम क्रेडिट्स और बिना दर्ज मदों आदि के निपटान के लिए 33 डीडीओ में अस्थाई दल भेजे गए थे।

एजी (ले व हक.) महाराष्ट्र-II

1. **लेखे:** वर्गीकरण की जांच के लिए इन-हाऊस माइयूल विकसित किया गया जिससे कोषागारों द्वारा प्रस्तुत मासिक लेखाओं में त्रुटि का पता लगाने में सुधार हुआ। राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से मामले को देखने से मासिक लेखाओं में त्रुटियों की संख्या जुलाई 2015 में 4055 से घटकर मार्च 2016 के महीने में 475 हो गई।



2. **पेंशन आवेदनों की ऑनलाइन प्राप्ति:** पेंशन आवेदन, ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के आईएफएमएस में पेंशन माड्यूल का प्रयोग किया जा रहा है। सेवानिवृत्ति के प्राप्त 80% से अधिक मामले तीस दिनों के भीतर निपटा दिए गए तथा 100% मामलों का निपटान साठ दिनों के भीतर किया जा रहा है।
3. **जीपीएफ:** अवशिष्ट शेष मामलों के प्रसंस्करण हेतु एक नई स्क्रीन का इन-हाऊस विकास किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अवशिष्ट शेष में दिए गए ब्याज को दर्ज न करने की घटनायें घटकर शून्य हो गई हैं।
4. **कार्यालय इंटरनेट:** इस कार्यालय ने एक इंटरनेट विकसित किया है जिसमें इस कार्यालय के बारे में तथा इसके कार्यकलाप, वरीयता सूची, नियमावली, पुस्तक, जर्नल, परिपत्रों के साथ-साथ स्थानांतरण तैनाती आदेशों की सूचना और जीपीएफ खातों की जानकारी निहित है।

एजी (ले व हक.) मणिपुर

1. **अभिलेखों का डिजिटलीकरण:** अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दो अधिकारियों को एजी (ले व हक.), ओड़िसा प्रतिनियुक्त किया गया। वर्तमान पेंशन अभिलेखों का इन-हाऊस डिजिटलीकरण शुरू कर दिया गया है।
2. **जीपीएफ प्राधिकार:** मैनुअल जीपीएफ प्राधिकार को पूरी तरह उसके कम्प्यूटरीकृत जीपीएफ प्राधिकार में बदलना जारी है।

एजी (ले व हक.) मेघालय

1. **लेखे:** आईएफएमएस पोर्टल से कोषीय लेखे डाउनलोड किए जा रहे हैं तथा मैनुअली प्राप्त लेखाओं के प्रति डाटा की पूर्णता, वैधता और सटीकता की जांच की जा रही है।
2. **जीपीएफ:** एसएमएस, स्मार्टफोन एप्लीकेशन और ई-विवरण के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ खातों से संबंधित जानकारी भेजी जा रही है। डीएजी (ए/सीएस एवं वीएलसी) के सीधे पर्यवेक्षण में एक शिकायत/ निवारण



कक्ष स्थापित किया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए सभी अंतिम भुगतान वाले मामलों को अब वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

3. पेंशन: पूरी तरह से पेंशन के पेपर कैसे प्रस्तुत करना है इसके लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें' सूची के साथ दिशानिर्देश सभी राज्य सरकार प्राधिकरणों को भी परिचालित किए गए हैं। इसके अलावा, आगामी सेवानिवृत्ति की संख्या सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि दर्शाने वाला राज्य सरकार कर्मचारी डाटाबेस इकठ्ठा किया गया।

3. राजपत्रित हकदारी: जीई विंग के कम्प्यूटरीकरण हेतु इसे अपनाने/कार्यान्वयन से पूर्व अपेक्षित परिवर्तनों के निर्धारण और पैकेज का अध्ययन करने के लिए एक दल ने एजी (ले व हक.) केरल, कार्यालय का दौरा किया।

एजी (ले व हक.) ओड़िसा

1. लेखे: व्यय के ई-मिलान का कार्यान्वयन किया गया है। एचबीए डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है।

2. जीपीएफ: जीपीएफ ई-अनुसूची का संग्रहण किया जा रहा है तथा इंटरफेस के माध्यम से जीपीएफ पैकेज में दर्ज किया जा रहा है। ई-अनुसूची डाटा से प्रविष्टि शीघ्र और अधिक मात्रात्मक हो गयी है और अनुसूचियों और वाउचरों की आवश्यकता की समस्या भी न्यूनतम हो गई है। जीपीएफ (डाक) प्रणाली शुरू की गई है जिससे 5-6 कार्यदिवसों की बचत होती है और मामलों के प्रसंस्करण में समय में कमी हुई है। जीपीएफ प्रणाली के माध्यम से जीपीएफ अंतिम भुगतान प्राधिकारी का प्रिंट लेने का भी प्रावधान किया गया है।

एजी (ले व हक.) तमिलनाडु

लेखे: प्रतिदिन आधार पर ई-मेल के माध्यम से एसी शाखा में प्राप्त निपटान जापन (सीएम) डाटा प्रविष्टि के माध्यम से वीएलसी प्रणाली में प्रगृहीत किया जाता है और महीने के अंत में सीएम सार से मिलान किया जाता है। इससे उचंत शीर्ष का निपटान कर दिया जाता है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व इसे शून्य कर दिया जाता है।



एजी (ले व हक.) उत्तर प्रदेश-I

1. **लेख:** ऐसे ऋणदाता जिनके अदेयता प्रमाणपत्र का अनुरोध इस कार्यालय में प्राप्त होता है, उनको समय पर प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है।
2. **जीपीएफ:** वर्ष 2015-16 का वार्षिक लेखा विवरण पहली बार अधिकारिक वेबसाइट पर ई-माध्यम से डाला गया है। इसी आधार पर पिछले वर्ष का वार्षिक लेखा विवरण भी अपलोड किया गया है (अर्थात् वर्ष 2009-10 से 2014-15 के लिए)।
3. दिसम्बर 2015 में तमिलनाडु सरकार से वित्तीय सहायता के साथ **पेंशन अभिलेखों का डिजिटलीकरण** किया गया था और यह अच्छे से कार्य कर रहा है।

एजी (ले व हक.) पश्चिम बंगाल

लेख: क्रेडिट पत्र प्रणाली समाप्त करने और कोष प्रणाली द्वारा इसे प्रतिस्थापित करने के परिणामस्वरूप 01.04.2016 से लोक निर्माण/वन मण्डलों से लेखे बंद हो गए थे। निर्माण/वन वाउचरों की गैर-प्राप्ति और इससे उभरने वाली प्रशासनिक समस्याएँ वित्त विभाग पश्चिम बंगाल सरकार के संज्ञान में लायी गयी थीं। सभी पीडब्ल्यू मण्डल और वन मण्डल अब अपने वाउचर लेखा कार्यालय को भेज रहे हैं और आवश्यक जांच हेतु लेखापरीक्षा कार्यालय को अग्रेषित किए जा रहे हैं।

II हमारा लेखा निष्पादन

II ए लेखा विंग की कार्ययोजना

राज्य के एजी (ले. व हक.) निर्धारित समय-सीमा के अनुसार राज्य सरकार को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:

1. मासिक सिविल लेखे;
2. वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखे;
3. एक दृष्टि में वार्षिक लेखे;
4. व्यय की रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट;
5. डीडीओ वार व्यय आंकड़े, चेतावनी पर्ची; और
6. अनुदानवार अधिक व्यय।



इन दस्तावेजों के पूर्ण तथा सामयिक प्रदर्शन की क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर मॉनीटरिंग की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजकोष की प्रणाली निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रही है, राजकोष निरीक्षण भी किये जा रहे हैं। त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर भी इन सभी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है।

॥ बी समयबद्धता

28 लेखा कार्यालयों में से 17 लेखा कार्यालय समय पर मासिक सिविल लेखे प्रस्तुत करने में समर्थ थे। वर्ष के दौरान देय 364 मासिक सिविल लेखाओं में से, 292 लेखे समय पर प्रस्तुत किये गए थे, 72 लेखे, मुख्य रूप से छः पूर्वोत्तर दो पूर्वी एक उत्तर तथा दो राज्य दक्षिणी क्षेत्र से विलम्बित थे।

॥ सी पूर्णता

प्रस्तुत किए गए मासिक सिविल लेखे सभी पहलुओं से पूर्ण थे। लेखा कार्यालयों ने राज्य सरकारों को पूर्ण मासिक लेखे प्रस्तुत किए थे। कोई लेखा छूटा नहीं था।

॥ डी राज्य सरकारों को लेखे भेजने में देरी के कारण

लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब के मुख्य कारण कोषागारों/मंडलों तथा राज्य सरकार के लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाइयों द्वारा देरी से लेखे की प्राप्ति, और सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में तकनीकी समस्याएं थीं। कोषागारों द्वारा लेखे प्रस्तुत करने में देरी का कारण खराब और दुर्गम सड़क मार्ग भी हैं। लेखे से कोषागारों/डिविजनों को अलग रखने का कारण लेखाओं की देरी से प्राप्ति था।

॥ ई संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखे

वार्षिक प्रकाशित संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखे (सीएफआर) संघ एवं सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति का संकलन करते हैं। मैनुअल प्रणाली को बदलकर सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर पहली बार सीएफआर 2013-14 निकाला गया है।

सीएफआर 2013-14 के विहंगावलोकन का संशोधन कर दिया गया है और संघ और राज्य सरकारों के व्यापक वित्तीय राशियों के विश्लेषण के साथ एक



नया प्रारूप तैयार किया गया है। जबकि, सीएफआरए के व्यापक ढाँचे को बरकरार रखा गया है, वहीं संशोधित संस्करण से अधिक विश्लेषण हुआ है।

॥ एफ वित्त और विनियोजन लेखे के प्रस्तुतीकरण को सरल करने के लिए किये गये प्रयास

सरकारी लेखा विंग वार्षिक लेखे अर्थात् वित्त और विनियोजन लेखे (एफए और एए) को अधिक प्रभावी, पठनयोग्य और उपयोगकर्ता के लिए आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस प्रयास में, निम्नलिखित उपाय किये गये थे:

- (1) वित्त लेखे 2014-15 से आरंभ कर विवरण/परिशिष्ट का पुनः प्रबंधन इस संस्करण को स्वयं-व्याख्यात्मक, स्वयं संपूर्ण और उपयोगकर्ता के लिए अधिक आसान बनाने के लिए खण्ड। में अनन्य रूप से सार विवरण और व्याख्यात्मक सहित विस्तृत विवरणों का कुछ सार भाग शामिल करने के लिए किया गया था। खण्ड ॥ अब और अधिक संक्षिप्त है और इसमें दो भाग अर्थात् भाग-1 विस्तृत विवरण और भाग-॥ परिशिष्ट हैं।
- (2) वर्ष 2015-16 के लेखाओं की टिप्पणियों की पुनरीक्षा को सुत्यवस्थित कर दिया गया है और सभी कार्यालयों को एकसमान टेम्पलेट जारी किए गए हैं।
- (3) ब्याज सहित रिजर्व निधि और ब्याज सहित जमा के लिए लेखे में ब्याज समायोजनों, बजट के गैर-प्रकटन के मुद्दों को राज्य सरकारों के साथ उठाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए थे। 2013-14 से एनटीए में नए पैराग्राफ के माध्यम से गैर-अनुपालन का खुलासा किया जा रहा है।

॥ जी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) केन्द्रीय सरकार की मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के अन्तर्गत कोषागार कम्प्यूटरीकरण परियोजना का एक विस्तार है। आईएफएमएस राज्य सरकार की विभिन्न वित्तीय प्रक्रियाओं/कार्यों को सम्मिलित करता है। प्रणाली का मुख्य उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना और संपूर्ण राज्य में वित्त विभाग, डीडीओ, कोषागारों, आरबीआई, एजेंसी बैंकों, महालेखाकार और भारत



सरकार को जोड़ना और एकीकृत करना है। कार्यान्वयन प्रक्रिया गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में विकसित स्तर पर हैं, जबकि 11 राज्य अर्थात्, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में आईएफएमएस विकास की मध्यम अवस्था में हैं।

महालेखाकार (ले.व हक.) अपने राज्यों में वीएलसी एप्लीकेशन के साथ आईएफएमएस के डाटा प्रवाह के एकीकरण के लिए राज्यों में वित्त तथा लेखे एवं खजाना विभाग के साथ कार्य कर रहे हैं।

॥ जी वर्ष 2014-15 हेतु राज्यों के वार्षिक लेखे के सत्यापन की तिथि

राज्यों के विभिन्न लेखे के सत्यापन की तिथि नीचे दी गई है:

क्रम सं.	राज्य	सत्यापन की तिथि
1	आंध्र प्रदेश	23.03.2016
2	अरुणाचल प्रदेश	04.01.2016
3	असम	22.02.2016
4	बिहार	20.11.2015
5	छत्तीसगढ़	04.11.2015
6	गुजरात	09.11.2015
7	हरियाणा	06.11.2015
8	हिमाचल प्रदेश	09.11.2015
9	जम्मू व कश्मीर	20.11.2015
10	झारखंड	20.11.2015
11	कर्नाटक	13.01.2016
12	केरल	28.01.2016
13	मध्य प्रदेश	03.12.2015
14	महाराष्ट्र	27.10.2015
15	मणिपुर	13.10.2015
16	मेघालय	03.12.2015
17	मिजोरम	04.12.2015
18	नागालैंड	13.10.2015



19	ओडिशा	23.10.2015
20	पंजाब	04.01.2016
21	राजस्थान	26.11.2015
22	सिक्किम	23.10.2015
23	तमिलनाडु	04.01.2016
24	त्रिपुरा	13.10.2015
25	उत्तर प्रदेश	20.11.2015
26	उत्तराखंड	21.10.2015
27	पश्चिम बंगाल	20.01.2016
28	तेलंगाना	23-03-2016

III कोषागार निरीक्षण

महालेखाकार (ले व हक) राज्य सरकार के लेखे का संकलन और तैयार करने वाले के रूप में कोषागारों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की जांच करता है। कोषागारों के निरीक्षण करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोषागारों द्वारा प्रारंभिक लेखे को तैयार करने के लिए विभिन्न जांच और निर्धारित प्रक्रियाओं का पूर्णतः अनुपालन किया जाता है।

हमने 96.07 प्रतिशत नियोजित कोषागार/उप-कोषागार का निरीक्षण किया। राज्य सरकारों ने हमारी 99.77 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार की जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	निरीक्षणों की संख्या		जारी की गई निरीक्षण रिपोर्टें	सिफारिशें	
	नियोजित	की गई		की गई	स्वीकृत
कोषागार	724	702	694	805	803
उप कोषागार	1,843	1,764	1,162	524	523
कुल	2,567	2,466	1,856	1,329	1,326

**III क 2015-16 के दौरान कोषागार निरीक्षणों के मुख्य निष्कर्ष**

हमने राज्यों के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करने वाले वित्तीय नियमों से विचलन देखे। इन विचलनों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और कपट प्रतिरोधी तंत्र, विस्तृत आकस्मिक बिल (एसी बिल/डीसी बिल) का विलंबित प्रस्तुतीकरण/प्रस्तुतीकरण न करना, पेंशनरी लाभों का अधिक/कम भुगतान, पेंशन की संराशिकरण के प्राधिकार के कारण कम की गई पेंशन के भुगतान की तिथि को न बताना, क्वार्टर के किराये की वसूली न करना, पेंशनरी लाभों के अधिक भुगतानों को कम करने के लिए पेंशन लेखा परीक्षा पंजिका की समीक्षा न करना, योजना और गैर योजना से अधिक और बचत और निधियों के विपथन को रोकने के लिए अंतिम बजट का पुनः विनियोजन, दोहरे भुगतान से बचने के लिए डीडीओ के वेतन बिलों की जांच हेतु डीडीओ वार कार्य काल सूचियां प्राप्त न करना, सुदृढ समाधान प्रणाली का न होना, जीआईए लेन देनों का अनुचित बजट बनाना, पेंशन जांच पंजिका और बैंक डाटा के बीच मिलान न होना, उपदान भुगतान आदेशों में दर्शाई गई विभागीय देय राशि का अधिक भुगतान, अयोग्य व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अनियमित/अधिक भुगतान, करयोग्य पेंशन बकाया से टीडीएस की वसूली न करना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु प्रशासक से पीडी/पीएलए प्रमाण पत्र शेष की अनुपलब्धता, पेंशन का गलत वर्गीकरण, आकस्मिक निधि से व्यय की गलत बुकिंग, निधि के आबंटन से अधिक आहरण, स्थानीय निधि खातों से निधियों का अधिक आहरण, स्थानीय निधि आपरेटरों द्वारा स्वतः चैक से अनियमित भुगतान, नियमों का उल्लंघन करते हुए अध्यापकों के वेतन के अग्रिम आहरण दावा न की गई जमा योजनाओं का समाप्त न होना, गैर सरकारी अधिकारियों का डीडीओ के रूप में कार्य करना, राजस्व खातों में 3 वर्ष से अधिक के लिए क्रेडिट न किये गये व्यक्तिगत जमा खातों में शेष जरूरतमंद कोषागारों का हस्तांतरित न की गई स्टैम्प का अधिक स्टॉक, खराब स्टैम्प को नष्ट न करना आदि शामिल थे। ऐसे सभी मामलों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था।



IV हकदारी कार्यों से संबंधित हमारा निष्पादन

IV क निपटाए गए पेंशन मामले

19 लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा पेंशन प्राधिकार जारी किये जाते हैं। इन कार्यालयों ने 3,93,453 पेंशन और पेंशन संशोधन मामले निपटाए। मामलों को निपटाने में लिया गया औसत समय 30 दिनों (गुजरात, हरियाणा, नागालैण्ड, पंजाब और यूपी-II) से 60 दिनों (तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश) के बीच था। जबकि शेष कार्यालयों में 1 दिन से 34 दिनों के बीच औसत विलम्ब था। संशोधन मामलों की अधिक प्राप्ति, विभागों से उत्तर/स्पष्टीकरण की देर से प्राप्ति, वर्ष के अन्त में नये पेंशन मामलों का अधिक प्रवाह, पेंशन मामलों के संसाधन में विलम्ब के कुछ कारण थे।

IV ख सामान्य भविष्य निधि लेखाओं का रखरखाव

22 लेखा एवं हकदारी कार्यालय राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं (जीपीएफ) के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2015-2016 के दौरान हमने 22 ले.व हक. कार्यालयों के माध्यम से 35,34,177 जीपीएफ खातों का रख रखाव किया। 33,90,448 जीपीएफ खातों के संबंध में (95.93 प्रतिशत) लेखा पर्चियां समय से जारी की गई थी।

2015-16 के दौरान अनुरक्षित जीपीएफ लेखाओं की संख्या	समय पर जारी की गई लेखा पर्चियों की संख्या
35,34,177	33,90,448

V उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय/उठाए गए नये कदम

हम अपने ग्राहकों को निश्चित समय के अन्दर सेवाएं प्रदान करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हैं। हम इस प्रयास में उनके सहयोग की अपेक्षा से हितधारकों के साथ बातचीत करते हुए पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रौद्योगिकी का सहारा ले रहे हैं। इस भाग में कुछ लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा किए गए पहल का वर्णन किया गया है।



V क आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

1. **सामना की गई चुनौतियां:** राज्य के विभाजन के परिणामस्वरूप कार्यालय ने सरकार के साथ कई बैठकें आयोजित की इससे परिसम्पत्तियों और देयताओं के संविभाजन से संबंधित मामलों पर करार/स्वीकृति/विचार प्रदान करने में राज्यों को सहायता मिली।
2. **पेंशन:** सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर 1998 से पूर्व संशोधन मामलों के प्रसंस्करण हेतु 20 कर्मचारी सदस्यों वाला एक अलग कक्ष बनाया गया। 31.03.2016 तक लगभग 45,000 मामलों का प्रसंस्करण किया गया।
3. **जीपीएफ:** पारगमन विलम्ब से बचने के लिए अगस्त 2015 से ई-प्राधिकरण लागू किया गया। उपभोक्ताओं को स्थानीय मी-सेवा एजेंसी से सूचना डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की डीडीओ प्रति पर डिजिटली हस्ताक्षर किया जाता है। ई-पोस्टिंग हेतु राज्य सरकार के एचआरएमएस पैकेज से डाटा डाउनलोडिंग की योजना बनाई गई है।

V ख तमिलनाडु

जीपीएफ: जीपीएफ धारकों को मूल्य संवर्धित सेवाएँ प्रदान करने में जीपीएफ विंग के संतोषजनक निष्पादन के कारण तमिलनाडु सरकार ने अक्टूबर 2015 में पंचायत संघ और महानगर विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों के संबंधित जीपीएफ धारकों के लगभग 55,000 खातों के अनुरक्षण का कार्य दिया।

V ग उत्तर प्रदेश

जीपीएफ: राज्य कर्मचारियों और एआईएसपीएफ उपभोक्ताओं के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखा विवरण पहली बार आधिकारिक वेबसाइट पर ई-माइयूल में दर्शाए गए और इसी पैटर्न पर 2009 से 2014-15 से पिछले वर्ष का वार्षिक लेखा विवरण भी अपलोड किया गया।



V घ मेघालय

1. **लेखे:** लेखाओं और सेवा प्रेषण की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कार्यशाला आयोजित की गई थी।
2. **पेंशन:** पेंशन दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु 'क्या करें' और 'क्या न करें' की सूची तथा दिशा-निर्देश जारी किए गए। आगामी सेवानिवृत्ति की संख्या सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार कर्मचारियों का डाटाबेस इकठ्ठा किया गया।
3. **जीपीएफ विंग:** एक सार्वजनिक शिकायत निवारण कक्ष बनाया गया है। अंतिम भुगतान मामले 1(एक) माह के भीतर निपटाए जाते हैं और वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

V ड. एजी (ले व हक.)-I, महाराष्ट्र-I

1. **पेंशन:** 1200 से अधिक डीडीओज़ को जागरूक करने हेतु कार्यशालायें आयोजित की गईं।
2. **इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ डाटा अपलोड करना:** पेंशनभोगियों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु पीपीओ/जीपीओ प्राधिकरणों का इलेक्ट्रॉनिक डाटा आईएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
3. **जीपीएफ:** सटीक जीपीएफ कार्यक्रम तथा अंतिम भुगतान आवेदन प्रस्तुत करने हेतु डीडीओज़ के लिए कार्यशालायें/अदालतें आयोजित की गईं। कुल 2,87,051 जीपीएफ खातों में से 22,52,318 खातों को डिजिटलीकृत कर दिया गया। गुम क्रेडिट्स गैर प्रविष्ट मदों और पूरा/आंशिक अपेक्षित मदों के निपटान हेतु अस्थायी दल भेजे गए।

V एफ एजी (ले व हक.)-I, महाराष्ट्र-II

1. **पेंशन आवेदनों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण:** पेंशन आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा रहे हैं तथा 'साई' पैकेज में अपलोड किए जा रहे हैं।
2. **शिकायत निवारण कक्ष:** शिकायत निवारण कक्ष कार्य कर रहा है।



3. **लेखे:** वर्गीकरण की जांच हेतु एक माइयूल बनाया गया है। राज्य सरकार के साथ मामलों को उठाने से मासिक लेखाओं में जुलाई 2015 में 4055 त्रुटियों की संख्या घटकर मार्च 2016 में 475 हो गई।

V छ एजी (ले व हक.) ओड़िसा

जीपीएफ: जीपीएफ ई-अनुसूचियों का संग्रहण तथा जीपीएफ पैकेज में दर्ज किया जा रहा। जीपीएफ (डाक) प्रणाली शुरू की गई है, जिससे मैनुअली डाक भेजने में लगने वाले समय में 5-6 कार्य दिवसों की बचत होती है। जीपीएफ प्रणाली के माध्यम से जीपीएफ अंतिम भुगतान प्राधिकरण का प्रिंट लेने का प्रावधान किया जा रहा है।

V ज एजी (ले व हक.) केरल

1. **वेब आधारित निगरानी (पेंशनभोगी):** पेंशनभोगियों की स्थिति सुनिश्चित करने हेतु हमारे वेबसाइट में कार्य स्थिति का अद्यतन किया जा रहा है।

2. **राजपत्रित हकदारी प्रबंधन प्रणाली (जीईएमएस):** फरवरी 2013 से कार्यालय में जीईएमएस का कार्यान्वयन किया गया है।

V झ एजी (ले व हक.) हरियाणा

1. **पेंशन:** सभी पेंशन मामलों और स्थगित ग्रेच्युटी को वित्त विभाग के साथ नियमित रूप से देखा जाता है।

2. **शिकायत निवारण कक्ष:** 3 दिनों के भीतर शिकायतों को देखा जाता है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

3. **जीपीएफ:** जीपीएफ शेष का अंतिम भुगतान एक माह के भीतर किया जाता है और अंतिम भुगतान को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। उपभोक्ता अपने पिन संख्या का प्रयोग करके अपने जीपीएफ खातों की स्थिति देख/अपलोड कर सकते हैं। अस्थायी दल कक्ष ने कई गैर प्रविष्ट मदों का निपटान किया।



V ज एजी (ले व हक.) उत्तराखण्ड

महालेखाकार के वेबसाइट पर वर्ष 2014-15 के लिए कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा अपलोड करने हेतु एक पहल शुरू की गई है।

V ट एजी (ले व हक.) कर्नाटक

1. **आईएफएमएस:** राज्य सरकार की खजाना-॥ प्रणाली का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

2. **एसएमएस सुविधा:** पेंशनभोगियों और इस कार्यालय के बीच संवाद हेतु एसएमएस सुविधा उपलब्ध है।

3. **पीआरओ सुविधा:** पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण हेतु एक पेंशन पीआरओ काउंटर की सुविधा उपलब्ध है।

4. नई पहल:

(1) पूर्ण तीन पैकेजों (फॉक्सप्रो, मेकॉन और एपी पैकेज) का एकीकरण।

(2) एचआरएमएस वैधता द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि सेवा निवृत्ति पर कार्य मुक्ति से पहले विगत छः महीनों के दौरान जीपीएफ वसूली रोक दी गई है, इस कारण शेष बकाया काफी संख्या में कम हो गया है।

V ठ एजी (ले व हक.) त्रिपुरा

1. **लेखे:** वन विभाग से लेखाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक कार्यशाला आयोजित की गई। त्रिपुरा सरकार के माननीय वन, ग्रामीण विकास और चुनाव मंत्री, ने सभा को संबोधित किया।

2. **जीपीएफ:** 01 जनवरी 2016 से एमजीपीएफ शुरू की गई। यह जीपीएफ धारकों को जिन्होंने अपना मोबाइल नं. पंजीकृत कराया है, उनको उनके खाते के डेबिट/क्रेडिट का वास्तविक समय एसएमएस अलर्ट प्राप्त होता है।



अध्याय 5

व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन

साई इंडिया के लेखापरीक्षण मानक में परिकल्पना है कि साई के पास एक उपयुक्त गुणवत्ता प्रणाली होनी चाहिए। हम सरकारी लेखापरीक्षकों और लेखाकारों के लिए व्यावसायिक मानकों और पद्धतियों दोनों के महत्व के बारे में सतर्क हैं। यह सभी व्यवसायियों द्वारा असमान परिस्थितियों में अनुकरणीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है और गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।

1. सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)

भारत सरकार के समर्थन से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अगस्त 2002 में सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) की स्थापना की थी। गसब का उद्देश्य सार्वजनिक जवाबदेही और निर्णय लेने में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय प्रतिवेदनों में सुधार के मद्देनजर लेखाकरण मानकों का निरूपण और सिफारिश करना है। सार्वजनिक योजना वित्तपोषण हेतु संसाधनों की केवल पहचान के स्थान पर नई प्राथमिकताओं का केन्द्र सुशासन, वित्तीय सावधानी, सार्वजनिक व्यय में कुशलता और पारदर्शिता पर है। गसब में सरकार (केन्द्रीय और राज्य), व्यावसायिक लेखाकरण संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक और अकादमी के बहुपक्षीय हितधारकों में से उच्च स्तर के प्रतिनिधित्व वाले 16 सदस्य शामिल हैं।

गसब के निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं:

- जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी लेखाकरण और वित्तीय प्रतिवेदन के मानकों की स्थापना और सुधार करना;
- मानकों का निरूपण करना और प्रस्तावित करना जो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदनों की उपयोगिता को सुधारेगा;
- मानकों को अद्यतित रखना और शासकीय वातावरण में बदलाव को दर्शाना;



- मानकों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;
- लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के विशेष क्षेत्रों पर विचार करना जिनमें मानक स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से सुधार किया जा सकता है; और
- वित्तीय प्रतिवेदनों में निहित सूचना की प्रकृति और उद्देश्य की सामान्य समझदारी में सुधार करना।

गजब दो प्रकार के मानक तैयार करता है (i) रोकड़ आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर मानकों को भारतीय सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएस) कहा जाता है और यह सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से संघ, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के विधानमण्डल द्वारा अनुपालन के लिए अनिवार्य बन गए हैं; और (ii) प्रोदभूत आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर मानकों को भारतीय सरकार वित्तीय प्रतिवेदन मानक (आईजीएफआरएस) कहा जाता है और यह गसब द्वारा अनुमोदित तिथि से पायलट अध्ययन के सिफारिशी बन गए हैं। पणधारकों के परामर्श से विकसित यह मानक, संविधान के प्रावधानों के अनुसार विचार और अधिसूचना के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाते हैं।

।क अधिसूचित लेखांकन मानक

मार्च 2016 तक निम्नलिखित तीन आईजीएस अधिसूचित किए गए हैं:

- आईजीएस 1: सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूति पर प्रकटीकरण अपेक्षाएं
- आईजीएस 2: सहायता अनुदान का लेखाकरण और वर्गीकरण
- आईजीएस 3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम

।ख सरकार के विचाराधीन लेखांकन मानक

सरकार के विचाराधीन आईजीएस और आईजीएफआरएस को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- आईजीएस 7: विदेशी मुद्रा लेन-देन और विनियम दर भिन्नताओं द्वारा हानि या लाभ पर
- आईजीएस 9: इक्विटी में सरकारी निवेश



- आईजीएस 10: सार्वजनिक ऋण और सरकार की अन्य देयताओं पर प्रकटीकरण अपेक्षाएं
- नकद प्रवाह विवरण पर आईजीएस
- आईजीएफआरएस 1: वित्तीय विवरण का प्रस्तुतीकरण
- आईजीएफआरएस 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
- आईजीएफआरएस 3: सरकारी विनियम लेनदेन से राजस्व
- आईजीएफआरएस 4: इन्वेंटरी
- आईजीएफआरएस 5: आकस्मिक देयताओं (गारंटियों के अतिरिक्त) और आकस्मिक परिसम्पत्तियां: प्रकटीकरण अपेक्षाएं

इस समय विभिन्न विषयों के साथ साथ सामान्य उद्देश्य वित्तीय विवरण, निर्माण, ठेके और स्थायी परिसम्पत्तियों पर परामर्श पर गसब सचिवालय कार्य कर रहा है।

II लेखापरीक्षा कार्य पद्धति और मार्गदर्शन

व्यवसायिक पद्धति समूह (पीपीजी) के पास भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के लिए लेखापरीक्षा कार्यपद्धतियों एवं नीति निर्धारित करने हेतु और विभिन्न तकनीकी मामलों के लिए सलाहकार विंग के तौरपर कार्य करने के लिए अधिदेश है। पीपीजी एक नया कदम उठाने या कार्यपद्धति निर्धारित करने से पहले एक परामर्शक दृष्टिकोण अपनाता है। पीपीजी ने विकास के लिए और व्यवसायिक मानकों और पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साझेदारी भी करता है। व्यवसायिक पद्धतियों पर तकनीकी बोर्ड विभिन्न लेखांकन और लेखापरीक्षण नीतियों और कार्यपद्धतियों पर भारत के सीएजी को सलाह देता था। तकनीकी बोर्ड अपने उपक्रमों में पीपीजी की सहायता प्राप्त करता है। कथित उद्देश्यों को प्राप्त करने और भारत के सीएजी में व्यवसायिक पद्धतियों को मज़बूत करने के लिए वर्ष 2015-16 में पीपीजी ने निम्न पहलें की हैं:

IIक आईए एवं एडी के लिए बड़ी डाटा प्रबंधन नीति

लेखापरीक्षा परिवेश शीघ्रता से बदल रहा है और विस्तीर्ण डाटा उत्पन्न करने एवं स्टोर करते हुए लेखापरीक्षित सत्व वास्तविक परिवेशों में पारगमित हो रहे हैं जो



कि निरंतर परंपरागत प्रसंस्करण क्षमताओं के पार जा रही हैं। भिन्न-भिन्न प्रकारों में महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक डाटा का बड़ा भाग बाहरी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा लगातार उत्पन्न किया जा रहा है, जिसे जब समानुक्रमित किया जाता है, लेखापरीक्षित सत्त्वों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रासंगिक ढांचा प्रदान करता है। यह ध्यान में रखते हुए कि विभाग को बदलते परिवेश के लिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता है, बड़ी डाटा प्रबंधन नीति का गठन अगस्त 2015 में किया गया है।

दस्तावेज भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग की नीति एवं बड़े डाटा के साथ कार्य करने के उद्देश्य बताता है। बड़ा डाटा बहुत ही बड़े, जटिल डाटा सेट से संबंधित है जो कि उनके आकार, फॉर्मेट में भिन्नता एवं उत्पादन की गति के कारण क्षमताओं से अधिक है। यह महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति के तौर पर सभी संभाव्य स्रोतों एवं उत्तोलन सूचना से समानुक्रमित की जाती है। इसमें निहित है:

- संरचित एवं गैर संरचित डाटा
- आंतरिक एवं बाहरी डाटा
- औपचारिक एवं अनौपचारिक संव्यवहार

बड़े डाटा के तीन आयाम हैं जिन पर बड़े डाटा के लिए प्रबंधन ढाँचे के प्रारूप के दौरान विचार किया जाता है।

1) महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- क) आयतन - मात्रा, डाटा की मात्रा
- ख) विविधता - फॉर्मेट, डाटा के प्रकार, विभिन्न स्रोतों से डाटा
- ग) वेग - गति, अंदर एवं बाहर जा रहे डाटा की गति
- घ) सत्यता - डाटा की गुणवत्ता

2) प्रक्रियाएं

- क) कैप्चर - विभिन्न रूपों में डाटा प्राप्त करना
- ख) क्यूरेट - उपयोग एवं पुनः उपयोग के लिए समकालिक डाटा
- ग) स्टोर - संरक्षण
- घ) सर्च - अन्वेषण
- ड) शेयर - वितरण एवं अभिगम
- च) अंतरण - हिलना

3) परिणाम - चित्रण एवं विश्लेषण



॥ ख अनुपालन लेखापरीक्षण मार्गदर्शन

लेखापरीक्षा एवं लेखे, पर सीएजी के विनियम 2007 अनुपालन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा के एक भिन्न धारा के तौर पर मानते हैं। दिशानिर्देशों में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के तहत अनुपालन लेखापरीक्षण की प्रक्रिया के लिए रूपरेखा निहित है। अनुपालन लेखापरीक्षाओं में नियोजन, कार्यान्वयन, रिपोर्टिंग, अनुवर्ती प्रसंस्करणों को देखना और गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करने के लिए आईए एवं एडी के अधिकारी एवं स्टाफ इन दिशा निर्देशों का अनुपालन करना पड़ता है। वे अनुपालन लेखापरीक्षाओं के संचालन के लिए सिद्धांत, उद्देश्य, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली, तकनीकों एवं कार्यपद्धतियों की रूप रेखा प्रस्तुत तैयार करते हैं। यह दिशानिर्देश वर्तमान दिशानिर्देश एवं एवं आईए एवं एडी के तहत प्रयोज्य निर्देशों पर आधारित हैं और अनुपालन लेखापरीक्षण के लिए आईएसएसएआईज़ (सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय मानक) को अनुकूल बनाया है।

यह दिशानिर्देश एक टॉप डाउन, जोखिम आधारित एवं विभाग केन्द्रित दृष्टिकोण प्रारंभ करने के द्वारा योजना प्रक्रिया को पुनः स्थापित करते हैं और लेखापरीक्षा कार्यान्वयन में कड़ाई से प्रक्रिया को डालने का लक्ष्य रखते हैं। यह दिशानिर्देश रिपोर्टिंग एवं अनुवर्ती प्रक्रियाओं पर स्पष्टता भी प्रदान करते हैं।

॥ ग लेखापरीक्षा रिपोर्टों की गुणवत्ता एवं सामयिकता में सुधार

लेखापरीक्षा रिपोर्टों की गुणवत्ता एवं सामयिकता में निरंतर सुधार के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को दिशानिर्देश प्रदान किए गए थे। लेखापरीक्षा रिपोर्टों की गुणवत्ता निम्न मुद्दों पर यथोचित ध्यान दिये जाने पर निर्भर करती है: (क) लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के लिए उपक्रमित किए जाने वाले मामले की महत्ता एवं आवश्यकता (ख) लेखापरीक्षा जाँच के कार्यक्षेत्र एवं कवरेज की पर्याप्तता; (ग) सभी प्रासंगिक सामग्री की जाँच में निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता (घ) विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं परिणामों की विश्वसनीयता (ङ) प्रतिनिधि नमूने की जांच से उभरे लेखापरीक्षा निष्कर्ष की उपयोगिता (च) जिनकी कार्रवाईयों एवं निर्णयों पर लेखापरीक्षा द्वारा टिप्पणी की जा रही है को उचित अवसर देना (छ) पणधारकों द्वारा आसानी से समझे



जाने वाले ढंग में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रस्तुतीकरण में स्पष्टता; और (ज) केवल व्यवहार्य एवं विनिर्दिष्ट संस्तुतियाँ करना।

लेखापरीक्षा रिपोर्टों की सामयिकता हमारे लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। इसका अर्थ है कि हमें समकालीन प्रासंगिकता के विषय ही लेने चाहिए और ऐसी लेखापरीक्षाओं का वास्तविक संचालन और उनकी रिपोर्टिंग में भी इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए कि वे अपनी सामयिक प्रासंगिकता खो दें। सामयिकता में इस प्रकार विषय के चयन के समय पर सामयिकता के साथ-साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के समय पर सामयिकता के दोनों घटक शामिल होंगे।

॥ घ नीति प्रारूप के लिए प्रमाण के साथ एमओयू

नीति प्रारूप के प्रमाण (ईपीओडी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) विनिर्दिष्ट लक्ष्यों (i) लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र निर्धारण, नमूना चयन एवं सर्वेक्षण डिज़ाइनिंग की स्थापना सहित निष्पादन लेखापरीक्षाओं के नियोजन, डिज़ाइनिंग और कार्यान्वयन के लिए प्रमाण पर आधारित कार्य प्रणाली का विकास; और (ii) प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन जो कि प्रमाण पर आधारित कार्यप्रणाली के उपयोग के लिए सीएजी की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करेगी, के साथ आपसी लाभकारी साझेदारी के लिए मई 2015 से दो वर्षों की अवधि के लिए हारवर्ड केनेडी स्कूल, यूएसए (भारत में आईएफएमआर, चेन्नै पर आधारित) की पहल से किया गया है।

जनसंख्या के लिए सांख्यिकीय तौर पर निष्कर्षों का आंकलन करने एवं प्रश्नावली से निर्गमित निष्कर्षों के विश्लेषण करने के अलावा लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, नमूना आकार और चयन कार्यप्रणाली के निर्धारण, एक सर्वेक्षण प्रश्नावली डिज़ाइन करने के विकास के लिए केरल सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की एक निष्पादन लेखापरीक्षा में पायलट परियोजना के तौर पर प्रमाण पर आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था। यह दृष्टिकोण एक अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए भी उत्तोलित किया जा रहा है।

III व्यावसायिक मानक गुणवत्ता आश्वासन

गुणवत्ता आश्वासन लेखापरीक्षा प्रक्रिया का आवधिक मूल्यांकन है। इसका उद्देश्य साई को उचित आश्वासन कि साई का लेखापरीक्षा कार्य व्यवसायिक



और लागू विधिक मानकों का अनुपालन करना है, प्रदान करना है। गुणवत्ता आश्वासन कुछ व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो कि उस लेखापरीक्षा प्रक्रिया का भाग नहीं होते जिसकी वे समीक्षा कर रहे हैं। यह आंतरिक रूप से साईं द्वारा या अन्य साईं द्वारा की जा सकती है। वर्ष 2011-12 में एक बाह्य पीयर समीक्षा की गई थी और बाह्य पीयर समीक्षा दल ने सितम्बर 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नियमित पीयर समीक्षाएं और क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण मुख्यालय, के निरीक्षण विंग द्वारा की जाती हैं जिसके अध्यक्ष अपर उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हैं।

III क आंतरिक पीयर समीक्षाएं

हम गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के रूप में लेखापरीक्षा कार्यालयों की पीयर समीक्षा करते हैं। ये “पीयर समीक्षा द्वारा गुणवत्ता आश्वासन” पर दिशा-निर्देशों द्वारा प्रशासित होती हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान 13 कार्यालयों की पीयर समीक्षा की योजना बनाई गई और महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार द्वारा पीयर समीक्षा की गई। निरीक्षण विंग ने इन पीयर समीक्षाओं का समन्वय किया। पीयर समीक्षा रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई संबंधित कार्यात्मक विंग द्वारा की जाती है।

III ख निरीक्षणों द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन

निरीक्षण विंग एक त्रैवार्षिक चक्र में शाखा कार्यालयों सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान निरीक्षण रिपोर्ट के फॉर्मेट और जांचसूची/दिशा-निर्देशों को दोनों लेखापरीक्षा और लेखा व हकदारी कार्यालयों के संबंध में संशोधित किए गए थे और इन्हीं आधारों पर अब निरीक्षण किया जा रहा है। लेखापरीक्षा कार्यालयों की रिपोर्ट 6 विभिन्न आयामों यथा; कार्यालय निष्पादन, लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, गुणवत्ता नियंत्रण, पणधारक प्रबंधन, प्रबंधन और सहायक संरचना और नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी को शामिल करती है।

लेखा व हकदारी कार्यालयों की रिपोर्ट कार्यालय निष्पादन, लेखे, निधि, पेंशन व जीई विंग, प्रशिक्षण, पणधारक प्रबंधन एवं संचार सहायक संरचना नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी शामिल करती है। प्रशिक्षण संस्थानों की रिपोर्ट कार्यालय



निष्पादन, प्रशिक्षण, छात्रावास सुविधाएं, प्रबंधन और सहायक संरचना कवर करती है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, 36 मुख्य कार्यालयों (ले एवं हक - 7, सिविल लेखापरीक्षा - 12, रक्षा कार्यालय - 3, सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड - 4, पी एण्ड टी - 2, रेलवे - 6 एवं प्रशिक्षण संस्थान - 2) की 320 दल दिवसों के उपयोग द्वारा जाँच की गई थी।

नियोजित निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की संख्या	निपटाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों की संख्या	अनुपालन की प्रतिशतता
36	36	2,389	942	39



अध्याय 6

हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं

इस्साई 10 निर्धारित करता है कि साई के पास प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए उपयुक्त श्रमबल, सामग्री और मौद्रिक संसाधन होने चाहिए। उन्हें अपने बजट का प्रभावी रूप से प्रबंध और उसका समुचित आवंटन करना चाहिए।

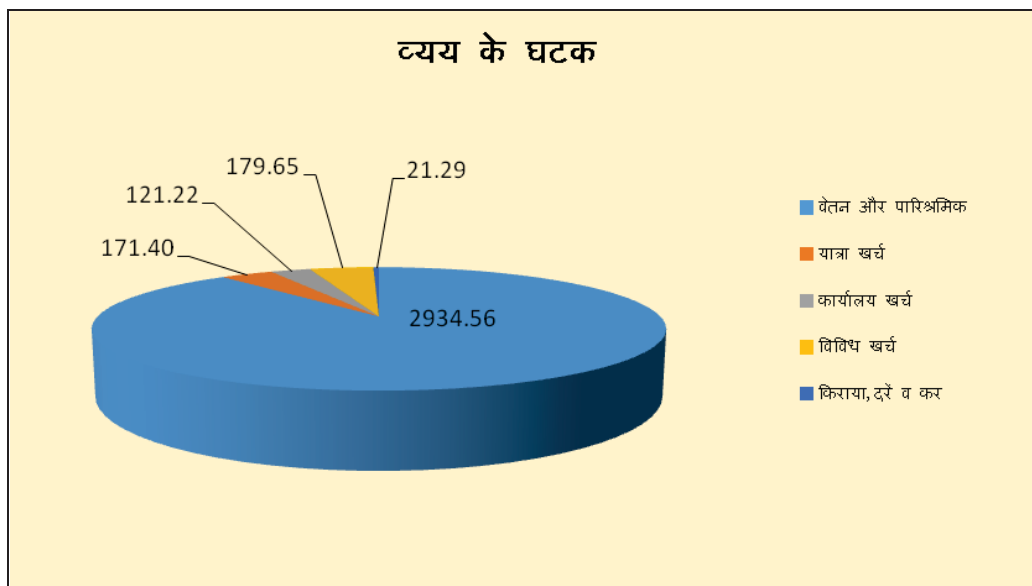
I हमारा वित्तीय प्रबंधन

हमने 2015-2016 में ₹ 3428.12 करोड़ खर्च किये। घटक-वार व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

I क व्यय के घटक

हमने अपने संसाधनों का 85.60 प्रतिशत 'वेतन' और पारिश्रमिक तथा 5 प्रतिशत 'यात्रा' पर व्यय किया। इस प्रकार कुल व्यय 90.60 प्रतिशत सीधे हमारे मानव संसाधन पर खर्च हुआ।

(₹ करोड़ में)



**। ख कार्यात्मक आधार पर व्यय प्रतिमान**

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय तथा यूएन लेखापरीक्षा यूनिट को छोड़कर भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग का समग्र व्यय 'दत्तमत' है। सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों ने सबसे अधिक और उससे कम सिविल लेखा कार्यालयों ने व्यय किया। हमने कुल 62.40 प्रतिशत लेखापरीक्षा पर खर्च किया (मुख्यालय छोड़कर)। सिविल लेखा कार्यालयों पर किया गया कुल व्यय लगभग 32.63 प्रतिशत था।

कार्यालयों की श्रेणियां	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता
मुख्यालय	104.55	3.05
यूएन लेखापरीक्षा	4.46	0.13
विदेशी लेखापरीक्षा कार्यालय	25.13	0.73
सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	1621.62	47.30
डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय	101.46	2.96
रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	185.88	5.42
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	73.72	2.15
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	131.17	3.83
एनएएए शिमला	11.39	0.33
आईसीसा, नोएडा	9.66	0.28
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान	27.60	0.81
विभागीय कैंटीन	12.90	0.38
सिविल लेखा कार्यालय	1118.58	32.63
जोड़	3428.12	100

। ग लेखापरीक्षा के लिए संसाधनों का आवंटन

2015-16 के दौरान संघ और राज्य सरकारों के ₹ 66,36,655 करोड़ (व्यय ₹ 37,94,689 करोड़ और राजस्व ₹ 28,41,966 करोड़) के संयुक्त बजटीय राजस्व और व्यय के प्रति लेखापरीक्षा करने के लिए कुल बजट ₹ 2138.98 करोड़ था। प्रतिशतता के रूप में स्पष्ट करते हुए 2015-16

लेखापरीक्षण कार्यों पर लेखापरीक्षा के लिए बजटीय आवंटन

बजटीय प्रत्येक एक लाख रुपये के लेनदेन (राजस्व और व्यय) में से लेखापरीक्षा के लिए केवल ₹32 ही आबंटित किए गए थे।



के लिए लेखापरीक्षा पर व्यय संघ और राज्य सरकारों के राजस्व तथा व्यय का 0.032 प्रतिशत था। व्यय के उपरोक्त आंकड़ों में केन्द्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेन देन, स्वायत्त निकायों, पर्याप्त मात्रा में सरकारी अनुदानों द्वारा वित्तपोषित निकायों, ऋणों और संघ और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण के लेन देन, जिनकी लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है, को शामिल नहीं किया गया है।

II हम अपने मानव संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं

ज्ञान आधारित संगठन होने के कारण, हमारे लोग हमारी प्रमुख परिसम्पत्ति हैं। इस्साई 40 निर्धारित करता है कि साई को यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएं बनानी चाहिए कि उसके पास अपना कार्य प्रभावशाली रूप से करने के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम और प्रेरित कर्मचारी हैं। 2015-16 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल थे:

- 2015-16 के दौरान स्टाफ विंग का मुख्य फोकस क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफिंग करना जारी रहा। डिविज़नल लेखाकारों, लेखापरीक्षकों, लेखाकारों एवं डाटा एंट्री आपरेटरों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को की गई समस्त मांग 2015-16 के दौरान पूरी हुई है। इसके परिणामस्वरूप समूह 'ग' सवर्ग में कमी का काफी हद तक समाधान हुआ।
- विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर सलाहकारों की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टाफ की कमी, यदि कोई हो, के कारण कार्य प्रभावित न हो।



III हमारे लोग

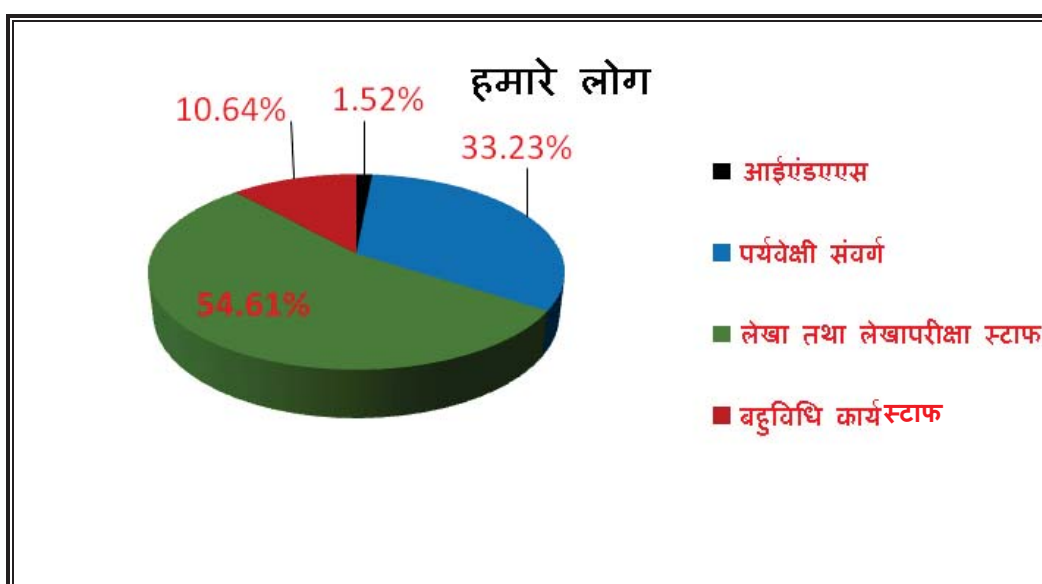
हमारा श्रमबल मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत है:

श्रेणी	संख्या
आईए एण्ड एएस	698*
पर्यवेक्षीय संवर्ग	15,295
लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ	25,132
बहुविधि कार्य स्टाफ	4,899
जोड़	46,024**

*इनमें एसएजी में अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर 6 अधिकारी शामिल हैं।

** 1.3.2016 तक

आईएएण्डएडी में करीब 34.75 प्रतिशत लोग विभिन्न प्रबन्धन और पर्यवेक्षीय स्तर पर हैं और जो लेखा एवं लेखापरीक्षा स्टाफ का 54.61 प्रतिशत बनता है। कुल संख्या का केवल 10.64 प्रतिशत (एमटीएस) है जो सहायता कार्य प्रदान करते हैं। 68,194 की संस्वीकृत संख्या के प्रति वर्तमान में केवल 67.49 प्रतिशत स्टाफ ही विभाग में कार्य कर रहा है। हमने वर्ष के दौरान 7,188 लेखा एवं लेखापरीक्षा स्टाफ की भर्ती की। इससे कुछ हद तक कमी दूर करने में सहायता मिली।





भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा (आईएएंडएएस) - अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। आईएएंडएडी के उच्चतम, वरिष्ठ और मध्य प्रबन्धन स्तर इस सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं। यह सेवा भारत सरकार की समूह ए सेवा कहलाती है।

पर्यवेक्षी संवर्ग - राजपत्रित पर्यवेक्षी संवर्ग (समूह ख राजपत्रित) में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी होते हैं। वे हमारे पदानुक्रम में महत्वपूर्ण परिचालनात्मक प्रबन्धन का हिस्सा हैं। सामान्य रूप से अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएस) परीक्षा के रूप में जानी जाने वाली अखिल भारतीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति की जाती है।

लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ - यह संवर्ग डॉटा एन्ट्री आपरेटर (डीईओ), लिपिकों, लेखापरीक्षकों/लेखाकारों और वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों से बनता है और हमारे कुल श्रमबल का 54.61 प्रतिशत है। इनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है या लिपिकों के सहायक संवर्ग से पदोन्नति होती है।

बहुविधि कार्य स्टाफ - विभिन्न आईएएडी कार्यालयों में सभी सहायता कार्य, बहु-विधिकार्य स्टाफ (एमटीएस) द्वारा किया जाता है।

IV अर्हता

वर्ग 'ख' और 'ग' संवर्गों में हमारे अधिकारी और कर्मचारी काफी योग्य हैं। हमारे पास इन संवर्गों में 81 डॉक्ट्रेट, 1,830 व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त कार्मिक⁴, 5,319 स्नातकोत्तर और 26,852 स्नातक हैं।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा में 12 डॉक्ट्रेट, 355 व्यवसायिक रूप से अर्हता प्राप्त⁴ अधिकारी, 164 स्नातकोत्तर और 161 स्नातक हैं।

⁴ इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफई, सीआईए, सीआईएसए आदि।

**V भर्तियाँ**

हमने 2015-16 में 7,204 तक कार्मिक भर्ती किए। लेखा और लेखापरीक्षा स्टाफ श्रेणी में बड़ी संख्या में भर्तियाँ (7,188) की गई।

VI लिंग संतुलन

साथ में दी गई तालिका 1.3.2016 तक विभाग के विभिन्न संवर्ग में लिंगानुपात दर्शाती है। आईएण्डएस में महिलाओं का अनुपात अधिकतम है।

श्रेणी	महिलाएं	पुरुष	प्रतिशतता
आईएण्डएस	168	530	24.07
पर्यवेक्षी संवर्ग एवं लेखा/ लेखापरीक्षा स्टाफ	7,228	33,199	17.88
मल्टी टास्किंग स्टाफ	718	4,181	14.66
जोड़	8,114	37,910	17.63

VII स्टाफ एसोसिएशन

हमारे पास लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ और पर्यवेक्षण संवर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 239 स्टाफ एसोसिएशन और 5 अखिल भारतीय संघ हैं।

VIII प्रकाशन

ई-जर्नल के रूप में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा के जर्नल को पुनर्जीवित किया गया, फिर से सामने लाया गया और नया नाम दिया गया। जर्नल का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र के साथ साथ विभाग में मुख्य कार्य, सर्वोत्तम अभ्यास का विस्तार करते हुए आंतरिक संचार माध्यम के रूप में कार्य करना है। जर्नल अंतर्राष्ट्रीय डैस्क से नई नीति पहल और सूचना को उजागर करता है।

दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण एवं जलनिकासी प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से एक के निष्कर्षों का एक वीडियो पॉडकास्ट पहली बार तीसरे प्रकाशन (अगस्त 2015) में चित्रित किया गया था। “कृषि ऋण माफ योजना” की लेखापरीक्षा पर एक लेख लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रभाव को दर्शाता है।

जर्नल का चौथा प्रकाशन (जनवरी 2016) डिजीटल समय में सीएजी के उत्पादों के प्रचार पर पुनः ध्यान केन्द्रित करने और लेखापरीक्षा एवं लेखा में



विजुअलाइजेशन और इन्फोग्राफिक्स उत्तोलन के नये तरीके दर्शाता है। वर्ष 2013-14 के संघ सरकार लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अध्याय के सार का विजुअलाइजेशन और इंदिरा आवास योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा का मूल बिन्दु दो स्लाइड शो प्रसारण के रूप में इस संकलन में दर्शाया गया था। वर्ष 2012-13 के लिए कर्नाटक के राज्य वित्त पर रिपोर्ट के अध्याय 1 में रिपोर्ट किए गए कर्नाटक के वित्तों की समीक्षा का ऑटो स्लाइट मोड में इन्फोग्राफिक्स के प्रयोग द्वारा वर्णन किया गया था।

IX हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे करते हैं

सूचना प्रणाली (आईएस) विंग विभिन्न कार्यात्मक शाखाओं द्वारा अभिज्ञात विभिन्न गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण तथा पणधारियों के प्रयोग के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह नीतियों के सूत्रीकरण, योजनाओं की तैयारी, निदेशक सिद्धान्त जारी करने, बजटिंग निधियों के आवंटन, विभिन्न गतिविधियों की निगरानी तथा विभाग में, सत्र के बीच में, विभिन्न कम्प्यूटरीकरण उपक्रमों पर शोधक कदम उठाने के लिए जिम्मेदार है। यह सीएजी वेबसाइट तथा दूसरी संबंधित वेबसाइटों का भी अनुरक्षण करता है। दूसरे उपक्रमों में आईएएंडएडी के पीएओज में ई भुगतान का कार्यान्वयन तथा आईएएंडडी के सभी डीडीओज में काम्पडीडीओ का कार्यान्वयन शामिल है।

1. एनआईसी ने डीडीओ कार्य का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए एक कॉम्पडीडीओ अनुप्रयोग उन्नत किया है। पैकेज में डीडीओ की सभी आवश्यकताएं शामिल हैं तथा कॉम्पैक्ट के साथ एकीकरण की भी सुविधा है जिसके परिणामस्वरूप ई-भुगतान का क्रियान्वयन सरल हुआ। परियोजना तीन चरणों में आईएएंडएडी (करीब 180) के सभी डीडीओ में लागू की जायगी। चरण-1 46 डीडीओज को कवर कर लागू की गई है।
2. केरल के लिए जीई सॉफ्टवेयर के विकास के लिए परियोजना कार्यान्वित की गई थी। जीई पैकेज कर्नाटक और तमिलनाडु में पहले से ही विशिष्ट रूप से निर्मित किया जा रहा है और कार्यान्वयन के लिए अन्य राज्यों में अध्ययन किया जा रहा है।



3. आईडिया सॉफ्टवेयर के नवीनतम संकलन डाटा एक्सट्रैक्शन और विश्लेषण लिए प्रयुक्त हो रहा है।
4. सार्वजनिक इंटरनेट पर विडियो नामक एक तकनीक प्रयोग करते हुए विभाग में विडियो कान्फ्रेंसिंग सफलता पूर्वक की जा रही है। वर्ष के दौरान लगभग 48 वीसीज आयोजित की गई हैं।
5. 1.1.2016 से बेहतर प्रस्तुतीकरण तथा खोज सुविधा के साथ नई सीएजी वेबसाइट आरम्भ की गई है।
6. एनआईसीएनईटी द्वारा सभी कार्यालयों को लीज्ड लाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रगतिशील हैं।

X राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयास

प्रकाशन

हमने मुख्यालय से वर्ष 2015-16 के दौरान राजभाषा की त्रैमासिक पत्रिका “लेखापरीक्षा प्रकाश” के तीन अंक प्रकाशित किये । क्षेत्रीय कार्यालय भी राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए हिन्दी की पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित करते हैं।

हिन्दी कार्यक्रम

(क) हमने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार मुख्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में चार तिमाही बैठके की है।

(ख) मुख्यालय में 14.09.2015 से 30.09.2015 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। कार्यालय के दैनिक काम काज में हिन्दी के प्रयोग के प्रचार के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिन्दी पखवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी मनाया गया और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।

(ग) हमने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण का 25 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया।



(घ) संसदीय राजभाषा समिति ने मुख्यालय के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया।

अनुवाद

जैसा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत अपेक्षित है, प्रसार से पहले निम्नलिखित दस्तावेज हिन्दी में अनुवाद किए गए:

(क) सभी प्रस्ताव, सामान्य आदेश, नियमावली, अधिसूचनाएं प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन और प्रेस विज्ञापितियाँ;

(ख) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अन्य प्रतिवेदन और सदन या संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागजात।

XI अवसंरचना विकास

समस्त भारत में विभिन्न स्टेशनों पर भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के उपयोग के लिए आवासीय इकाईयों के साथ कार्यालय स्थल के संवर्धन हेतु कई भवन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है:

क. निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी की गई हैं:

1. कोहिमा - 104 रिहायिशी क्वार्टर
2. शिलाँग - आरटीआई, का प्रशासनिक एवं अकादमिक ब्लॉक, शिलाँग
3. शिलाँग - ट्रान्जिट अकोमोडेशन
4. पटना - 32 टाइप IV रिहायिशी क्वार्टर

ख. निर्माणाधीन परियोजनाएँ निम्न हैं:

1. देहरादून - एजी कार्यालय बिल्डिंग
2. ईटानगर - एजी कार्यालय बिल्डिंग
3. लखनऊ - एजी कार्यालय बिल्डिंग
4. पटना - 24 टाइप-III रिहायिशी क्वार्टर
5. शिमला - अग्नि से क्षतिग्रस्त गोरटन कैसल बिल्डिंग का मरम्मत, पुनः संशोधन और पुनर्नवीकरण



ग. निम्न परियोजनाएँ नियोजन चरण पर हैं:

1. भुवनेश्वर - केसरी नगर में कार्यालय बिल्डिंग का निर्माण
2. बैंगलोर - एच. सिद्धिया रोड पर कार्यालय बिल्डिंग का निर्माण



अध्याय 7

आईएएडी में क्षमता निर्माण

1. प्रस्तावना

भारत के सीएजी के संस्थान के पास अपने संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने का एक दुष्कर उत्तरदायित्व है। हमेशा बदलते परिवेश में पूर्ण रूप से इस कार्य को करना काफी चुनौतिपूर्ण है, और यह सार्वजनिक लेखापरीक्षा के माध्यम से सुशासन और जवाबदेही को बढ़ाने हेतु इस वचनबद्धता के साथ है कि आईएएडी ने व्यवहारिक कौशल तथा कुशलता को अपने मजबूत प्रशिक्षण क्षमता के माध्यम द्वारा, जो ग्रुप ए, बी एवं सी कर्मिक के बीच से होकर जाता है, निरन्तर उन्नयन का प्रयास करता है।

प्रशिक्षण कार्यनीति, प्रशिक्षण तथा ज्ञान सहभाजन प्रदान करने के माध्यम से कार्मिक को अपनी भूमिका के निष्पादन तथा मूल्य निर्माण में सहायता तथा मजबूत करने की ओर उन्मुख है। रणनीति का उद्देश्य कार्यात्मक समूहों की क्षमता मांगों तथा प्रशिक्षण से संबंधित मूल वरीयताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के द्वारा प्रभावकारिता बढ़ाना है।

लक्ष्य “व्यवहारिक तथा संस्थागत संवर्धन को बढ़ावा” देना है।

2. आईएएडी में क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण में तीव्र प्रशिक्षण तथा ज्ञान सहभाजन, शामिल हैं तथा साई भारत में प्रशिक्षण विंग का उत्तरदायित्व है। प्रशिक्षण विंग, महानिदेशक, एक व. प्रशासन अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, दो सहायक प्रशासन अधिकारियों तथा सहयोगी कर्मचारियों सहायता से उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अन्तर्गत कार्य करता है। क्षमता निर्माण के उद्देश्य हैं:

- अधिकार-क्षेत्र ज्ञान सुधारना तथा इसको प्रशिक्षण सामग्री में बदलना
- ज्ञान तथा सूचना सहभाजन
- शिक्षण एवं अध्ययन वातावरण में सुधार
- अध्ययन परिणामों में सुधार



3. आईएएडी के प्रशिक्षण संस्थान

विभाग की प्रशिक्षण अवसंरचना में तीन केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र सम्मिलित हैं।

- i **राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी, शिमला :** राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी (एनएएए) आईएएडी का उच्चतम प्रशिक्षण संस्थान है। इसने वर्षों से आईएएडी के सैकड़ों प्रशिक्षु अधिकारियों को उन्हें अत्यधिक व्यवसायिक तथा सक्षम अधिकारी में गढ़ने के उद्देश्य के साथ प्रशिक्षित किया है। आईएएडी अधिकारियों को एक लेखाकार तथा लेखापरीक्षक की व्यवसायिक कौशल के साथ आईएएडी के कर्मचारियों, जिसकी क्षमता 46,000 कर्मिकों के निकट है, के प्रबंधन की प्रशासनिक योग्यता को उपार्जित करना तथा युक्त होना अपेक्षित है। संस्थान अधिकारियों को सेवा के बीच में तथा सेवा के दौरान प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

इसके आरम्भ से आईएएएस अधिकारियों के 61 से अधिक बैच, अकादमी में सविस्तार तथा समग्र रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, तथा भारत के सीएजी को उनके संवैधानिक तथा सांविधिक कर्तव्यों का पालन करने में सहायता करने के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। संयोग से यह केवल आईएएएस के अधिकारी नहीं हैं जो अकादमी की निपुण





तथा कुशल संरचना के अन्तर्गत सफल हुए हैं, परन्तु अन्य सेवाओं, जैसे भारतीय रेलवे लेखा सेवा (1950 दशक) तथा भारतीय सिविल लेखा सेवा (1984-92) के अधिकारी जो आईएएस परिवीक्षाधीन के साथ यहां प्रशिक्षित हुए हैं, भी हैं। अकादमी ने अपनी शैक्षणिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण विशेषज्ञता को भूटान तथा नेपाल, जैसे विदेशों से अधिकारियों तक भी प्रसारित किया है। 2015-16 के दौरान, एनएए ने 10 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें आईएएस, आईएस, आईडीएस, आईसीएस तथा आईआरएस के 167 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

आईएएस अधिकारियों का प्रवेश प्रशिक्षण: भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारी, भारत सरकार द्वारा नामित अलग प्रशिक्षण संस्थानों पर अन्य संगठित अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों (ओटीज) के साथ एक 15 सप्ताह के फाउंडेशन कोर्स, करते हैं। इसके बाद वे अकादमी में प्रवेश प्रशिक्षण से गुजरते हैं जो उन्हें व्यवसायिक सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा प्रबंधक तथा लेखापरीक्षा कार्यकारियों के रूप में उभरने में सक्षम बनाती है। प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की 2013-14 में विस्तार में समीक्षा की गई तथा उपयुक्त रूप से आशोधित किया गया था।

अकादमी में 94 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय प्रवेश प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष मध्य दिसम्बर के आस पास शुरू होता है तथा एक सैंडविच पैटर्न में आयोजित होता है: 54 सप्ताह का चरण-I प्रशिक्षण, उसके बाद सारे देश में लेखापरीक्षा कार्यालयों, तथा लेखा एवं हकदारी (ए एंड ई) कार्यालयों दोनों, में 34 सप्ताहों का अंतः कार्य प्रशिक्षण (ओजेटी) उसके बाद अकादमी में 6 सप्ताहों के लिए चरण-II प्रशिक्षण दिया जाता है। चरण-I के दौरान ओटीज को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा विभागीय परीक्षाओं के दो सैटों के लिए तैयार किए जाते हैं। उनका प्रतिष्ठा के संस्थानों पर प्रशिक्षण संयोजन भी होता है जो उन्हें कक्षा सत्रों में तकनीकी इनपुटों के परे सोच के एक उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करता है। प्रशिक्षण में एक ट्रेक तथा एक अध्ययन यात्रा भी शामिल है। चरण-II के दौरान, ओजेटी के दौरान प्राप्त



अनुभवों के सहभाजन तथा इस चरण के अन्त पर उनको निर्दिष्ट किए



जाने वाली जिम्मेदारियों के लिए युवा अधिकारियों को लैस करने के लिए तकनीकी कौशलों को सुदृढ़ करना तथा स्वतंत्र प्रभार के साथ शाखा अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित रहता है। इस चरण में कार्य पद्धति मुख्यतः केस स्टडी, आईएएडी के अन्दर तथा बाहर से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवादात्मक कक्षा सत्र तथा कार्यनीति के प्रस्तुतिकरण तथा सिंडिकेट पेपरों से बनी होती है। प्रशिक्षुओं को अन्तर्राष्ट्रीय बेहतर प्रथा तथा आदर्श प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उनका एक एक सप्ताह का विदेश संयोजन भी होता है। 2015 में यह संयोजन राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय (एनएओ), लंदन के साथ था। इस संयोजन के दौरान उन्हें एक सतत बदलते वातावरण में सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षकों द्वारा अभिमुख होने वाली चुनौतियों, एनएओ द्वारा अंगीकृत जोखिम आधारित लेखापरीक्षा दृष्टि को, आंतरिक नियंत्रण की पहचान तथा इसका मूलभूत जांच पर प्रभाव, लेखापरीक्षा प्रक्रिया में गुणवत्ता का आश्वासन इत्यादि का प्रदर्शन किया जाता है।

अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम: भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा सेवा में पदोन्नति पर गुप 'बी' अधिकारी भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा सेवा में उनकी नियुक्ति पर अपेक्षित उच्चतर स्तरीय प्रबंध संबंधी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये अधिकारी अकादमी में गहन अनुकूलन प्रशिक्षण से गुजरते हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यावसायिक ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी कौशलों के अद्यतन के अतिरिक्त प्राथमिक रूप से



अधिकारियों के प्रबंध संबंधी कौशलों को बेहतर बनाने के तैयार किया गया हैं। व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व प्रशिक्षण भी मुख्य ध्यानार्थ क्षेत्र हैं। यह अधिकारियों के विपरीत पूर्व अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए एक फोरम का काम करता है और बेहतर उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए अधिकारियों को योग्य बनाने का लक्ष्य रखता है। 2015-16 के दौरान, एनएएए में 21 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

ii **अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा केन्द्र (आईसीसा):** नोएडा में

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा केन्द्र (आईसीसा) मार्च 2002 में स्थापित हुआ था; तथा अप्रैल 2006 में एक स्वतंत्र कार्यालय बन गया था। आईसीसा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा



विभाग अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिदेशित है। इसके अतिरिक्त केन्द्र विभिन्न सेवाओं यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, सशस्त्र सेनाएं, संसदीय सचिवालय तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के साथ-साथ अन्य एसएआईज से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है।

आईसीसा, सूचना प्रणालियों की लेखापरीक्षा, जो केन्द्र तथा राज्य सरकारों के ई गवर्नेन्स की पहलों के भाग के रूप में जो देश भर में कार्यान्वित किए जा रहे हैं, के लिए एक "उत्कृष्टता का केन्द्र" है। आईसीसा ई-गवर्नेन्स तथा सूचना तकनीकी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण का केन्द्र है। केन्द्र ने विभाग में आधुनिकतम नए डाटा एनालिसिस टूल्स, क्लिकव्यू तथा टेब्ल्यू की शुरुआत तथा कार्यान्वयन के लिए एक मंच प्रदान किया है। आईसीसा ने ईआरपी वातावरण में लेखापरीक्षा अर्थात एसएपी, आरेकल वित्तीय, में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। केन्द्र इंटोसाई



कोलेबोरेशन टूल का संचय भी करता है जो वैश्विक साई के बीच सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है।

आईसीसा एक आईएसओ 9001:2008 तथा आईएसओ 27001:2005 प्रमाणित संस्थान है जो कि प्रशिक्षण में गुणवत्ता प्रणाली सुनिश्चित करने तथा वैश्विक बेहतर प्रथाओं के साथ आईटी लेखापरीक्षा के सरेखण के लिए प्रयास करता है।

आईसीसा प्रत्येक वर्ष पाँच/छः अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। ये कार्यक्रम चार सप्ताह अवधि के होते हैं। विदेश मंत्रालय आईटीईसी (भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग) ; एससीएपी (विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकन सहायता कार्यक्रम) तथा सीपी (कोलम्बो योजना) के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों के व्यापक उद्देश्य हैं;

- भारत सरकार, जो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए धन देती है, तथा अन्य सरकार के बीच में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना।
- विभिन्न साई के इकट्ठे होने तथा लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उनके विचार तथा अनुभवों के सहभाजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करना।
- भिन्न साई से सहभागियों को लेखापरीक्षा में समकालीन बेहतर प्रथाओं का विवरण प्राप्त करने तथा उभरती हुई लेखापरीक्षा प्रयोजनो पर ध्यान केन्द्रण का एक अवसर प्रदान करना।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं (साई) से वरिष्ठ तथा मध्य स्तर अधिकारियों तथा अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, पैसिफिक तथा पूर्व यूरोपीय क्षेत्र जैसे देशों की सरकारों के अधिकारियों ने इन अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया है।

आईसीसा द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्य सर्वोच्च उच्चतम लेखापरीक्षा संस्थाओं के क्षमता निर्माण में योगदान देता है। केन्द्र ने अनेक देशों यथा अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, ओमान तथा युगांडा से सहभागियों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित



प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रारूप बनाया तथा प्रदान किया। द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम साई तथा संबंधित देशों के बीच बंधन को गहरा करने के लिए एक प्रभावकारी साधन है।

आईसीसा विभागीय यूएन लेखापरीक्षा टीमों की तैयारी के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। केन्द्र ने आरम्भिक 2015 में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षण कार्य की लेखापरीक्षा करने वाली 8 टीमों को रिमोट एक्सेस लेखापरीक्षण के लिए अवसंरचना प्रदान की है।



आईसीसा ने पाँच अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्य संचालित किए एवं 208 अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को प्रशिक्षित किया और छः द्विपक्षीय कार्यक्रम किए जिसमें 106 भागीदारों को प्रशिक्षित किया गया। साई प्रबंधन पर एक एसोसाई सेमीनार भी आयोजित किया गया था जिसमें 27 देशों के सदस्यों ने भाग लिया था।

iii अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केन्द्र (आईसीईडी):

जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केन्द्र (आईसीईडी) की स्थापना मई 2013 में हुई थी। भवन की संकल्पना एक हरित भवन के रूप में की गई थी तथा इसका उद्देश्य एकीकृत प्राकृतिक आवास निर्धारण (जीआरआईएचए) के लिए हरित मूल्यांकन प्राप्त करना है। आईसीईडी की संरचना वातावरण के संरक्षण



की वास्तविकता के प्रति जागरूकता तथा इस वास्तविकता में इसकी भूमिका, चुनौती के लिए तैयार रहना, तथा इंटीग्रेटेड समुदाय में पर्यावरणीय लेखापरीक्षा तथा सतत विकास की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी के



रूप में उभरने की अभिव्यक्ति है। आईसीईडी पर्यावरणीय लेखापरीक्षा पर इंटोसाई की वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा (जीटीएफ) के रूप में मान्यता प्राप्त है। पहला जीटीएफ प्रशिक्षण नवम्बर 2013 में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सामग्री साई यूएसए, एस्टोनिया, ब्राजील, नार्वे, फिनलैंड तथा, भारत से क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए, तथा इन विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण जयपुर में प्रदान किया गया। आईसीईडी ने 2015-16 के दौरान 13 साई से सहभागियों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा साई ओमान और साई बांग्लादेश से 43 सहभागियों के लिए एक द्विपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किया।

इसके अतिरिक्त, आईसीईडी ने पर्यावरणीय लेखापरीक्षा के क्षेत्र में 577 अधिकारियों के लिए नौकरी के दौरान 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये।

आईसीईडी पर्यावरणीय लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए हैंड होल्डिंग सत्र प्रदान करता है जिनमें यह आश्वस्त करने के लिए मानदंड-स्थिति-कारण निष्कर्ष-संस्तुति ट्रेल को स्थापित करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिवेदन विस्तृत है तथा बड़ी तस्वीर प्रतिबिम्बित करें, इसके लिए मानदंड के चयन, लेखापरीक्षा उद्देश्यों को पहचानने, डाटा के स्रोत को पहचानने तथा भाग लेने में लेखापरीक्षा टीमों का सहयोग करता है। आईसीईडी अपनी संस्थागत भागीदारी के माध्यम से लेखापरीक्षा में अंतर-अनुशासनिक दृष्टिकोण को सुसाध्य बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञता को साथ लाया गया है।

iv क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र:

आईएएंडएडी के पास आईएएंडएडी के ग्रुप बी तथा सी संवर्गों को समर्थ बनाने के लिए देश भर में 9 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) तथा 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (आरटीसीज) हैं। प्रथम आरटीआई 1979 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। अन्य मुम्बई, कोलकाता, जयपुर, जम्मू, शिलांग, रांची, नागपुर तथा इलाहाबाद में स्थित हैं। 1997 में, आसपास के आरटीआई के प्रशिक्षण भार के सहभाजन के लिए तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र दिल्ली, हैदराबाद तथा बेंगलोर में स्थापित किए गए थे।



आरटीआई/आरटीसी की नीतिगत प्राथमिकताओं में ग्रुप बी तथा सी स्टाफ का प्रशिक्षण तथा उनके क्षेत्र की बेहतर प्रथाओं तक पहुंच बनाने में अधिकारियों को सक्षम करने के लिए ज्ञान तथा अनुभव का सहभाजन शामिल है। आरटीआई/आरटीसी डीआरएएओज के लिए 7 महीनों का प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं। इसमें 3 महीनों का प्रवेश प्रशिक्षण, 1 महीने का उनके संबंधित क्षेत्र कार्यालयों में कार्य प्रशिक्षण तथा अनुभाग अधिकारी की ग्रेड परीक्षा के लिए 3 महीनों का प्रारंभिक प्रशिक्षण सम्मिलित हैं।

हमारे संगठन में अधिकारी तथा कर्मचारी लेखा, लेखापरीक्षा, प्रशासन, प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी में व्यापक रूप से प्रशिक्षित हैं। विभाग में 12 प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करने के अतिरिक्त, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को अपने लोगों की विशेष प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन-हाउस प्रशिक्षण आयोजित कराने की भी आवश्यकता है। क्षेत्रीय कार्यालय, क्षमता निर्माण के लिए कार्यालय विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम अवधि के इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

4. प्रशिक्षण कार्यप्रणाली तथा प्रक्रियाएं:

- i. **केन्द्रीय प्रशिक्षण सलाहकार समिति (सीटीएसी)** प्रतिवर्ष प्रशिक्षण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए विभाग में सभी प्रशिक्षण गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करती है। एनएएए, आईसीसा तथा आईसीईडी के प्रशिक्षण कैलेण्डरों के केन्द्र बिन्दु, गुणवत्ता तथा औचित्य को सुनिश्चित करने के लिए गहराई से समीक्षा की जाती है। सीटीएसी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति के कार्य का भी निरीक्षण करती है।
- ii. **प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण**, प्रशिक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण की ओर पहला कदम है। एक विभाग/संगठन की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को समझने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। हमारी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को नीतिगत योजना में परिकल्पित उद्देश्यों तथा अभिज्ञात मुख्य क्षेत्रों से बाहर उभरना



होता है। संगठन स्तर पर प्रशिक्षण को विश्लेषण की आवश्यकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्यों पर पहुंचने तथा पाठ्यक्रमों के प्रभावकारी रूप-रेखा, कार्यान्वयन तथा प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए प्रतिवर्ष कार्यान्वित किया जाता है। यह विश्लेषण यह निर्धारित करने में भी सहायता करता है कि कौन से महत्वपूर्ण, नये या अलग कौशल आधुनिकतम चुनौतियों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

संगठन स्तर पर प्रशिक्षण आवश्यकताओं की रूपरेखा बनाने के लिए मुख्यालय में सभी कार्यात्मक शाखाओं से इनपुट्स की मांग की जाती है। प्रयोक्ता कार्यालयों के प्रशिक्षण विश्लेषण आवश्यकता के आधार पर आरटीआईज़/आरटीसीज़ प्रशिक्षण कार्यक्रम वृहद् रूप से आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण के नए क्षेत्र तथा प्रशिक्षण के वर्तमान क्षेत्रों में सुधार क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कार्यात्मक शाखाओं द्वारा क्रियान्वित प्रशिक्षण को विश्लेषण की आवश्यकता के आधार पर पहचाना जाता है।

iii. **संरचित प्रशिक्षण मोड्यूल** एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम की मन और आत्मा है। प्रशिक्षण मोड्यूल:

- प्रशिक्षक के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करता है
- प्रशिक्षुओं के लिए एक मार्गदर्शक तथा उत्तर संदर्भ के रूप में कार्य करता है
- दस्तावेज प्रक्रियाएं तथा सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां

एसटीएमज़ प्रशिक्षण उद्देश्यों के बारे में जागरूकता बनाने में सहायता करते हैं तथा उनको पूरा करने की रणनीति में सहायता करते हैं। हमारे सभी प्रशिक्षण संस्थान नियमित अद्यतित तथा समकक्ष समीक्षित एसटीएमज़ पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए विषय-वस्तु अधिकारियों की एक टीम जो विषय-वस्तु के विशेषज्ञ होते हैं, द्वारा विकसित की जाती है।



एसटीएमज़ निम्नलिखित के निर्धारण के आधार पर अभिकल्पित होते हैं:

- सहभागियों का मौजूदा ज्ञान
- सहभागियों की नौकरी से संबंधित आवश्यकता
- वे क्या जानते हैं तथा उन्हें क्या जानना चाहिए के बीच अन्तर विश्लेषण

2014-15 के दौरान प्रशिक्षण शाखा ने एसटीएमज़ का अद्यतन शुरू किया। 2015-16 के दौरान, 34 एसटीएमज़ विशेष क्षेत्र में प्रक्षेत्र ज्ञान सहित आईएएस कार्यालयों द्वारा पीयर समीक्षा के बाद अद्यतन किए गए थे और प्रचार के लिए आरटीआईज़/आरटीसीज़ को भेजे गए थे। प्रशिक्षण स्कंद द्वारा 'लेखापरीक्षा रिपोर्टों के स्वरूप और प्रस्तुतीकरण' पर एक एसटीएम तैयार किया गया था और प्रचार के लिए आरटीआईज़/आरटीसीज़ को भेज दिया गया था।

5. आईटी लेखापरीक्षा - इआरपी वातावरण में लेखापरीक्षण

वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण, नये या भिन्न कौशलों की लगातार पहचान की जा रही है। केन्द्र में मामला आईटी वातावरण में लेखापरीक्षा की योग्यता विकसित करना है आईटी वातावरण में प्रतिमान परिवर्तन हुआ है और अधिकतम लेखापरीक्षिती संगठन इआरपी प्रणाली में बदल गए हैं या अपने स्वयं के एकल आई-टी सिस्टम विकसित कर चुके हैं। डाटा अन्वेषण उपकरण पारम्परिक एक्सेल, आइडिया से टैबल्यू और क्लिकवियू जैसे नए और उभरते टूल में परिवर्तित हो चुके हैं। इससे चालू और तीव्र गति से विकसित हो रहे आईटी वातावरण में लेखापरीक्षण के लिए क्षमताओं का विकास करने के लिए हमारे तीव्र पारगमन की आवश्यकता है।

क्षमता निर्माण जो वैयक्तिक रूप से ज्ञान हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करता है, के परम्परागत दृष्टिगत के प्रति कार्यवाई आधारित दृष्टिकोण जो हमारे संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के उपाय के रूप में, लेखा परीक्षा के लिए केंद्रीय क्षेत्र प्रशिक्षण के लिए लक्षित समूह, मौजूदा संसाधन और विभाग में



तीव्र गति से इस प्रशिक्षण के विस्तार करने के लिए नीति की पहचान की गई थी।

इआरपी वातावरण, लेखापरीक्षा करने के लिए हमारे लेखापरीक्षा कर्मियों को योग्य बनाने के लिए लेखापरीक्षिति संगठनों के सहयोग से पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। इन कार्यक्रमों में लेखापरीक्षिति डाटाबेस प्रश्न कर विभिन्न व्यापार प्रक्रियाओं के लिए प्रयोग किये जाने वाले प्रायोगिक लेखापरीक्षा नमूना जांच पर सैद्धांतिक सहयोग के साथ-साथ प्रायोगिक अभ्यास को शामिल किया गया। उन्होंने संचालन से अभिज्ञता और इआरपी अनुप्रयोग जैसे वित्तीय लेखांकन, सामग्री प्रबंधन, एचआर प्रबंधन, अनुवर्ती विश्लेषण के लिए बिक्री/वितरण के विभिन्न मोड्यूल (व्यापार प्रक्रियाएं) से डाटा संग्रह के लिए उपयुक्त क्षमता के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम की क्षमता का आकलन करने और सहभागी की फीडबैक को देखने के लिए आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के लिए पूर्व कार्यक्रम में पर्यावेक्षक उपस्थित रहे। प्रशिक्षणों की वीडियोग्राफी की गई और भावी प्रशिक्षणों के योग्य बनाने के साथ-साथ सॉफ्टवेयर द्वारा संचालन के लिए लेखापरीक्षा पार्टियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए और ऐसी लेखापरीक्षा करते समय डाटा संग्रह और विश्लेषण करने के लिए चरण वार संदर्भ मैनुयूल के सहित स्क्रीनशॉट के वृहद प्रयोग सहित ई-लर्निंग में विकसित किया गया।

इसके अतिरिक्त, ढांचागत प्रशिक्षण मोड्यूल घरेलू व्यक्तिगत लेखा परीक्षा सत्वों में लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षा कार्यालयों को यंत्रीकृत करने के लिए तैयार किये गये थे। नया एसटीएम देशभर में उपयोग के लिए एक एकीकृत और विस्तृत मोड्यूल सुनिश्चित करता है। सभी आरटीआई/आरटीसी प्रत्येक महीने इन मानकीकृत पाठ्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं।

प्रयोक्ता मैत्रीपूर्ण ई-मोड्यूल स्वतः ज्ञान प्राप्ति के लिए विकसित किया गया था जो देश भर में हमारी बहुविध लेखापरीक्षिती एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे भिन्न सॉफ्टवेयर में कार्य करने के लिए लेखापरीक्षा स्टाफ को अभिज्ञ और योग्य बनाता है। 'आईटी लेखापरीक्षा आरंभ करना' शीर्षक वाले इस 'ई-मोड्यूल का वृहद रूप से प्रचार किया गया; और विनिर्दिष्ट अपेक्षित कार्यों के लिए



आवश्यक ऐसी मंजूरी देकर ई-मोड्यूल पर आधारित इन-हाऊस टैस्ट स्पष्ट करने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित/उत्साहित किया गया।

पाठ्यक्रम मोड्यूल और विषय-वस्तु के मानकीकरण सहित तकनीकी वृहद उपयोग आईटी वातावरण में लेखापरीक्षण में विकसित क्षमताओं को तीव्र करने में सक्षम करता है। हमारी अगली चुनौती प्रभावी लेखापरीक्षण के लिए उपलब्ध विस्तृत डाटा की अधिकतम उपयोगिता के लिए केनिम और टैब्लो जैसे सांख्यिकीय विश्लेषण और डाटा विश्लेषक यंत्रों में विस्तृत क्षमता निर्माण करना है।

6. ई-लर्निंग

विभाग में हाल में एक महत्वपूर्ण नई पद्धति ई-लर्निंग का प्रगतिशील प्रारंभ किया गया है। प्रशिक्षण स्कंद के ई-लर्निंग पहल 'रीच आऊट' बिना लागत पर पूर्णतः इन हाऊस ई-लर्निंग मोड्यूल तैयार किया गया है। विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा पूर्णतः समीक्षा किये जाने के बाद ध्यान पूर्वक पहचाने गये लर्निंग उद्देश्यों के समूह के अनुसार तैयार की गई है। ये ई-मोड्यूल सतत गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए "किसी भी समय - कहीं भी" सीखने के लिए लोगों को योग्य बनाते हैं। यह मानकीकृत विशेषज्ञ इनपुट उपयोग करते हुए और न्यूनतम अवस्थिति सहित अधिकतम संख्या में ज्ञान लोगों तक पहुँचाने का लचीला साधन है।

विषय-वस्तु विकसित करने के लिए नामित अधिकारियों की विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए अब तक अग्रलिखित पांच ई-लर्निंग मोड्यूल तैयार किये गये हैं:

- i. इआरपी वातावरण में लेखापरीक्षण - आरेकेल फाईनैशियल्स,
- ii. इआरपी वातावरण में लेखापरीक्षण - एसएपी
- iii. इस्साई के बारे में जागरूकता
- iv. सीएजी का डीपीसी अधिनियम 1971
- v. आईटी लेखापरीक्षा का आरम्भ

विस्तृत प्रचार करने और किसी भी समय कहीं भी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए, 'इस्साई के बारे में जागरूकता' पर ई लर्निंग मोड्यूल का मोबाईल संस्करण



‘व्हाटसऐप’ एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए स्मार्टफोन को अग्रेषित भी की गई है।

उपयोगकर्ता द्वारा एक बार ई-लर्निंग मोड्यूल डाउनलोड किया जाता है, उसे विषय-वस्तु देखने के लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती।

वर्तमान में, लेखापरीक्षा नियमावली पर ई-लर्निंग मोड्यूल के लिए विषय-वस्तु, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों और वाणिज्यिक लेखाओं का आरम्भ विकासधीन है। अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर मोड्यूल के हिंदी संस्करण भी तैयार करने का प्रस्ताव है।

7. आईएएडी की क्षेत्रीय प्रशिक्षण क्षमता को सुदृढ़ करना: मध्यम अवधि योजना

हमारी प्रशिक्षण नीतियों का लक्ष्य कर्मचारियों को अधिक प्रभावी और अधिक कौशल अधिगृहित कराने के लिए योग्य बनाते हुए कार्य स्थल पर ज्ञान धारण कराना और उसका हस्तांतरण कराना है। आईएएडी के प्रादेशिक प्रशिक्षण क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एक समग्र मध्यम अवधि योजना आरटीआईज़ की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए 22 अगस्त, 2014 को सीएजी द्वारा अनुमोदित की गई थी।

सभी आरटीआईज़ और आरटीसीज़ में संरचना एक चरणबद्ध रूप में उन्नत की जा रही है। मौजूदा संरचना के आधुनिकीकरण और नई संरचना के सृजन सहित उन्नयन कार्यक्रम में मुख्यतः प्रशिक्षण हॉल, इडीपी लैब, हॉस्टल, प्रशासनिक ब्लॉक आदि शामिल हैं।

पाठ्यक्रम विषय वस्तु में सुधार करते हुए ज्ञान केंद्रित गतिविधियों पर अधिक जोर, कर्मचारी संख्या की समीक्षा और निर्धारित प्रशिक्षण पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन योजना के अंतर्गत अन्य केंद्रित क्षेत्र हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आरटीआई जम्मू और शिलांग को 2014-15 में आधुनिकीकरण के अंतर्गत रखा गया जिसे आगामी वर्ष में पूरा किया गया था। 2015-16 के दौरान, आरटीआई चेन्नै और जयपुर को उन्नयन के अंतर्गत रखा गया और 2016-17 के दौरान पूरा किया जाना प्रत्याशित है। प्रशिक्षण से संबंधित सुधारों के लिए मध्यम स्तर रोड़ मैप में निर्धारित सभी लक्ष्यों के



विश्लेषण, की आवश्यकता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मानकीकरण, संकाय संसाधन, प्रभाव निर्धारण, संरचित प्रशिक्षण मोड्यूल आदि कार्यान्वित किया गया है। सभी आरटीआई/आरटीसी उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचना के साथ धीरे-धीरे सुसज्जित किए जाएंगे और प्रशिक्षण यंत्रों को अद्यतित किया जाएगा।

8. नामित ज्ञान केंद्र:

ज्ञान केन्द्रों के रूप में आरटीआई/आरटीसी के विशेषज्ञता के वर्तमान क्षेत्रों की लेखापरीक्षा के सभी नए उभरते क्षेत्रों को शामिल करने, तथा लेखापरीक्षा तथा लेखा के सभी मुख्य वर्तमान क्षेत्रों को भी कवर करने, यद्यपि पहले किसी आरटीआई/आरटीसी को सौंपे नहीं गए, की समीक्षा की गई थी। तदनुसार आरटीआई/आरटीसी को ज्ञान केन्द्रों के रूप में सौंपे गए निम्नलिखित डोमेन क्षेत्रों को संशोधित किया गया है:

क्रम. स.	आरटीआई/आरटीसी का नाम	विशिष्टीकरण का क्षेत्र
1.	आरटीआई इलाहाबाद	सरकारी बजट सरकारी लेखे गसब सहित
2.	आरटीआई चेन्नई	सरकारी लेखा की वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा i. अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी की लेखापरीक्षा ii. स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा
3.	आरटीआई जम्मू	i. रक्षा लेखापरीक्षा ii. विनियामक निकायों की लेखापरीक्षा
4.	आरटीआई जयपुर	i. सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा ii. निष्पादन लेखापरीक्षा iii. लाभार्थी अभिमुख योजनाएँ लागू कर एसपीवीज एवं न्यास/समितियाँ
5.	आरटीआई कोलकाता	i. ग्रामीण स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा ii. रेलवे लेखापरीक्षा iii. अनुपालना लेखापरीक्षा
6.	आरटीआई मुंबई	i. निगम प्रशासन ii. निगम वित्त iii. वाणिज्यिक लेखापरीक्षा iv. वित्तीय रिपोर्टिंग (इपसास)



7.	आरटीआई नागपुर	i. धोखाधड़ी की लेखापरीक्षा, धोखाधड़ी का पता लगाने वाली तकनीकें और न्यायिक लेखापरीक्षा ii. स्थानांतरण मूल्य निर्धारण सहित केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा
8.	आरटीआई रांची	i. राज्य राजस्व लेखापरीक्षा ii. लोक निर्माण कार्य लेखापरीक्षा
9.	आरटीआई शिलॉंग	i. वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका के अनुसार स्वायत्त जिला परिषद की प्रमाणन लेखापरीक्षा ii. लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा (एक्यूएमएफ)
10.	आरटीसी बेंगलुरु	i. सूचना प्रौद्योगिकी ii. सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा
11.	आरटीसी नई दिल्ली	i. सार्वजनिक श्रृण ii. सार्वजनिक अधिप्राप्ति
12.	आरटीसी हैदराबाद	i. सामाजिक लेखापरीक्षा ii. शहरी स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा

9. प्रतिष्ठित संस्थाओं में आईएएस अधिकारियों के लिए कैरियर माइलस्टोन प्रशिक्षण

वर्ष 2015 के लिए निम्नलिखित कैरियर माइलस्टोन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए हैं तथा सहभागियों द्वारा अच्छी तरह से सराहना की गई थी:

- 6-8 वर्षों की सर्विस वाले आईएएस अधिकारियों के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में कार्यकारी विकास कार्यक्रम
 - कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक नीति तथा वित्तीय विषयों की समझ, विश्लेषण उपक्रमों तथा प्रबंधन सूझबूझ को सुदृढ़ करना है।
 - 2015-16 के दौरान कार्यकारी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 30 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- सार्वजनिक नीति रिचर्ड तथा रोडा गोल्डमैन विद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में, 15-16 वर्षों की सर्विस वाले आईएएस अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम।



- कार्यक्रम का उद्देश्य प्रकटन तथा तकनीकी इनपुटों को विस्तृत करना, विश्लेषण साधनों प्रबंधन, सूझबूझ तथा अंतर्वैयक्तिक कौशलों को सुदृढ़ करना है।
- 2015-16 के दौरान प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 22 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- अरेसटी कार्यकारी शिक्षा संस्थान, वार्टन विद्यालय तथा पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, 25-28 वर्षों की सर्विस वाले आईएएस अधिकारियों के लिए अग्रवर्ती प्रबंधन विकास कार्यक्रम।
 - कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा सामना किए जा रहे बहु आयामी मुद्दों, नीति विकास, प्रदर्शन प्रबंधन, व्यवस्थापन संबंधी रूपरेखा, समझौता, नेतृत्व के प्रकटन को विस्तार देना है।
 - 2015-16 के दौरान उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 15 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

10. ग्रुप बी अधिकारियों के लिए बाह्य प्रशिक्षण

(i) ओपी जिंदल ग्लोबल यूनीवर्सिटी (जेजीयू), सोनीपत, हरियाणा, (दिल्ली के पास) के प्रबंधन, सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक नीति पर तीन विशिष्ट रूप से निर्मित पाठ्यक्रम आयोजित किये

2015-16 के दौरान, ग्रुप 'बी' अधिकारियों के तीन बैच को जेजीयू में पांच दिन के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भेजा गया। तीन पाठ्यक्रम 2016-17 के लिए निर्धारित किये गये हैं। यूनीवर्सिटी द्वारा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण डिवीजन के सहयोग द्वारा डिजाइन किया गया और हमारी आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया।

(ii) एनआईएफएम फरीदाबाद में वरिष्ठ व्यावसायिक पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए चार एसएओ को नामित किया गया। कार्यक्रम में यूरोप में एनआईएफएम के सहयोगी संस्थान के साथ दो सप्ताह तक संयोजन रहा।



11. सीएजी कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों और स्टाफ के लिए इन-हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रम

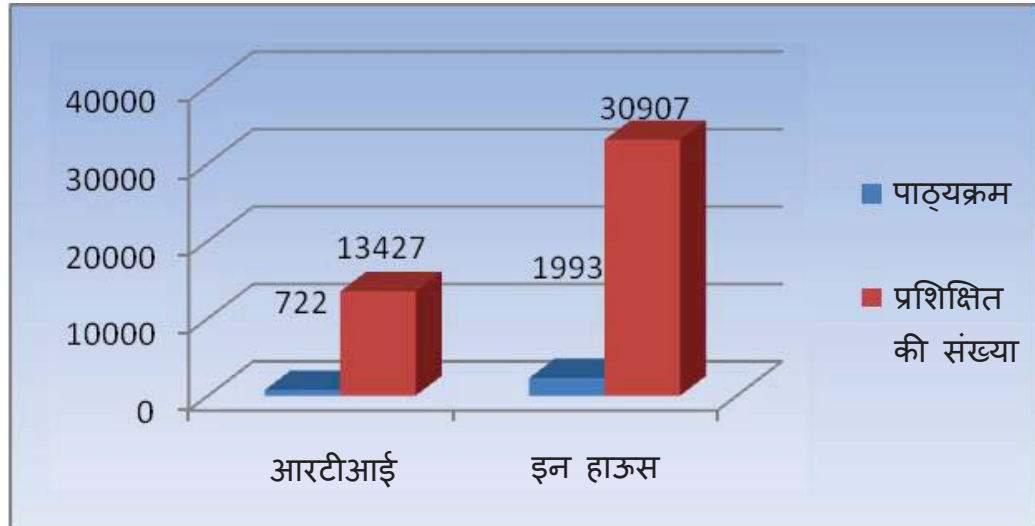
पहली बार प्रशिक्षण स्कंद ने सीएजी कार्यालय में पदस्थ एसएओ/एओ/एएओ/पीपीएस/पीएस/पीए/स्टेनो/क्लर्क/डीइओ के लिए इन-हाऊस प्रशिक्षण की पहल की और आयोजित किये। 2015-16 के दौरान 8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 146 अधिकारियों और स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया था।

शामिल किये गये विषय:

- पीए/पीएस/स्टेनो के लिए रिफ्रेशर कोर्स
- लेखापरीक्षा साक्ष्य पर रिफ्रेशर कोर्स
- आईडिया सॉफ्टवेयर पर कोर्स
- प्रबंधन कौशलों के विकास पर रिफ्रेशर कोर्स
- एमएस एक्सल पर कोर्स
- निष्पादन लेखापरीक्षा पर रिफ्रेशर कोर्स
- लेखापरीक्षा प्रबंधन फ्रेमवर्क पर रिफ्रेशर कोर्स
- आईटी वातावरण में लेखापरीक्षा पर कोर्स

12. आरटीआई/आरटीसी के प्रशिक्षण कार्यक्रम

क) 2015-16 के दौरान, आरटीआई/आरटीसी ने 722 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया और 13,427 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। 133 कार्यालयों (5 विदेशी कार्यालयों को छोड़कर) में इन-हाऊस प्रशिक्षण केंद्रों पर 1,993 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया और 30,907 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।



ख) आइएएंडएडी के अधिकारियों के लिए आरटीआईज /आरटीसीज में नियमित सेवा काल प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं

- ई अभिशासन की लेखापरीक्षा
- पीपीपी की लेखापरीक्षा
- इपसास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- दूतावास लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ओरेकल 11 जी के लिए डीबीए पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- एसएपी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आईटी पर्यावरण में लेखापरीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- सामाजिक क्षेत्र योजनाओं की लेखापरीक्षा
- टेबल्यू एवं क्लिकव्यू में डिजिटल फॉरेंसिक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

13. प्रकाशन

क) एनएएए शिमला ने अधिकारी प्रशिक्षार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार करने में मार्ग दर्शन किया है। प्रशिक्षण विंग द्वारा संशोधित नये पाठ्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित पुस्तकें तैयार की गई हैं;



1. सार्वजनिक वित्त (आरंभिक अर्थव्यवस्था सहित)
2. सार्वजनिक व्यय, राजस्व और संसाधन प्रबंधन
3. सरकारी लेखाकरण (सार्वजनिक क्षेत्र में बुक कीपिंग)
4. वाणिज्यिक लेखाविधि (सार्वजनिक क्षेत्र में बुक कीपिंग)
5. सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय रिपोर्टिंग
6. निजी क्षेत्र वित्तीय रिपोर्टिंग
7. लागत और प्रबंधन लेखे
8. सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण के सिद्धांतों पर निबन्ध
9. वित्तीय लेखापरीक्षण
10. सार्वजनिक व्यय और राजस्व की अनुपालना लेखापरीक्षण

- ख) आईसीईडी ने विभिन्न पर्यावरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से इनपुट को सम्मिलित करते हुए एक ई-जर्नल 'ग्रीन फाइल्स' संकलित किया है जिसे आइएएंडएडी एवं बाहर के कार्यालयों द्वारा महत्व दिया गया है।
- ग) रिसर्च पेपर एंड केस स्टडी को क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रकाशित किया जाता है।



अध्याय 8

प्रमुख पणधारकों के साथ हमारा संपर्क

सीएजी के प्राथमिक पणधारक संसद, राज्य विधानमंडल एवं जनता हैं। संसद एवं प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए एक लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) है जो साई इण्डिया द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करते हैं। सीएजी के अन्य प्रमुख पणधारकों में सरकारी विभाग एवं मंत्रालय, तथा साई इण्डिया द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के विषय में विशेष हित वाले संगठन एवं व्यक्ति सम्मिलित हैं।

अपने पणधारकों के साथ वार्तालाप एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। अपने ग्राहकों एवं पणधारकों के साथ हमारा संपर्क हमें उन अपेक्षाओं को समझने में सहायता करता है जो पणधारकों को साई इण्डिया से हैं एवं हमारे द्वारा किए जा रहे आश्वासन और जवाबदेही के कार्य को अर्थ प्रदान करता है। हमारी एक प्रलेखित सूचना नीति है जो बाहरी पणधारकों के साथ हमारे संपर्क का मार्ग दर्शन करती है।

1. सीएजी का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

सीएजी के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिदेश के ढांचे में लेखापरीक्षा के निष्पादन एवं फोकस में सुधार के लिए सुझाव देने एवं लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों में उसे सलाह देने के लिए सीएजी की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। यह भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में नेतृत्व एवं निर्देशन को बढ़ावा देने के लिए एवं तदनुसार लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए नियोजित मुख्य यंत्रों में से एक है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं। बोर्ड में विविध क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्ति, विभाग से उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सम्मिलित हैं। पहला लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड 1999 में गठित किया गया था। उसके पश्चात बोर्ड छः बार पुनर्गठित किया गया है। (2001, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013 एवं 2015)। आठवें बोर्ड की अवधि जुलाई 2017 तक है।

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की 28 अक्टूबर 2015 को बैठक हुई। बोर्ड ने अन्य विषयों के साथ-साथ सामाजिक लेखापरीक्षा, सार्वजनिक निजी सहयोग



परियोजनाओं की लेखापरीक्षा, स्वास्थ्य व्यय पर बेहतर निगरानी की आवश्यकता, कृषि क्रेडिट की लेखापरीक्षा और मीडिया तथा अन्य सहयोगियों द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्टों के विस्तार पर बल दिया।

II राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

इसी तरह, राज्यों में प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के पदेन सदस्य हैं। बाहरी सदस्य उत्कृष्ट शिक्षाविदों व्यवसायिक तथा सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में से नियुक्त किए जाते हैं। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का उद्देश्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के वरिष्ठ प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान योग्य तथा अनुभवी व्यवसायिकों के बीच व्यवसायिक चर्चा हेतु एक फोरम बनाकर लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता को बढ़ाना है।

सभी राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक भी वर्ष में दो बार हुई। बोर्ड का पुनर्गठन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। वर्ष के दौरान, लगभग सभी राज्यों में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

III लेखापरीक्षित इकाइयों के साथ संपर्क

हमारी लेखापरीक्षित इकाइयाँ लेखापरीक्षा प्रक्रिया में मुख्य पणधारकों में से एक हैं। उनके साथ हमारा संपर्क एक निरंतर आधार पर लेखापरीक्षा से पहले, लेखापरीक्षा के दौरान एवं लेखापरीक्षा के बाद में होता रहता है। हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्रमों की सूचना काफी पहले ही लेखापरीक्षित इकाइयों को दे दी जाती है। सभी लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा के आरंभ एवं समाप्ति पर एन्ट्री एवं एग्जिट कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेखापरीक्षा के प्रत्येक स्तर पर लेखापरीक्षित इकाइयों को लेखापरीक्षा शंकाओं एवं निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाता है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर जारी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार एवं कार्यवाही करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। जब एक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक क्रमबद्ध प्रकृति की सतत



अनियमितताएं पायी जाती हैं, तो लेखापरीक्षित इकाई को लेखापरीक्षा की चिंताओं की सूचना दी जाती है।

लेखापरीक्षित इकाईयों के अधिकारियों को विभाग में आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है।

IV लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ संपर्क

लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) संघ एवं राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में हमारे प्रमुख भागीदार हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो संसद/विधान सभा के समक्ष रखे जाते हैं, पीएसी/कोपू को विचारार्थ भेजे जाते हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए मुख्य बिन्दुओं का ज्ञापन तैयार करके समितियों के कामकाज में सहायता करते हैं। सीएजी एवं उसके प्रतिनिधि बैठक के दौरान साक्ष्यों की जांच में पीएसी/कोपू की सहायता करते हैं। समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही पर कार्यकारिणी से सूचना अपेक्षित होती है। तब समिति की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रकाशित करती है। बैठकों में चर्चा न की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के मामले में, कार्यकारिणी से लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच की गई कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2015-16 में, केन्द्रीय पीएसी/कोपू ने 61 बैठकें आयोजित की तथा 31 पैरा/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा पर चर्चा की जैसा कि नीचे सारांशिकृत किया गया है:

विंग का नाम	वर्ष 2015-16 के दौरान पीएसी/कोपू की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष 2015-16 के दौरान चर्चा किये गए पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या
वाणिज्यिक	19	8
रक्षा एवं संचार	10	6
रेलवे	4	3
रिपोर्ट केन्द्रीय	17	8
स्वायत्त निकाय	4	3
सीआरए (आईएनडीटी)	6	3
सीआरए(डीटी)	1	0
कुल	61	31



वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य पीएसीज/कोपू की 832 बार बैठकें हुई एवं 1,118 पैरा/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर चर्चा हुई जैसा कि नीचे सारांशीकृत किया गया है:

विंग का नाम	वर्ष 2015-16 के दौरान पीएसीज/कोपू की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष 2015-16 के दौरान चर्चा किये गए पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या
मध्य क्षेत्र	167	255
पूर्वी क्षेत्र	81	56
उत्तरी क्षेत्र	214	366
पूर्वोत्तर क्षेत्र	74	75
पश्चिमी क्षेत्र	203	246
दक्षिणी क्षेत्र	93	120
कुल	832	1118

V शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ संपर्क

हम अनेक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ संपर्क करते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को केन्द्रीय संस्थान परिषदों जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) एवं भारतीय लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई) के लिए नामित किया जाता है। आईसीएआई की परिषद का सदस्य होने के नाते, अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों की समितियों/बोर्डों जैसे लेखाकरण मानक बोर्ड, लेखापरीक्षक एवं आश्वासन मानक बोर्ड, आंतरिक लेखापरीक्षा मानक बोर्ड, व्यावसायिक विकास समिति, ऐथिकल स्टेण्डर्ड बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, पीयर रिव्यू बोर्ड इत्यादि में भी नामित किया जाता है ताकि इन व्यवसायिक निकायों के साथ लगातार संपर्क सुनिश्चित हो सके। हमारे स्टाफ एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण में संकाय सहायता के लिए हमारे प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ संपर्क करते हैं।

VI मीडिया के साथ संपर्क

मीडिया सलाहकार की अध्यक्षता में मुख्यालय पर संचार नीति सेल प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं जनता के साथ प्रभावी संचार के लिए उत्तरदायी है।



मीडिया सलाहकार मुख्यालय में प्रवक्ता हैं। प्रधान महालेखाकार या सबसे वरिष्ठ महालेखाकार स्तरीय अधिकारी जहाँ पर राज्य में कोई प्रधान महालेखाकार नहीं है वहाँ राज्यों/यूटीज़ में मीडिया के साथ प्रभावी संप्रेषण के लिए उत्तरदायी है।

हम संसद एवं विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद अपने ग्राहकों को लेखापरीक्षा संदेश पहुँचाने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंधित विधान मंडल में प्रस्तुति के उपरान्त सामान्यतः एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उनके संसद/राज्य विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु को दर्शाते हुए प्रैस सार भी जारी किये जाते हैं। प्रतिवेदन हमारी वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराये जाते हैं। हम चयनित निष्पादन लेखापरीक्षाओं के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उच्च संक्षिप्त सार देने के लिए छोटी पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन करते हैं।

इस प्रकार के वार्तालाप से विभाग, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में सूचना के प्रसार एवं यदि हमारे पणधारियों द्वारा आवश्यक थे, स्पष्टीकरण जारी करना या विकृतियों को या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा तथ्यों की गलत व्याख्या को हटाना अभिप्रेत है।



अध्याय 9

हमारी अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान

साई इंडिया अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में लेखापरीक्षण मानकों और पद्धतियों के विकास का मुख्य भागीदार और प्रमुख सहयोगी है। मुख्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध विभाग अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के संपर्क के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा हेतु उत्तरदायी है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

- क. सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई)
- ख. सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का एशियाई संगठन (एसोसाई)
- ग. वैश्विक कार्यकारी समूह (अब वैश्विक लेखापरीक्षा नेतृत्व फोरम) एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय निकाय
- घ. अन्य साई के साथ द्विपक्षीय संबंध
- इ. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

क. इंटोसाई

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) बाहरी सरकारी लेखापरीक्षा समुदाय के लिए एक छत्र संगठन के रूप में प्रचालित है। इंटोसाई एक स्वायत्त, स्वतंत्र और गैर-राजनीतिक संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के साथ विशेष परामर्शी स्थिति वाला एक गैर-सरकारी संगठन है। वर्तमान में, इंटोसाई में इनके सदस्यों के रूप में 192 साई हैं। इसके अलावा, विश्व बैंक सहित इसके 5 सहायक सदस्य हैं। इंटोसाई की चार प्रमुख समितियां हैं जो इसकी चार नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम हैं। ये समितियां हैं;

1. व्यवसायिक मानक समिति (पीएससी)
2. क्षमता निर्माण समिति (सीबीसी)
3. ज्ञान शेयरिंग तथा ज्ञान सेवा समिति (केएससी)



4. वित्त तथा प्रशासन समिति (एफएसी)

इंटोसाई के साथ हमारी भागीदारी

इंटोसाई के साथ हमारी भागीदारी निम्न स्तर पर है:

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नॉलेज शेयरिंग तथा नॉलेज सेवा लक्ष्य 3 (केएससी) एवं इसकी स्टीयरिंग समिति पर इंटोसाई समिति के अध्यक्ष हैं। केएससी के छत्र के अन्तर्गत नौ कार्यकारी गुप तथा एक टास्क फोर्स हैं। कार्यकारी गुप/टास्क फोर्स विशेष क्षेत्रों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन तथा सर्वोत्तम पद्धतियां देने के लिए समर्पित हैं। केएससी मुख्य समिति में आज 104 सदस्य और तीन पर्यवेक्षक हैं। हम नॉलेज शेयरिंग समिति की वेबसाइट www.intosaiksc.org का अनुरक्षण भी करते हैं।
- इंटोसाई के व्यावसायिक घोषणाओं की फोरम (एफआईपीपी) इंटोसाई गोल चेयर (अर्थात पीएससी, सीबीसी और केएससी) द्वारा स्थापित की गई है। एफआईपीपी की अध्यक्ष सुश्री के गंगा, डीआई (सीआरए) हैं और अन्य 15 सदस्य विभिन्न साई से हैं।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक आईटी लेखापरीक्षा के इंटोसाई कार्यकारी गुप (डब्ल्यूजीआईटीए) के भी अध्यक्ष हैं। समूह को आईटी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में साई के हितों को पूरा करने के लिए 1989 में सृजित किया गया था। अनुभव के विनिमय और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना एवं सुविधाएं प्रदान करते हुए डब्ल्यूजीआईटीए का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी की लेखापरीक्षा और साई को उनके उपयोग में ज्ञान एवं कौशल के विकास में सहायता करना है। वर्तमान में, डब्ल्यूजीआईटीए के पास 44 सदस्य एवं चार पर्यवेक्षक हैं।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक विभिन्न इंटोसाई समितियों/ उपसमितियों/ कार्यकारी गुप/ टास्क फोर्स के सदस्य हैं।
- इंटोसाई समुदाय में लगातार पारस्परिक क्रिया को सुगम बनाने के लिए, केएससी अध्यक्ष के तौर पर साई इंडिया ने इंटोसाई विकास पहल, नार्वे



(आईडीआई) के साथ सहकार्यता में एक इंटोसाई समुदाय पोर्टल (www.intosaicommunity.org) का विकास किया है। पोर्टल नवम्बर 2015 में शुरू किया गया था। पोर्टल में इंटोसाई शासित बोर्ड और त्रैवार्षिक कॉग्रेस की वार्षिक बैठकों के बीच समय के दौरान विचारों की साझेदारी को सक्षम बनाने के लिए पद्धति का समुदाय, ब्लॉग्स, चैट रूम, लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चुनाव/सर्वे आदि जैसी सुविधाएँ हैं। इंटोसाई समुदाय पोर्टल ने 2005 में साई-इंडिया द्वारा विकसित ऑनलाइन इंटोसाई सहकार्यता टूल को प्रतिस्थापित किया है। वहाँ पर वर्तमान में पोर्टल द्वारा समर्थित पद्धति के सात समुदाय हैं।

साई इंडिया की सक्रिय भागीदारी वाले इंटोसाई के कुछ मुख्य दृष्टांतों की चर्चा नीचे की गई है।

सीबीसी बैठक, स्टॉक होम, स्वीडन, 8-10 सितम्बर 2015

इंटोसाई क्षमता निर्माण समिति की वार्षिक बैठक 8-10 सितम्बर 2015 तक स्टॉक होम, स्वीडन में हुई। महानिदेशक (भारे) और सीएजी के सचिव सहित केएससी अध्यक्ष के रूप में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक बैठक में उपस्थित रहे। समिति ने क्षमता विकास पहल से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की। दो विषयों-प्रादेशिक व्यवसायीकरण और 2015 के बाद विकास एजेंडा पहलूओं में साई क्षमता/प्रासंगिकता पर भी चर्चा की गई थी।

लर्निंग मनेजमेंट सिस्टम पर आईडीआई कार्यशाला, 14-25 सितम्बर 2015

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सूचना पद्धति और लेखापरीक्षा केंद्र, नोएडा (आईसीसा) और अपने कार्यालय प्रांगण में 14-25 सितम्बर 2015 (दूसरा सप्ताह) को लर्निंग मनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) पर दो सप्ताह की आईडीआई की कार्यशाला आयोजित की। उपरोक्त कार्यशाला का उद्देश्य ईलर्निंग पाठ्यक्रमों की डिजाईनिंग, विकास और प्रशासन तथा एलएमएस को प्रबंधित करना और वास्तविक रूप से इस्साई पर पायलट ईलर्निंग पाठ्यक्रम का डिजाईन और विकास करने में साई-इंडिया के स्टाफ को प्रशिक्षित करना था। आईसीसा, नोएडा में लर्निंग मनेजमेंट सिस्टम पर



कार्यशाला में साई-इंडिया से 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया जबकि इस ग्रुप से 9 ने मुख्यालय कार्यालय में इस्साई जागरूकता पर पायलट ई लर्निंग कार्यक्रम में भाग लिया।

7वीं केएससी संचालन समिति बैठक, वाशिंगटन डीसी, 15-16 अक्टूबर 2015

15 और 16 अक्टूबर 2015 को वाशिंगटन डीसी में 7वीं केएससी संचालन समिति बैठक हुई। भारत के नियंत्रक-एवं महालेखापरीक्षक और अध्यक्ष केएससी श्री शशी कांत शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। 21 प्रतिभागियों ने बैठक में भाग लिया। अनेक नई मदों जैसे आईडीआरई कम्यूनिटी पोर्टल; सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए लेखापरीक्षण तैयारी; म्यूचल इंटरस्ट के विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं और नितिगत उद्देश्य तथा इंटोसाई नीतिगत योजना 2017-2022 से संबंधित केएससी के लक्ष्यों पर बैठक में चर्चा की गई।



7वीं केएससी संचालन समिति बैठक

67वीं इंटोसाई शासी बोर्ड बैठक, आबूधाबी, 10-11 नवम्बर 2015

10 और 11 नवम्बर 2015 को आबूधाबी, युनाईटेड अरब अमीरात में 67वीं इंटोसाई शासी बोर्ड बैठक हुई। उपरोक्त बैठक में 34 विभिन्न साई और देशों के कुल 185 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंटोसाई के भावी नीतिगत अभिविन्यास और अभिशासन और नई नीतिगत योजना 2017-2022 के अपनाये जाने तक



विधान में आवश्यक संशोधन, इंटोसाई अभिशासन बोर्ड की भावी भूमिका, इंटोसाई मानक निर्धारण और प्रमाणन प्रक्रिया का भविष्य और दिसम्बर 2016 में युनाइटेड अरब अमीरात में अगले इंकोसाई के लिए तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा किये जाने वाले कुछ मुख्य विषय थे।

साई-इंडिया ने ज्ञान साझा करना और ज्ञान सेवाएं (केएससी), आईटी लेखापरीक्षा (डब्ल्यूजीआईटीए) पर इंटोसाई वर्किंग ग्रुप और ऑनलाइन इंटोसाई सहयोग यंत्र (आरसीटी) पर इंटोसाई बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आईडीआई ग्लोबल लीडरशीप संगोष्ठी, शिमला, 17-21 नवम्बर 2015

साई इंडिया ने 17-21 नवम्बर 2015 तक एनएएए में आईडीआई ग्लोबल लीडरशीप संगोष्ठी का आयोजन किया। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक श्री शंशी कांत शर्मा ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया जिसमें साई के अध्यक्षों और कई साई इंडिया सहित 21 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का उद्देश्य नेतृत्व क्षमता के साथ उन व्यक्तियों जिन्हें प्रशिक्षण, सहयोग और अनुभव साझा कर बेहतर बनाया जा सकता है, को पहचानने के प्लेटफार्म पर विभिन्न साई को एकजुट करना था।



श्री आईनर गोरीसेन, डीजी आईडीआई और श्री. एल.वी. सुधीर कुमार, डीजी एनएएए के साथ सीएजी ऑफ इंडिया



व्यावसायिक मानकों की इंटोसाई रूपरेखा के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के सामान्य फोरम की बैठकें न्यूयार्क/वाशिंगटन डी.सी., 6-11 दिसम्बर 2015 और प्रिटोरिया, 8-12 फरवरी 2016

व्यावसायिक मानक की इंटोसाई रूपरेखा के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सामान्य फोरम इंटोसाई व्यावसायिक मानक समिति-गोल-1 (पीएससी), इंटोसाई क्षमता विकास समिति-गोल-2 (सीबीसी) और इंटोसाई ज्ञान साझा समिति-गोल-3 (केएससी) की अध्यक्षताओं के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किये गये हैं।

केएससी की अध्यक्षता भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा की गयी थी जबकि पीएससी और सीबीसी की अध्यक्षता क्रमानुसार डेनमार्क और दक्षिण अफ्रीका के साईयों



द्वारा की गई थी। इंटोसाई गोल चेयर ने 15 सदस्यों अतिरिक्त उपरोक्त सामान्य फोरम की अध्यक्षता के लिए सुश्री के. गंगा, डीएआई का चयन किया गया था।

सामान्य फोरम की प्रथम बैठक 6-11 दिसम्बर 2015 को न्यूयार्क और वाशिंगटन डी. सी, यूएसए में आयोजित की गयी थी। सुश्री के. गंगा ने अध्यक्ष के रूप में बैठक में भाग लिया था। बैठक के दौरान, फोरम ने अपने कार्य पर प्रारंभिक विचार-विमर्श किया और अन्य मानक स्थापित संस्थाओं और प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत की थी।

दूसरी बैठक प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में, 8-12 फरवरी, 2016 को आयोजित की गयी थी। सामान्य फारेम में गंभीरता से प्रस्तावित मानकों की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के आधार पर एक संभावित रूपरेखा प्रस्तावित की गयी थी, जो कि मई 2016 में आयोजित पीएससी बैठक में तीन गोल-चेयरों के लिए सामान्य फारेम के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर गठित की गयी थी।



एसडीजी के लेखापरीक्षण कार्यान्वयन पर क्षमता विकास कार्यक्रम की योजना बैठक, वियना, 15-16 मार्च 2016

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में ज्ञान सेवाओं (केएससी) और ज्ञान को साक्षा करने पर इंटोसाई समिति और इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई) सतत विकास लक्ष्यो (एसडीजी) के लेखाकरण कार्यान्वयन पर व्यापक क्षमता विकास कार्यक्रम को पहुंचाने और डिजाइन तैयार करने में सहयोग कर रहे हैं।

तदनुसार, आईडीआई के द्वारा कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन रणनीति को अन्तिम रूप देने के लिए एक योजना बैठक 15 और 16 मार्च 2016 को ऑस्ट्रीया वियना में आयोजित की गयी थी। इंटोसाई महासचिव, क्षमता निर्माण समिति (सीबीसी) यूएन देसा, यूएन महिला, यूरोपीय लेखापरीक्षक न्यायालय, आईडीआई, एस्टोनिया के इण्डोनेशिया, इंडिया यूई और यूएसए के साईज, के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में भागीदारी की गयी थी। बैठक की योजना के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि तैयारियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए एक गाइड विशिष्ट लेखापरीक्षा मॉडल का उपयोग कर तैयार की जायेगी। गाइड के विकास के लिए यूएसए, यूएन दोसा, भारत, ब्राजिल, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, यूई और आईडीआई के द्वारा कोर टीम तैयार की जायेगी। समीक्षा टीम एस्टोनिया, ईसीए, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड मलेशिया, संयुक्त राष्ट्र महिला को सम्मिलित कर सकती है।

वित्तीय लेखापरीक्षा उप समिति की बैठक, आबूधाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 24-25 फरवरी 2016

इंटोसाई वित्तीय लेखापरीक्षा उपसमिति (एफएएस) की एक बैठक 24 और 25 फरवरी, 2016 को आबूधाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आयोजित की गयी थी। साई-भारत का प्रतिनिधित्व सुश्री तनुजा एस.मिस्तल, प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखापरीक्षा के द्वारा किया गया। 18 देशों के प्रतिनिधियो और अन्तर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएसएबी), एफोसाई-ई इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई) और निष्पादन लेखापरीक्षा उपसमिति (पीएस) ने बैठक में भाग लिया था।



इंटोसाई संविधियों पर कार्यबल की प्रथम वैयक्तिक कार्यकारी स्तरीय बैठक, नानजिंग, चीन, 21-23 मार्च 2016

21 से 23 मार्च 2016 को नानजिंग, चीन में इंटोसाई संविधियों पर कार्यबल की प्रथम वैयक्तिक कार्यकारी स्तर की बैठक में सुश्री अतूरवा सिन्हा, निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध) ने भाग लिया था। इंटोसाई संविधियों से संबंधित मामलों की बैठक में सघनता से चर्चा की गयी थी। चर्चा का अगला दौर वाशिंगटन डीसी में 21 जुलाई 2016 को आयोजित किया जायेगा।

एसोसाई

1978 में स्थापित सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का एशियाई संगठन (एसोसाई) इंटोसाई के सात क्षेत्रीय कार्यकारी दलों में से एक है। इसने नई दिल्ली में अपनी पहली सभा के साथ 1979 में कार्य करना आरंभ किया था। भारत एसोसाई का एक चार्टर सदस्य है। इसकी मौजूदा सदस्यता 46 है।

एसोसाई के उद्देश्य हैं:-

- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से सदस्य संस्थानों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता और निष्पादन में सुधार के उद्देश्य से प्रशिक्षण और सरकारी लेखापरीक्षकों के लिए निरंतर शिक्षा के लिए सुविधा प्रदान करना।
- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विश्व के अन्य भागों में सूचना के एक केन्द्र के रूप में और संस्थानों के साथ क्षेत्रीय कड़ी के रूप में कार्य करना।
- संबंधित सदस्य संस्थानों और क्षेत्रीय समूहों के मध्य सरकारों में सेवारत लेखापरीक्षकों के मध्य नजदीकी सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना।

2012-2015 तक भारत के सीएजी एसोसाई के अध्यक्ष थे। एसोसाई के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते भारत के सीएजी 2018 तक एसोसाई के संचालन मंडल में रहेंगे।

सरकारी लेखापरीक्षा के एसोसाई जर्नल के संपादक के रूप में, हम वर्ष में दो बार एसोसाई जर्नल प्रकाशित करते हैं। एसोसाई जर्नल की सामग्री साई सदस्यों



द्वारा दी जाती है। 2015 में जर्नल में एक परिवर्तन किया गया और एक विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। जर्नल को ई-जर्नल में परिवर्तित कर दिया गया था और पर्यावरणीय लेखापरीक्षा विषय पर जर्नल के प्रथम संस्करण को (अप्रैल 2016 संस्करण) को www.asosaijournal.org वेबसाइट पर डाला गया है।

साई इंडिया की सक्रिय साझेदारी वाले एसोसाई के कुछ प्रमुख आयोजनों पर नीचे चर्चा की गयी है:

साई प्रबंधन पर एसोसाई सेमिनार, नोएडा, 7-11 दिसम्बर, 2015

साई प्रबंधन पर एसोसाई सेमिनार की 7-11 दिसम्बर, 2015 को आईसीसा नोएडा में साई इंडिया द्वारा मेजबानी की गयी थी। एसोसाई प्रत्येक दूसरे वर्ष अपने सदस्य साई के लिए आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक सेमिनार आयोजित करता है। सुश्री अजंता दयालन, भारत की उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने सेमिनार का उद्घाटन किया था। सेमिनार में 28 साई के 31 प्रतिनिधियों और एक पर्यवेक्षक ने भाग लिया था।



साई प्रबंधन पर एसोसाई प्रतिभागियों के साथ
सुश्री अजंता दयालन, डीएआई और डीजी, आईसीसा



**“आंतरिक नियंत्रण के आकलन” पर एसोसाई-प्रायोजित कार्यशाला,
कुआलालम्पुर, 5-16 अक्टूबर 2015**

आंतरिक नियंत्रण के आकलन पर एसोसाई प्रायोजित कार्यशाला 5 से 16 अक्टूबर, 2015 को कुआलालम्पुर, मलेशिया में आयोजित की गयी थी। बांग्लादेश, भुटान, मलेशिया और फिलीपीन्स साई के पांच प्रशिक्षकों ने साई भारत के श्री के. श्रीनिवासन ने विषय विशेषज्ञ के (एसएमई) तकनीकी मार्गदर्शन के साथ कार्यशाला के सत्र पर व्याख्यान दिया था। चौंतीस प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया और कार्यशाला विषय पर अपने विचारों और अपने दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान किया था।

50वीं एसोसाई शासी बोर्ड बैठक, चियांग माई, थाईलैण्ड, 15-16 फरवरी 2016



एसोसाई के शासी बोर्ड और लेखापरीक्षा समिति के सदस्य

50वीं एसोसाई शासी बोर्ड बैठक (जीबीएम), 15-16 फरवरी, 2016 को चियांग माई, थाईलैण्ड में आयोजित की गयी थी। शासी बोर्ड के चौंसठ प्रतिनिधियों कनाडा के व्यापक लेखापरीक्षा प्रतिष्ठान (सीसीएफ एफसीवीआई सहित) और यूएन महिला सहित साई लेखापरीक्षा समिति के सदस्य, पर्यवेक्षक, और अन्य आमंत्रित संगठनों ने बैठक में भाग लिया और एसोसाई के मुख्य एजेंडा पर चर्चा की गयी थी।

इस जीबीएम, जिसकी मेजबानी थाईलैण्ड के महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा की गयी, के द्वारा वि.व. 2015 के वित्तीय विवरण की रिपोर्टें और 2017-2019 के लिए बहु-वर्षीय बजट योजना तैयार करने , क्षमता विकास गतिविधियों, और एसोसाई जर्नल के प्रकाशन को स्वीकृत तथा अनुमोदित किया गया था।



ऊपर उल्लेखित नियमित एजेंडा के साथ-साथ, जीबीएम में 2016-2021 के लिए एसोसाई रणनीति योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रारूप वार्षिक परिचालन योजनाओं के कार्यचालन के विषयो और 22वें इंटोसाई 2016 के लिए क्षेत्रीय प्रतिवेदन तैयार करने पर भी चर्चा की गयी।

जीबीएम में चयनित सदस्यों की मौजूदा हिस्सेदारी नहीं लेने की सीमा तक, भारत के साई के एसोसाई जर्नल के संपादक के पदेन सदस्यता की स्थिति को भी अनुमोदित किया गया था। एसोसाई जर्नल के संपादक को जीबी के 12वें सदस्य के रूप में गिना जायेगा।

इसके अतिरिक्त, सचिवालय ने भी लेखापरीक्षा समिति और शासी बोर्ड की मौजूदा चयन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सुझाव दिया। जीबी सदस्य दोनों इंटोसाई क्षेत्रीय कार्यकारी समुहों के सभी सदस्यों के लिए भविष्य के एसोसाई-यूरोसाई संयुक्त अधिवेशनों में प्रतिभागी क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए यूरोसाई के सुझाव से भी सहमत थे। तीसरा एसोसाई यूरोसाई संयुक्त अधिवेशन कीव यूक्रेन में 2017 में आयोजित किया जायेगा।

51वीं जीबीएम की इंडोनेशिया गणराज्य लेखापरीक्षा बोर्ड द्वारा 13-14 फरवरी 2017 को बाली, इंडोनेशिया में मेजबानी की जायेगी।

अन्य साईज के साथ द्विपक्षीय संबंध

वर्तमान में, हमारे 15 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों अर्थात् अफगानिस्तान, चीन, भूटान, ब्राजिल, कुवैत, मालदीव, मंगोलिया, ओमान, पोलैण्ड, वेनेजुएला, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कम्बोडिया, वियतनाम, ईरान और यूक्रेन के साथ समझौता ज्ञापन हैं और साई बांग्लादेश के साथ राजस्व, पर्यावरणीय और आईटी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए विनियम-पत्र है। नियमित द्विपक्षीय विनिमय जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, सैंकडमेंटस, कार्यशाला आदि का आयोजन चीन, कुवैत और पोलैण्ड के साईज के साथ किया गया था। महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन भारत में साई इंडिया द्वारा किया गया था और उनके देशों में भागीदार साईज निम्नानुसार हैं:



भूटान के महालेखापरीक्षक की यात्रा, नई दिल्ली, 18-27 सितम्बर 2015

रॉयल लेखापरीक्षा प्राधिकार (आरएए) भूटान के चार सदस्यों के प्रतिनिधि-मंडल ने भूटान के दाशो शेरिंग केजिंग की अध्यक्षता में 18 से 27 सितम्बर, 2015 तक भारत का दौरा किया था। प्रतिनिधि-मंडल के अन्य सदस्य श्री गलेटेशन, सहायक महालेखापरीक्षक, श्री केलनजां नमग्येल, सहायक महालेखापरीक्षक और श्री चिकी दोरजी, सहायक महालेखापरीक्षक थे।



भारत के सीएजी भूटान के महालेखापरीक्षक दाशो शेरिंग केजिंग के साथ

दौरे के दौरान, भूटान के महालेखापरीक्षक ने श्री शशिकांत शर्मा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से मुलाकात की और इंडिया और भूटान साईज के मध्य समझौता ज्ञापन के तत्वाधान में क्षमता विकास कार्यक्रम पर चर्चा की गयी। साई भूटान के प्रतिनिधि-मंडल ने भी साई इंडिया के अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केन्द्र (आईसीसा), नोएडा, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा और सतत विकास केन्द्र (आईसीड), जयपुर और राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और लेखा एकेडमी (एनएएए) शिमला का भी दौरा किया था।

22वां इंडो-चीन सेमिनार, वुहान, 21-25 सितम्बर 2015

“बिग डेटा ऑडिटिंग” पर 22वें भारत-चीन सेमिनार की वुहान, चीन में साई चीन द्वारा मेजबानी की गयी थी। भारतीय प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व सुश्री अजंता दयालन, उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा किया गया था और वी. रविन्द्रन महानिदेशक, भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे। दोनों पक्षों ने बिग डेटा ऑडिटिंग पर अपने कागजात प्रस्तुत किये और इस संबंध में



लेखापरीक्षकों के लिए बिग डेटा ऑडिटिंग की उपयोगिता और चुनौतियों पर चर्चा की गयी थी।

7वां इंडो-कुवैत संयुक्त सेमिनार, मुम्बई 27 सितम्बर-1 अक्टूबर 2015

‘पेट्रोलियम क्षेत्र की लेखापरीक्षा’ विषय पर, सेमिनार में श्री मुहम्मद अल-दोसरी, प्रबंधक की अध्यक्षता में कुवैत के राज्य लेखापरीक्षा ब्यूरो के चार प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय प्रतिनिधि की डॉ॰ प्रसन्नजीत मुखर्जी, उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अध्यक्षता की थी।



डॉ॰ पी॰ मुखर्जी डीएआई के साथ 7वें इंडो-कुवैत संयुक्त सेमिनार के प्रतिभागी

दोनों पक्षों की ओर से विभिन्न पहलुओं जैसे कि पेट्रोलियम आपरेशन और पेट्रोलियम क्षेत्र लेखापरीक्षा और इस संबंध में अपने अनुभवों को साझा करने पर चर्चा की गयी थी।

15वां इंडो-पोलिस सेमिनार, कोच्ची 31 अक्टूबर-6 नवम्बर 2015

आईटी पर्यावरण में लेखापरीक्षण विषय पर 15वां इंडो-पोलिस सेमिनार की 31 अक्टूबर, 2015 से 6 नवम्बर, 2015 को साई इंडिया द्वारा मेजबानी की गयी थी। साई पोलैंड के तीन प्रतिनिधि सदस्यों ने पोलैंड (एनआईके) के सर्वोच्च लेखापरीक्षा कार्यालय के अध्यक्ष श्री के जिस्टोफ क्वेतोस्की की अध्यक्षता में



सेमिनार में भाग लिया था। भारतीय प्रतिनिधि की अध्यक्षता सुश्री अजंता दयालन, उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा की गयी थी।

कार्यक्रम के भाग के रूप में, श्री केजिस्टोफ क्वेतोस्की ने अपने प्रतिनिधियों के साथ 4 नवम्बर 2015 को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय का दौरा भी किया था। इस अवसर पर साई पोलैंड और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के बीच मौजूदा समझौता ज्ञापन के तहत जारी आपसी सहयोग के आश्वासन की पुनः पुष्टि की गयी, दोनों साई के प्रमुखों के द्वारा प्रतिबद्धता बयान पर हस्ताक्षर किये गये थे।



भारत के सीएजी और साई पोलैंड के अध्यक्ष श्री केजिस्टोफ क्वेतोस्की प्रतिबद्धता के विवरण पर हस्ताक्षर करते हुए

6वां इंडो-चीन यंग ओडिटर्स फोरम, जयपुर 30 नवम्बर-11 दिसम्बर 2015

30 नवम्बर से 11 दिसम्बर, 2015 तक जयपुर में 6वां भारत-चीन यंग ओडिटर्स फारेम की साई इंडिया द्वारा मेजबानी की गयी थी। यंग ओडिटर्स फोरम का आयोजन वैकल्पिक रूप से प्रत्येक वर्ष भारत और चीन में, दो साई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तत्वधान के तहत और प्रत्येक पक्ष के यंग ओडिटर्स के बीच कौशल और व्यवसायिक ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। फोरम के विषय (i) अवसंरचना परियोजनाओं की



लेखापरीक्षा और (ii) नीति कार्यान्वयन की वास्तविक समय लेखापरीक्षा थे। श्री चींग ली उप महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में चाइना नेशनल ऑडिट ऑफिस के दस सदस्यों के प्रतिनिधि-मंडल ने फोरम में भाग लिया था। भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के दस सदस्यों की अध्यक्षता सुश्री प्रिया पारिख (आईएण्डएस) के द्वारा की गयी थी।



सुश्री अजंता दयालन, डीएआई के साथ 6ठे इंडो-चीन यंग ओडिटर्स फोरम के प्रतिभागी

लेखापरीक्षकों के यूरोपीय न्यायालय के अध्यक्ष (ईसीए), का दौरा 6-11 फरवरी 2016

लेखापरीक्षकों के यूरोपीयन कोर्ट के अध्यक्ष (ईसीए) श्री विक्टर कैलडेरिया के साथ श्री जेफ्री सिम्पसन, अध्यक्ष पद के निदेशक, ईसीए ने 6 से 11 फरवरी 2016 तक भारत का दौरा किया था। ईसीए के अध्यक्ष ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक श्री शशि कांत शर्मा से सामान्य फोरम और पीएससी (इन्कोसाई 2016 से जिसकी वह सह-अध्यक्षता करेगा) के साथ इसके संबंध और, इंटोसाई ज्ञान साझा समिति के लिए योजनाओं पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी। बडे डेटा के साई इंडिया के दृष्टिकोण और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा और सतत विकास, केन्द्र जयपुर (आईसीईडी) द्वारा प्रस्तुत सुविधाओं और पाठ्यक्रमों की भी बैठक में चर्चा की गयी थी।



लेखापरीक्षकों के यूरोपीयन कोर्ट के अध्यक्ष श्री विक्टर कैलडेरिया के साथ भारत के सीएजी

दौरे के दौरान, ईसीए प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केन्द्र (आईसीईडी), जयपुर और गोवा के महालेखाकार कार्यालय का भी दौरा किया था।

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां

सीएजी जुलाई 2014 से जून 2020 तक की अवधि के लिए यूएन लेखापरीक्षा बोर्ड का एक सदस्य है। यूके (जर्मनी जुलाई 2016 से) और तनजानिया बोर्ड के अन्य सदस्य हैं। बोर्ड के तीन सदस्यों के बीच कार्य आवंटन के अनुसार, यूएन सचिवालय (खण्ड 1) की लेखापरीक्षा के लिए भारत मुख्य लेखापरीक्षक होगा और निम्नलिखित की लेखापरीक्षा भी करेगा:-

1. युनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल निधि)
2. यूएनओपीएस (संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवाओं का कार्यालय)
3. यूएनजेएसपीएफ (संयुक्त राष्ट्र संयुक्त स्टाफ पेंशन निधि)
4. यूएनसीसी (संयुक्त राष्ट्र प्रतिपूर्ति आयोग)
5. निलंब लेखा (एस्करो अकाउंट)
6. यूएनएफआईपी (अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि (यूएनआईएफपी))



7. आईटीसी (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन), और

8. 6 यूएनपीकेओ मिशन

2015-16 के लेखापरीक्षा चक्र के पूरा होने के साथ, सीएजी ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी), अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था (आईएईए) के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में अपने कार्यकाल को पूरा किया था। साई फ्रांस को डब्लूएफपी और साई घाना को आईओएम की औपचारिकताएं सौंपने का कार्य पूरा हो चुका है।

साई इंडिया की सक्रिय भागीदारी वाली कुछ प्रमुख नवीन घटनाएँ हैं:

बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल और संयुक्त राष्ट्र बोर्ड के लेखापरीक्ष रिपोर्टिंग की बैठकें, न्यूयार्क 7-8 दिसम्बर 2015

श्री शशिकांत शर्मा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, श्री आर. के. घोष, निदेशक, बाह्य लेखापरीक्षा श्री के.एस सुब्रमण्यम, महानिदेशक (आईआर) और श्री अनादि मिश्रा सीएण्डएजी के सचिव ने न्यूयार्क में 7-8 दिसम्बर, 2015 को बाह्य लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र बोर्ड के पैनल की बैठक में भाग लिया था। श्री स्टीफन होंगरे, बाह्य लेखापरीक्षा निदेशक (डब्लूएफपी) ने भी बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल की बैठक में भाग लिया था।

दिसम्बर 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा पोर्टफोलियो के तहत यूएन संगठनों के आठ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दिया गया था।

अगस्त 2015 से दिसम्बर 2015 तक की अवधि के दौरान, विभिन्न यूएन विशिष्ट एजेंसियों की सोलह लेखापरीक्षा रिपोर्टें की गयी थीं।

2014 के लिए विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्लूआईपीओ) के बाह्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को डॉ॰ प्रसेनजीत मुखर्जी, उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा जिनेवा में 7 अक्टूबर 2015 को आयोजित डब्लूआईपीओ सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत किया गया था।



अनुबंध ।

31 मार्च 2016 को संगठनात्मक चार्ट

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

सीएजी के सचिव

1. उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (प्रशासन एवं स्टाफ)	महानिदेशक (एसएमयू) महानिदेशक (पीपीजी) महानिदेशक (प्रशिक्षण) महानिदेशक (आईआर) महानिदेशक (मुख्यालय) प्रधान निदेशक स्टाफ	प्रधान निदेशक (पीसी) प्रधान निदेशक (आईएस एण्ड आईटी) प्रधान निदेशक (परीक्षा) प्रधान निदेशक (राजभाषा) प्रधान विधिक सलाहकार मीडिया सलाहकार	प्र.नि. (कार्मिक) एसी (पी) एसी (एन) निदेशक (का) निदेशक (अ.सं.) निदेशक (नि.) उप निदेशक (डीएसी)
2. उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रक्षा, संचार एवं रेलवे)	प्रधाननिदेशक (रक्षा एवं संचार) प्रधान निदेशक (रेलवे) प्रधान निदेशक (रेलवे बोर्ड लेखापरीक्षा)		
3. उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड)	महानिदेशक (वाणिज्यिक) प्रधाननिदेशक (वाणिज्यिक)		
4. उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट केंद्रीय और स्थानीय निकाय)	महानिदेशक (आरसी) सांख्यिकीय सलाहकार आर्थिक सलाहकार	प्रधान निदेशक (आरसी) प्रधान निदेशक (एलबी एवं एबी)	
5. उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखे और अध्यक्ष, गसब)	महानिदेशक (जीए) प्रधान निदेशक (जीए) प्रधान निदेशक (यूए)	प्रधान निदेशक (गसब-I) प्रधान निदेशक (गसब-II) प्रधान निदेशक (गसब-III)	
6. उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (केंद्रीय राजस्व/प्राप्ति)	महानिदेशक (डीटी) प्रधान निदेशक (डीटी) प्रधान निदेशक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	प्रधान निदेशक (एसटी) प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)	
7. अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (पूर्वी क्षेत्र)	महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र) 6 राज्य: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी, ओडिशा और पश्चिम बंगाल	प्रधान निदेशक (पूर्वी क्षेत्र)	
8. अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (केन्द्रीय क्षेत्र)	प्रधान निदेशक (केंद्रीय क्षेत्र I) 5 राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	प्रधान निदेशक (केंद्रीय क्षेत्र II)	
9. अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (पश्चिमी क्षेत्र)	महानिदेशक (पश्चिम क्षेत्र) 4 राज्य: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र गोवा		
10. अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	महानिदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र I) 8 राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागलैंड, सिक्किम और त्रिपुरा	प्रधान निदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र II)	
11. अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (उत्तरी क्षेत्र)	प्रधान निदेशक (उत्तरी क्षेत्र I) 6 राज्य: दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा	प्रधान निदेशक (उत्तरी क्षेत्र II)	
12. अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (दक्षिणी क्षेत्र)	महानिदेशक (दक्षिणी क्षेत्र) 2 राज्य: कर्नाटक एवं केरल	प्रधान निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र)	
13. अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (निरीक्षण)	प्रधान निदेशक (निरीक्षण)		

टिप्पणी: क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख म.नि./प्र.म.ले./प्र.नि./म.ले. होते हैं जो संबंधित डीएआई/एडीएआई को रिपोर्ट करते हैं।



अनुबन्ध II

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के कार्यालय

I लेखापरीक्षा कार्यालय-संघ और संघ राज्य क्षेत्र

क सिविल

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय, नई दिल्ली
2. महा निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, अहमदाबाद
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, बेंगलोर
6. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चंडीगढ़
7. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चेन्नई
8. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, हैदराबाद
9. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता
10. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, लखनऊ
11. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, मुम्बई
12. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय प्राप्ति, नई दिल्ली

टिप्पणी: संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की लेखापरीक्षा, महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय, चंडीगढ़ के कार्यक्षेत्र में आती है। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप की लेखापरीक्षा महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चेन्नई के कार्यक्षेत्र में आती है। दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली से संबंधित लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, अहमदाबाद के कार्यक्षेत्र में आती है।



ख रक्षा

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, चंडीगढ़
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पुणे
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वायु सेना, नई दिल्ली
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, नौसेना नई दिल्ली
6. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आयुध फैक्ट्रियां, कोलकाता

ग डाक एवं दूरसंचार

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूरसंचार, दिल्ली

घ रेलवे

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण रेलवे, चेन्नई
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
6. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, गुवाहटी



7. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (बिहार)
8. महा निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, बेंगलुरु
9. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
10. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर
11. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व रेलवे, कोलकाता
12. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता
13. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रेलवे उत्पादन इकाईयां और मेट्रो रेलवे, कोलकाता
14. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, मध्य रेलवे, मुंबई
15. महा निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम रेलवे, मुंबई
16. महा निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली
17. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रेलवे-वाणिज्यिक, नई दिल्ली
18. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण मध्य रेलवे, सिंदराबाद

ड वाणिज्यिक

1. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, बेंगलुरु
2. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, चेन्नई
3. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, हैदराबाद
4. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, -I, कोलकाता



5. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,-II, कोलकाता
6. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,-I, मुंबई
7. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,-II, मुंबई
8. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,-I, नई दिल्ली
9. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,-II, नई दिल्ली
10. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,-III, नई दिल्ली
11. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,-IV, नई दिल्ली
12. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, राँची

च विदेश स्थित

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, लंदन
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वाशिंगटन डीसी
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, कुआलालम्पुर, मलेशिया
4. निदेशक, बाह्य लेखापरीक्षा, रोम इटली (जुलाई 2016 में बन्द)
5. निदेशक, बाह्य लेखापरीक्षा, न्यूयार्क (जून 2014 में स्थापित)

II लेखापरीक्षा कार्यालय-राज्य

1. प्रधान महालेखाकार (जीएंडआरएसए), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
2. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद



3. महालेखाकार, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर
4. महालेखाकार, (लेखापरीक्षा), असम, गुवाहटी
5. महालेखाकार, (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
6. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार गोवा, गोवा
8. महालेखाकार (ईएंडआरएसए) गुजरात, अहमदाबाद
9. महालेखाकार (जीएंडएसएसए) गुजरात, राजकोट
10. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा, चंडीगढ़
11. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला
12. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर
13. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखंड, राँची
14. प्रधान महालेखाकार (जीएंडआरएसए), कर्नाटक, बेंगलुरु
15. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), कर्नाटक, बेंगलुरु
16. प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), केरल, तिरुवनंतपुरम
17. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), केरल, तिरुवनंतपुरम
18. महालेखाकार (जीएंडएसएसए), मध्य प्रदेश, ग्वालियर
19. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), मध्य प्रदेश, भोपाल



20. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), । महाराष्ट्र, मुंबई
21. महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर
22. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-III, महाराष्ट्र, मुंबई
23. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मणिपुर, इम्फाल
24. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मेघालय, शिलांग
25. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मिजोरम, आइजोल
26. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), नागालैंड, कोहिमा
27. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली, नई दिल्ली
28. महालेखाकार (जीएंडएसएसए), ओडिशा, भुवनेश्वर
29. प्रधान महालेखाकार (ईएंडआरएसए), ओडिशा, भुवनेश्वर
30. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पंजाब, चंडीगढ़
31. प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), राजस्थान, जयपुर
32. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), राजस्थान, जयपुर
33. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), सिक्किम, गंगटोक
34. प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), तमिलनाडु और पुडुचेरी, चेन्नई
35. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), तमिलनाडु, चेन्नई
36. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा, अगरतला



37. प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

38. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), उत्तर प्रदेश, लखनऊ

39. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहदादून

40. प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), पश्चिम बंगाल, कोलकाता

41. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), पश्चिम बंगाल, कोलकाता

III लेखा और हकदारी कार्यालय-राज्य

1. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

2. महालेखाकार (ले. व ह.), असम, गुवाहटी

3. महालेखाकार (ले. व ह.), बिहार, पटना

4. महालेखाकार (ले. व ह.), छत्तीसगढ़, रायपुर

5. महालेखाकार (ले. व ह.), गुजरात, राजकोट

6. महालेखाकार (ले. व ह.), हरियाणा, चंडीगढ़

7. महालेखाकार (ले. व ह.), हिमाचल प्रदेश, शिमला

8. महालेखाकार (ले. व ह.), जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर

9. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), झारखंड, रांची

10. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), कर्नाटक, बेंगलुरु

11. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), केरल, तिरुवनंतपुरम



12. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.),-I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

13. महालेखाकार (ले. व ह.),-II, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

14. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.),-I, महाराष्ट्र, मुंबई

15. महालेखाकार (ले. व ह.),-II, महाराष्ट्र, नागपुर

16. महालेखाकार (ले. व ह.), मणिपुर, इम्फाल

17. महालेखाकार (ले. व ह.), मेघालय, शिलांग

18. महालेखाकार (ले. व ह.), नागालैंड, कोहिमा

19. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), आडिशा, भुवनेश्वर

20. महालेखाकार (ले. व ह.), पंजाब, चंडीगढ़

21. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), राजस्थान, जयपुर

22. वरिष्ठ. उप महालेखाकार (ले. व ह.), सिक्किम, गंगटोक

23. महालेखाकार (ले. व ह.), तमिलनाडु, चेन्नै

24. महालेखाकार (ले. व ह.), त्रिपुरा, अगरतला

25. महालेखाकार (ले. व ह.), -I, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

26. महालेखाकार (ले. व ह.), -II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

27. महालेखाकार (ले. व ह.), उत्तराखंड, देहरादून

28. महालेखाकार (ले. व ह.), पश्चिम बंगाल, कोलकाता



IV प्रशिक्षण संस्थान

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय लेखा एवं लेखापरीक्षा अकादमी, शिमला
2. महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केंद्र, नोएडा (यू.पी.)
3. पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत् विकास आंतरिक केंद्र, जयपुर
4. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद
5. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै
6. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद
7. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
8. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जम्मू
9. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण, संस्थान, कोलकाता
10. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई
11. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण, संस्थान, नागपुर
12. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राँची
13. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, शिलांग
14. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, बेंगलुरु @
15. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली @@

@ प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, बेंगलुरु के प्रभार के अंतर्गत

@@ महानिदेशक, लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय, नई दिल्ली के प्रभार के अंतर्गत